खण्ड–14, अंक–2
गुरूवार, आश्विन 14, शक संवत् 1927
(06 अक्टूबर, 2005 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र 2005)

672

(खण्ड 14 में 5 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2007

मूल्य–

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
कतिपय विषयों को नियम 311 में उठाये जाने की मांग ...	1–2
प्रश्नोत्तर	2–44
टिहरी बांध की टनल (सुरंग) टी–2 को बन्द किये जाने पर चर्चा की मांग	44–47
ऐलोपैथिक आयुर्वैदिक व होम्योपैथिक चिकित्सकों के मानदेयों में विसंगति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
जनपद चमोली के स्थान गैरसैंण के लोक निर्माण विभाग के डाकबंगले की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट नगर की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48
विधान सभा क्षेत्र रुड़की में बरसात के कारण हुई तबाही व जन–धन की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	48
यमकेश्वर वि०क्षे० के अन्तर्गत अनेक प्राथमिक विद्यालयों की जीर्ण–शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	48–49
अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में कृषि की उन्नत व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
मार्च 2003 में उत्तरांचल जल विद्युत निगम एवं उत्तरांचल विद्युत निगम द्वारा 154 पदों पर सहायक अभियन्ताओं के परीक्षणोपरान्त साक्षात्कार हेतु न बुलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49–50
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के आकस्मिक निधन पर शोकोद्गार	50–54
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन (संशोधन) नियमावली, 2005 (सदन के पटल पर रखा गया)	54
वर्ष 2004–2005 का स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2004–2005 का सहकारी	

विषय	पृष्ठ संख्या
समितियां एवं पंचायतें लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	54
जनपद उत्तरकाशी के जूनियर हाईस्कूल बड़ेथी (धरासू) तहसील डुण्डा का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	54–55
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित) ...	55
उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	55–56
उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित)	56
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	56–75
वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान	
अनुदान संख्या–01 विधान सभा, अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या–07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, अनुदान संख्या–08 आबकारी, अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11 शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–14 सूचना, अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनायें, अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार, अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान संख्या–18 सहकारिता, अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या–23 उद्योग, अनुदान संख्या–24 परिवहन, अनुदान संख्या–26 पर्यटन, अनुदान संख्या–27 वन, अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य, अनुदान संख्या–29 औद्योगिक एवं रेशम विकास, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, (स्वीकृत)	75–101

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल विनियोग (2005–2006) का अनुपूरक विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित पारित)	101–105
प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत तदर्थ पदोन्नत अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जन्तवाल सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	106–107
नत्थियां	108–118

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8. " काशी सिंह ऐरी
9. " किशोर उपाध्याय
10. " कैलाश शर्मा
11. " कौल दास
12. " गगन सिंह
13. " गणेश प्रसाद गोदियाल
14. " गोपाल सिंह राणा
15. " गोबिन्द लाल
16. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
17. " जोत सिंह
18. " तसलीम अहमद
19. " तिलक राज बेहड़
20. " तेजपाल सिंह रावत
21. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
22. " नव प्रभात
23. " नारायण पाल
24. " नारायण राम आर्य
25. " नारायण सिंह जंतवाल
26. " प्रकाश पंत
27. " प्रदीप टम्टा
28. " प्रीतम सिंह
29. " प्रीतम सिंह पंवार
30. श्री प्रेमानन्द महाजन
31. " पुष्पेश त्रिपाठी
32. " फूल सिंह बिष्ट
33. " बलवीर सिंह नेगी
34. " विजयपाल सिंह सजवाण
35. " बिशन सिंह चुफाल
36. " भगत सिंह कोश्यारी
37. " मदन कौशिक
38. " मंत्री प्रसाद नैथानी
39. " महेन्द्र भट्ट
40. " महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
41. " मातबर सिंह
42. " माल चन्द्र
43. " रणजीत सिंह
44. " राम प्रसाद टम्टा
45. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
46. श्री शूरवीर सिंह
47. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
48. श्री साधू राम
49. " सुबोध उनियाल
50. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
51. " सुरेश चंद
52. डा0 हरक सिंह रावत
53. श्री हरबंस कपूर
54. " हरभजन सिंह चीमा
55. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
56. " हीरा सिंह बिष्ट
57. " हेमेश खर्कवाल
58. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरुवार, दिनांक 06 अक्टूबर, 2005

(विधानसभा की बैठक सभा-मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

कतिपय विषयों को नियम-311 में उठाये जाने की मांग

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, हमारी एक सूचना नियम-311 के अन्तर्गत है जो विधान सभा सीटों के पुनर्निर्धारण से सम्बन्धित है। मान्यवर, यह परिसीमन से सम्बन्धित प्रश्न है। पर्वतीय क्षेत्रों की 9 सीटों के कम होने का सवाल है। मान्यवर, इस पर चर्चा करा कर निर्णय लिया जाय। (शोर)

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य तथा बसपा के सभी माननीय सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी-अपनी बातों को जोर-जोर से कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-311 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्री नारायण सिंह जतवाल जी की है जो परिसीमन आयोग द्वारा राज्य की विधान सभा सीटों के परिसीमन किये जाने के सम्बन्ध में है। यह विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। दूसरी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री नारायण पाल जी की है जो दिनांक 6-08-2004 को रुद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर में मुकदमा दर्ज कराये जाने तथा दिनांक 08-02-2003 को नानकमत्ता में मुकदमा दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है। दोनों घटनाओं को बीते हुए काफी समय हो गया है और इस बीच विधान सभा के पहले भी सत्र हो चुके हैं। इतनी पुरानी सूचना को मैं नियम-311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

ऐरी जी कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृपया इस पर चर्चा करा लें। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, मैं पुनः कह रहा हूँ, यह काफी समय पूर्व की घटना है। जिसे नियम-311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति मै नही दे रहा हूँ।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी "वेल" में आकर परिसीमन मुद्दे पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे) (घोर व्यवधान)

कृपया आसन ग्रहण करें। (माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी अपने स्थान पर चले गये। शेष उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

कृषि निदेशालय के मुख्यालय को पौड़ी से देहरादून में स्थापित करने के कारण

**1. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि निदेशालय का मुख्यालय किन कारणों से पौड़ी से देहरादून में स्थापित करने के आदेश निर्गत किये हैं?

क्या यह सही है कि पौड़ी की जनता में इससे आक्रोश व्याप्त है? यदि हाँ, तो सरकार कृषि निदेशालय को पौड़ी में स्थापित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मद्दू भाई''–

राज्य गठन के समय से ही कृषि निदेशालय के कार्यों का संचालन देहरादून से किया जा रहा है। मा० मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 23–7–2003 को कृषि विभाग के निदेशक/विभागाध्यक्ष का मुख्यालय कहां स्थापित होगा, के सम्बन्ध में यथासमय आवश्यकतानुसार विचार किये जाने का निर्णय लिया गया। मा० मंत्रि परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अनुभाग की अधिसूचना सं0–956, दिनांक 02–8–2003 द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं।

कृषि निदेशालय पौड़ी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में एवं इसके विरोध में भी विभिन्न स्तरों से पत्र प्राप्त हुए हैं। शासन के पत्र सं0–1165/XIII/2005–1(71)/2005, दिनांक 04 अगस्त, 2005 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस आशय के आदेश निर्गत किये हैं कि कृषि विभाग के गढ़वाल मण्डल के कार्यों का निस्तारण अपर निदेशक, कृषि के पौड़ी स्थित कार्यालय द्वारा सम्पन्न किया जायेगा तथा कृषि निदेशालय अग्रिम आदेशों तक नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून में स्थित होगा एवं तद्नुरूप ही संचालित होता रहेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने उत्तर में लिखा है कि कृषि निदेशालय पौड़ी में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से पत्र प्राप्त हुए हैं। ये पत्र कहां से प्राप्त हुए हैं, ये विभिन्न स्तर कौन से हैं? क्या आप इन पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कृषि विभाग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में पहले दि0 26–07–2000 को ही तय किया गया था कि निदेशालय देहरादून में रहेगा। मान्यवर, पुनः दि0 09–08–2001 को निर्णय लिया गया कि यह निदेशालय पौड़ी जायेगा, जिसकी अधिसूचना दि0 04–10–2001 को जारी हुई। राज्य बनने से पूर्व गढ़वाल और कुमाऊँ मण्डल में मण्डलीय कार्यालय थे, जो हटा दिये गये। मान्यवर, हमारी सरकार बनने के बाद दि0 23–07–2003 को निर्णय लिया गया कि कुमाऊँ में ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय और गढ़वाल में एडीशनल डायरेक्टर कार्यालय होगा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मण्डलीय कार्यालय बन्द होने से कुमाऊँ और गढ़वाल में 11 भूमि संरक्षण कार्यालय समाप्त कर दिये गये और कृषि रक्षा अधिकारी के पद समाप्त कर दिये गये। मान्यवर, इसके बाद हमारी सरकार आने के बाद पौड़ी में 4 इकाइयां स्थापित की गयीं और पूरे प्रदेश में कुल 25 इकाइयां कार्यान्वित की गयी हैं।

मान्यवर, जो ये उत्तर हैं इसमें साफ लिखा है कि राज्य गठन के समय से ही कृषि निदेशालय के कार्यों का संचालन देहरादून से किया जा रहा है। माननीय मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 23–7–2003 को, कृषि विभाग के निदेशक/विभागाध्यक्ष का मुख्यालय कहां स्थापित होगा, के सम्बन्ध में यथासमय आवश्यकतानुसार विचार किये जाने का निर्णय लिया गया। माननीय मंत्रि परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अनुभाग की अधिसूचना संख्या–956 दिनांक 2–8–2003 द्वारा आदेश निर्गत किये गये हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ कि निदेशालय देहरादून में रहेगा या नहीं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, प्रदेश बनने से पहले ही यह कार्यालय देहरादून में चल रहा था। इस पर पहले एक बार निर्णय हुआ कि यह देहरादून में रहेगा फिर इसमें निर्णय हुआ कि जब तक इस पर विचार नहीं होता तब तक यह देहरादून में रहेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, इसके क्या कारण हैं, यह निदेशालय पौड़ी में क्यों नहीं रखा गया? मान्यवर, क्या सभी निदेशालय देहरादून में रखे जायेंगे, क्या सरकार की ऐसी मंशा है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा कारण जो यहां पर है कि कृषि विभाग में स्टेट प्लान और जिला प्लान का बहुत कम पैसा आता है, यहाँ केन्द्र पोषित योजना और वर्ल्ड बैंक से परियोजना आती है।

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि 30 दिन में 24–25 दिन अधिकारियों की हेड क्वार्टर देहरादून में बैठक पड़ती हैं मान्यवर, पौड़ी के लिए जो अपर निदेशक कार्यालय है वहाँ संयुक्त निदेशक और अपर निदेशक पोस्ट कर दिये हैं और मैं समझता हूँ कि पौड़ी क्षेत्र के लिए काफी है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने इतना प्वांटेड और सीधा सा सवाल पूछा है कि क्या आप पौड़ी में निदेशालय बनायेंगे या नहीं और यहाँ मंत्री जी ने हिस्ट्री बता दी। क्या आपने देहरादून कृषि निदेशालय पक्का कर दिया है? मान्यवर, या तो आप कह दें कि पौड़ी में नहीं ले जाना है। मैं चाहता हूँ कि आप सीधे कह दें कि आप पौड़ी ले जा रहे हैं या नहीं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, मैंने कहा कि जो व्यवस्था प्रदेश बनने से पहले थी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश बनने से पहले तो निदेशालय होने का सवाल ही नहीं उठता, निदेशालय तो प्रदेश बनने के बाद ही बनेगा। मान्यवर, आप थोड़ा खुल कर बोल दें तो रागी का समाधान हो जायेगा, आप को पौड़ी ले जाना है तो बता दें या नहीं ले जाना है तो बता दें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, व्यवस्था पहले की तरह ही है। हमने एक व्यवस्था बढ़ाई है जिसमें एडिशनल डाइरेक्टर पोस्ट कर दिया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, यहां एडीशनल डाइरेक्टर का प्रश्न नहीं है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या निदेशालय पौड़ी जायेगा या नहीं?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि उत्तर में साफ लिखा है कि कृषि के पौड़ी स्थित कार्यालय द्वारा सम्पन्न किया जायेगा तथा कृषि निदेशालय अग्रिम आदेशों तक नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून में स्थित होगा एवं तदनुरूप ही संचालित होता रहेगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसका मतलब यह हुआ कि निदेशालय देहरादून में ही होगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मदू भाई''—

मान्यवर, मेरा उत्तर तो साफ है, जहाँ तक एक जिज्ञासा और थी कि कहाँ–कहाँ से आये। मान्यवर, अगर पौड़ी में जनाक्रोश था तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी जनाक्रोश फैला।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

मान्यवर, आपने इसमें लिखा है कि विभिन्न स्तरों से तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से यह स्तर हैं, जिनका पत्र आपके पास आया था? यह पौड़ी की जनता जानना चाहती है और यह किस स्तर के हैं?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मदू भाई''—

मान्यवर, जिस स्तर के पौड़ी में हैं उसी स्तर से आये हैं। ....

मान्यवर, पौड़ी में जाने के बाद जिस तरह को प्रोटेस्ट तराई में हुआ, हरिद्वार में हुआ, उनके पत्र हमें मिले।

श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य बनने के पहले भी यही स्थिति थी और राज्य बनने के बाद थोड़ा बढ़ाया। मंत्री जी को याद होगा कि पौड़ी मुख्यालय है लेकिन सारे के सारे अधिकारी देहरादून में रहते थे, यहीं से कार्यालय संचालित करते थे। पूरे मण्डल के लोगों की यही शिकायत थी कि पौड़ी मुख्यालय में कमिश्नरी स्तर के अधिकारी नहीं रहते। मान्यवर, अभी माननीय कोश्यारी जी कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी को सरकारी अधिकारी गुमराह कर रहे हैं कि किसी तरह से पौड़ी न जाना पड़े, अधिकारी देहरादून में रहना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि अग्रिम आदेशों तक जो कृषि निदेशालय है वह नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून में रहेगा, वह अग्रिम आदेश किस स्तर के होने हैं और वह कब तक हो जायेंगे?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मदू भाई''—

मान्यवर, उत्तर में साफ लिखा है कि कृषि विभाग के गढ़वाल मण्डल के कार्यों का निस्तारण अपर निदेशक, कृषि के पौड़ी स्थित कार्यालय द्वारा सम्पन्न किया जायेगा तथा कृषि निदेशालय अग्रिम आदेशों तक नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून में स्थित होगा एवं तदनुरूप ही संचालित होता रहेगा। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि इसमें रिट भी हुई है उसमें फैसला भी आ गया है। कृषि निदेशालय पौड़ी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में पौड़ी संघर्ष समिति एवं

अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकायें दायर कीं, जिन्हें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। शासन के पत्र संख्या–1165/ /2005–1(71)/2005 दिनांक 04 अगस्त, 2005 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इस आशय के आदेश निर्गत किये गये कि कृषि विभाग के गढ़वाल मण्डल के कार्यों का निस्तारण अपर निदेशक, कृषि के पौड़ी स्थित कार्यालय द्वारा सम्पन्न किया जायेगा तथा कृषि निदेशालय अग्रिम आदेशों तक नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून में स्थित होगा एवं तदनुरूप ही संचालित होता रहेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने कहा कि अग्रिम आदेशों तक नन्दा की चौकी, प्रेमनगर में स्थित रहेगा। माननीय मंत्री जी इसमें थोड़ी चालाकी कर रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इसे पौड़ी स्थित कार्यालय द्वारा संचालित किया जायेगा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यह भविष्य में नन्दा की चौकी में चलेगा या डालनवाला या देहरादून में अन्य जगह चलेगा, या अग्रिम आदेशों तक यहीं से काम चलेगा। इसको माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि पौड़ी में निदेशालय खोलने के आदेश होंगे।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, सरकार तो जनहित का ध्यान रखती है। ....

मान्यवर, यह राजधानी है यहां सभी जगह से लोग आते हैं। धारचूला और मुन्स्यारी से भी लोग यहां आते हैं। मान्यवर, पौड़ी में पहले से ही अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक बैठते हैं। तीन अधिकारी वहां पर बैठ रहे हैं। यदि निदेशालय को पौड़ी ले जायेंगे तो अन्य जनपदों से भी ऐसी ही मांग उठने लगेगी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, सरकार की क्या मंशा है। क्या सरकार की मंशा किसी विशेष जगह पर ही निदेशालय खोलने की है? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है कि ....। (व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, स्पष्ट जवाब आना चाहिए।

राज्य में वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट) लागू करने की तिथि

**2. श्री प्रकाश पंत–

"क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट) लागू करने का निर्णय ले लिया गया है?

यदि हाँ, तो कब से?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हाँ।

राज्य में वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट) दिनांक 01–10–2005 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या कर दाताओं को टिन नम्बर दे दिये गये हैं? क्या नयी प्रणाली के अनुसार समस्त कार्यालयों में एवं जिला मुख्यालयों में आयात घोषणा पत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं? व्यापारियों को अब कितने रजिस्टर भरने पढ़ेंगे?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, टिन नम्बर देने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। मान्यवर, वैट के प्रचार–प्रसार के लिए एक हेल्पलाइन की स्थापना की गयी है। नवम्बर के बाद से हम व्यापारियों और सम्बन्धित करदाताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि जहां भी उनको कोई असुविधा हो तो उसका निदान किया जा सके। पर्याप्त जानकारी उन्हें उपलब्ध करा दी गयी है। सभी फार्म उपलब्ध करा दिये गये हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कितने रजिस्टर भरने पढ़ेंगे? उनका प्रकार क्या होगा?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अध्यादेश सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है। उस समय इस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि आप अध्यादेश की बात कर रहे हैं। ....

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जब विधेयक पर चर्चा होगी तो इसका सुस्पष्ट उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने पूछा है कि रजिस्टर कितने भरने पढ़ेंगे और आप कह रहे हैं कि बाद में पूछिये।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर माननीय मंत्री जी को देना चाहिए। या तो माननीय मंत्री जी कह दें कि उन्हें पता नहीं है कि कितने रजिस्टर भरने पढ़ेंगे। सदन को गुमराह न करें। सदन की भी कोई मर्यादा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक ओर तो सूचना का अधिकार दिया जा रहा है और दूसरी ओर सदन को सूचना नहीं दी जा रही है। मान्यवर, आप संरक्षण दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया माननीय पंत जी के प्रश्न का जवाब दे दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, किसी व्यापारी को अध्यादेश के अधीन भुगतान का दायी है, ऐसे अंतरालों के भीतर जिसकी कार्यवति के भीतर और ऐसे प्रारूप में अपने विक्रय धन, क्रय धन की विवरणी प्रस्तुत करेगा और इसको प्रमाणित करेगा। इसके बाद फार्म का डिटेल आ जायेगा। उपधारा 1 में दी गई किसी बात के होते हुये भी ब्यौहारी जिसने धारा 15 के अधीन अपने को पंजीकृत कराया है, अपने विक्रय धन का विवरण एक अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा है कि कितने रजिस्टर भरने पड़ेंगे, इसका उत्तर आप दे दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोश्यारी जी, इसका उत्तर आ रहा है।

श्री नव प्रभात–

संविदा के अन्तर्गत उपयोग करने का अधिकार किसी ठेकेदार या उप ठेकेदार को पुरूत्थान करने वाला और स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए ब्यौहारी ऐसे विवरणों की और उनके नाम पते को एक अवधि में भुगतान की गई धनराशि सहित ऐसे समय में ......।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि 30 सितम्बर से पहले व्यापारियों को कितने रजिस्टर भरने पड़ते थे और वैट लागू होने के बाद उन्हें कितने रजिस्टर भरने होंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, नियम तो बताने ही होंगे। नियमों को पढ़कर ही सही चीज से अवगत कराया जा सकेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह प्रश्न केवल व्यापारियों से जुड़ा नहीं है, आज उत्तरांचल में जब से वैट लागू हुआ है दामों में वृद्धि हो गई है। वैट पर विस्तृत चर्चा तो मैं अध्यादेश जब आयेगा तब करूंगा, अभी तो मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि वैट लागू होने के बाद कितने रजिस्टर भरने पड़ेंगे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसके अलावा भी माननीय सदस्य कुछ पूछना चाह रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसकी धारा 31 में 10 प्रतिशत अधिक अधिकार ज्यादा देकर अधिकारी के माल को जब्त करने का अधिकार दिया गया है क्या उससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा नहीं मिलेगा?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह अधिकार तो रखना ही पड़ेगा।....... (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ रहा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें 6 प्रकार के रजिस्टर होंगे। राज्य के बाहर से क्रय किया गया माल जिसमें देश के बाहर से आयात किया माल भी सम्मिलित है, का एक रजिस्टर होगा। राज्य के बाहर से अन्तरण एवं प्रेषण द्वारा प्राप्त माल का दूसरा रजिस्टर होगा। राज्य के भीतर से लिया गया माल, अध्यादेश की सूची 3 में निर्दिष्ट विशेष प्रकार

का माल, राज्य के भीतर से क्रय किया गया माल, पूंजीगत माल जिस पर कर का भुगतान किया गया है और उस पर टैक्स के लाभ का भी दावा किया गया है। राज्य के भीतर से क्रय किया गया पूंजीगत माल तथा अध्यादेश की अनुसूची 3 में निर्दिष्ट विशेष प्रबन्ध के माल को छोड़कर अन्य माल जिन पर कर का भुगतान किया गया है और राज्य के भीतर से क्रय किया गया अन्य माल जिस पर इन्पुट टैक्स का अनुमन्य नहीं है, इस प्रकार से कुल 6 रजिस्टर भरने होंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें जो साढ़े बारह प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है क्या वह दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी लागू होगा? जिन वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया है वह कौन–कौन सी हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें 3 शेड्यूल हैं, पहले में वह वस्तुयें है जिन पर कर नहीं होगा, दूसरी वाली में वह वस्तुयें हैं जिन पर 4 प्रतिशत कर होगा और तीसरी सूची वाली वस्तुओं में 12.5 प्रतिशत कर देय होगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में वैट तो 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। लेकिन जिन लोगों पर वैट लागू किया जा रहा है उनको सूचना और जानकारी देने के लिए सरकार ने क्या किया है? मैं जब यहां के लिए अपने क्षेत्र से आ रहा था तो व्यापारियों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार से रजिस्टर तैयार किये जायेंगे, किस तरह से भरे जाने चाहिए?

मान्यवर, व्यापारियों को माल पड़ा हुआ है। न तो माल आ रहा है और न ही जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिनके लिए यह वैट लगाया गया है, क्या उनको इसके बारे में पूरी जानकारी दी गयी है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमारे यहां जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से व्यापारियों के साथ वार्ता की जा रही है और उनको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। ज्वाइंट कमिश्नर के कार्यालय में इसकी सारी जानकारी है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है व्यापारियों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, उन पर चर्चा की जा रही है और व्यापारियो के कई सुझाव भी हमें प्राप्त हुए हैं। इस सप्ताह भी हमारी तीन बार व्यापारियों से बात हो चुकी है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या व्यापारियों के सुझाव लेने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया

है? और यदि किया गया है तो क्या यह उप समिति आगामी 11 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट देगी? यदि 11 अक्टूबर को रिपोर्ट आनी है तो इसको लागू करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गयी? 11 अक्टूबर के बाद ही इसे क्यों नहीं लागू किया गया?

श्री नव प्रभात--

मान्यवर, व्यापारियों के सुझाव लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और माननीय विधायक जी उसके अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त कैबिनेट की भी एक उप समिति बनायी गयी है, उसमें भी व्यापारियों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया। हमारे पास बहुत से सुझाव आ रहे हैं। मान्यवर, आज पूरे देश में वैट लागू हो रहा है, यह अभी संक्रमणशील दौर से गुजर रहा है। मुझे कल भी वैट की पावर्ड कमेटी में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सिस्टम में परिवर्तन कर रहे हैं। लोगों के सामने कोई शंका न रह जाए और प्रदेश के व्यापारियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे।

तारांकित प्रश्न

राज्य में पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति तथा पंचायतों का चुनाव पूर्ण होने तक व्यवस्था हेतु नीति

*1. श्री मदन कौशिक--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के किन जनपदों में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है तथा उक्त पंचायतों के चुनाव कब तक करा लिये जायेंगे?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि चुनाव पूर्ण होने तक पंचायतों की व्यवस्था हेतु क्या नीति बनाई गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)--

जनपद हरिद्वार के पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उक्त जनपद के पंचायतों का निर्वाचन कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 12, 3-क में निहित प्राविधानों के अनुसार 6 माह से अनधिक अवधि के लिये प्रशासक की नियुक्ति की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

मानलीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन पंचायतों का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? इनमें प्रशासक की व्यवस्था कब से लागू हुई है? इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य बने हुए लगभग 5 साल हो गये हैं, क्या कारण है कि हरिद्वार पंचायत के चुनाव राज्य के अन्य 12 जिलों के पंचायत चुनावों के साथ नहीं कराए गए। जबकि अन्य जिलों में कार्यकाल अलग होने के बाद भी एक साथ चुनाव कराए गए तथा पंचायत चुनावों में क्या परिसीमन किया गया और इनमें आरक्षण की क्या व्यवस्था की गयी है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद '243–प' में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। हरिद्वार में 5 साल की अवधि के बाद पुनः चुनाव हो रहे हैं। अधिनियम की धारा 12(अ) में 6 माह के लिए प्रशासक नियुक्त करने का प्राविधान है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ और क्या कार्यकाल समाप्त होते ही प्रशासक बैठा दिए गए? मान्यवर, पाँच साल से कितने दिन ज्यादा हो गये हैं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पाँच वर्ष का कार्यकाल है। पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पाँच वर्ष पूर्ण होने के बाद चुनाव होने ही हैं। किन्तु पाँच वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रधान, पंचायत सदस्यों, अध्यक्ष और प्रमुखों के कितने दिन एक्स्ट्रा हो गये हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम सूची उपलब्ध करा देंगे।

श्री मदन कौशिक–

सूची का क्या मतलब है। यह तो सीधी–सीधी बात है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पाँच वर्ष पूर्ण होने के बाद चुनाव करा दिये जायेंगे। आपने प्रश्न पूछा है कि किन जनपदों में पंचायतों का कार्यकाल कौन सी तिथि तक समाप्त हो

जायेगा। मैं तिथि अभी मँगवा रहा हूँ। उसे आपको उपलब्ध करा दूँगा। इस वक्त इत्तेफाक से हमारे पास नहीं है। सरकार की मंशा संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने की है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पूरे प्रदेश का चुनाव एक साथ कराने में सरकार को क्या दिक्कत है? इससे पहले मैं उदाहरण देना चाहूँगा, निकाय चुनाव भी ऐसी ही परिस्थितियों में हरिद्वार में कराये गये। अन्य प्रदेशों में दो वर्ष के अन्तराल में 6–6 महीने के अन्दर चार बार चुनाव कराये गये।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद हरिद्वार में पंचायत चुनाव पूर्व में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों के साथ हुए थे। उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होने की वजह से अन्य 12 जनपदों में चुनाव पाँच वर्ष के अन्तराल के बाद हुए।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, अलग–अलग जनपदों में अलग–अलग चुनाव कराने की व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? 12 जनपदों के चुनाव अलग और एक जनपद का चुनाव अलग कराया जा रहा है। एक साथ सभी जनपदों में चुनाव कराने पर क्या सरकार विचार करेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पंचायत चुनाव एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कराये जाते हैं। पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही चुनाव कराये जाते हैं। चूंकि हरिद्वार जनपद के पंचायतों का पाँच वर्ष पूर्ण हो गया हैं इसलिए वहाँ पर चुनाव कराये जा रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, संवैधानिक व्यवस्था का हवाला माननीय मंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है तो क्या कारण है कि वहाँ पर एक प्रशासक की नियुक्ति करने की आवश्यकता पड़ी? चुनाव समय पर क्यों नहीं कराये गये। जब संवैधानिक व्यवस्था थी तो उसके अन्तराल प्रशासक की नियुक्ति क्यों की गई?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही चुनाव कराये जाते हैं। मान्यवर, अधिनियम की 12, 3–क में निहित प्राविधानों के अनुसार 6 माह से अनधिक अवधि के लिए प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। यह तो अधिनियम में व्यवस्था है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, प्रश्न बड़ा स्पष्ट है किन्तु माननीय मंत्री जी का उत्तर बड़ा अस्पष्ट है। मान्यवर, प्रश्न यह है कि हरिद्वार में पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष कब पूर्ण हुआ? कार्यकाल पूर्ण होने के कितने समय बाद वहाँ चुनाव कराये जा रहे हैं? चुनाव के बीच में कितना गैप रहा? चुनाव समय पर क्यों नहीं कराये गये?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, पंचायत चुनावों की प्रक्रिया अलग–अलग चरणों में होती है। पहले प्रधानों के चुनाव, उसके बाद प्रमुखों का चुनाव होता है। उसके बाद पंचायतों के सदस्यों के चुनाव होते हैं।

मान्यवर, इस प्रक्रिया में बहुत लम्बा समय लगता है, यह मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ। मान्यवर, संविधान के अनुसार इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और पांच वर्ष से पूर्व हम चुनाव नहीं करा सकते हैं, यह व्यवस्था है। इन चुनावों का एक लम्बा प्रोसेस है। मान्यवर, पहले क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव होगा, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। मान्यवर, हमने 6 माह के लिए प्रशासक की नियुक्ति की है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट नहीं आया है। प्रशासक की नियुक्ति तो अनेक संवैधानिक व्यवस्था में होती है। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न था इसमें परिसीमन की व्यवस्था किस प्रकार से की गयी है और आरक्षण की व्यवस्था के क्या मानक तय किये गये?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, (व्यवधान) परिसीमन के लिए वर्ष 2002 में संशोधन किया गया, जिसमें ग्रामीण पंचायत में पर्वतीय क्षेत्र पंचायत हैं। इसमें कम से कम तीन सौ और अधिक से अधिक एक हजार का मानक है। और मैदानी क्षेत्र में कम से कम हजार और ज्यादा से ज्यादा 5 हजार है, यह आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुसार दी गयी है। लेकिन जो हरिद्वार में की गयी है, वह 80 प्रतिशत की गयी है, यह किस आधार पर की गयी है? इसके प्रति जनता में रोष व्याप्त है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत की व्यवस्था है उसी के अनुसार व्यवस्था की गयी है तथा पिछड़ी जाति के लिए जो प्रदेश में 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, उसी के तहत वहाँ पर व्यवस्था की गयी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, संविधान के अनुसार तो यह व्यवस्था लगभग 52 से 55 तक होनी चाहिए थी, परन्तु हरिद्वार में यह 80 प्रतिशत कैसे हो गयी?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुसार ही की गयी है। जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए व्यवस्था है, उसी के तहत हमने की है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत की व्यवस्था है उसी के अनुसार व्यवस्था की गयी है तथा पिछड़ी जाति के लिए जो प्रदेश में 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, उसी के तहत वहाँ पर व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, पिछड़ी जाति की जनसंख्या अधिकतर हरिद्वार में है, इसलिए आरक्षण देना संवैधानिक दायित्व है, इसलिए आरक्षण देने इसमें कोई दिक्कत नहीं।

उत्तरांचल में खादी ग्रामोद्योग की पंजीकृत इकाइयों द्वारा निर्मित सामान की सरकारी विभागों तथा उपक्रमों में बिक्री न होने के सम्बन्ध में

*2. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में खादी ग्रामोद्योग की काष्ठ कला, लौह कला और रेशा उद्योग की पंजीकृत इकाईयों द्वारा निर्मित सामान को सरकारी विभागों व उपक्रमों में वरीयता व दर अनुबन्ध की सुविधा समाप्त होने के कारण सरकारी विभागों व उपक्रमों में स्थापित इकाईयों द्वारा तैयार माल की बिक्री नहीं हो पा रही है?

यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या उपाय कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल)–

जी नहीं, बिक्री हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने स्वीकार किया है कि दर अनुमन्य आधार पर सरकारी विभागों, संस्थाओं, निगमों द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत काष्ठकला उद्योग इकाई की माल की बिक्री हो रही है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकारी विभागों व उपक्रमों में वरीयता का अनुमन्य किस तिथि को और उसके स्रोत तथा शर्त क्या हैं?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, खादी ग्रामोद्योग द्वारा सामान बिक सके इसको लेकर सरकार ने 27 दिसम्बर, 2004 को एक शासनादेश किया और उस शासनादेश में स्पष्ट किया है कि ग्रामोद्योग के उत्पाद जो श्रेणी 'ख' के अन्तर्गत आते हैं, ये उत्पाद समस्त शासकीय विभागों, निगमों, संस्थाओं के लिए उपयोगी हैं, को उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में वित्तपोषित इकाईयों से अनिवार्यतः क्रय किया जायेगा। इसके लिए अलग से टेण्डर की आवश्यकता नहीं होगी। यदि इन वस्तुओं की आपूर्ति, खादी बोर्ड में वित्त पोषित इकाईयाँ माँग के अनुसार निश्चित समय सारणी के अन्तर्गत नहीं कर पाती हैं, तो सम्बन्धित विभाग, संस्था, निगम इन वस्तुओं का क्रय अपनी सामान्य क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत करने को स्वतंत्र होंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सामग्री क्या–क्या है?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, इसमें दो श्रेणी हैं, एक खादी की दूसरी ग्रामोद्योग की, श्रेणी क और श्रेणी ख। श्रेणी क में खादी वस्त्र हैं जिसमें पर्दे, डस्टर, दरी आदि आते हैं और श्रेणी ख में हाथ कागज उद्योग है जिसमें फाइल कवर, फाइल बोर्ड, ड्राइंग पेपर, कार्ड शीट, कवर पेपर और श्रेणी ख में ही साबुन उद्योग, दियासिलाई, शहद, चर्म उद्योग और अनाज दाल प्रशोधन आता है। उन सब को क्रय करने का आदेश इस शासनादेश में दिया गया है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, लौहकला, काष्ठकला और रेशा उद्योग कहाँ पंजीकृत हैं?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो रेशा उद्योग की इकाई हैं वह 1470 हैं और लौहकला, काष्ठकला की 2697 इकाई हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, वर्ष 2004–05 में जो पंजीकृत इकाई हैं उनसे किन–किन विभागों को बिक्री की गई और कुल सामग्री से अर्जित धनराशि कितनी है?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, वर्ष 2004–05 में 166 इकाइयों ने 16.37 लाख का सामान बेचा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैंने पूछा कितने पंजीकृत हैं और कितनी धनराशि अर्जित की?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, मैंने बताया कि 166 इकाई हैं और 13.40 लाख का उत्पादन है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, कितनी बिक्री की गई है?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, 13.40 लाख की बिक्री की गई है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो राज्य खादी ग्रामोद्योग के द्वारा सामान तैयार किया जाता है, क्या राज्य सरकार उसकी बिक्री में कोई सब्सिडी या छूट देने का प्राविधान कर रही है?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, राज्य सरकार केवल खादी के वस्त्रों में ही छूट देने का काम करती है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, क्या अन्य वस्त्रों में भी छूट देने का विचार है?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, जी नहीं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, अल्मोड़ा का तांबे का कार्य पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं क्या तांबे को खादी के तहत पंजीकृत किया गया है?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, ताम्र उद्योग के किसी भी इकाई का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, भविष्य में किसी का आवेदन आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में कितने खादी ग्रामोद्योग मृत पड़े हैं? ऐसी कितनी इकाईयाँ हैं और उन्हें कब तक पुनर्जीवित किया जायेगा?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, यह प्रश्न से हटकर है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है मैं जानना चाहता हूँ कि खादी ग्रामोद्योग की कितनी इकाइयाँ मृत हैं, उन्हें कब तक पुनर्जीवित किया जायेगा?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, आपको इसकी जानकारी अलग से दे दी जायेगी।

प्रदेश में ग्राम सभाओं के विभाजन के मानक तथा प्रक्रिया

*3. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम सभाओं के विभाजन के क्या मानक हैं तथा यदि ग्राम सभा में एक ही राजस्व ग्राम है किन्तु जनसंख्या और क्षेत्रफल अत्यधिक है तो ऐसी ग्राम सभाओं के विभाजन हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है?

मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उक्त प्रक्रियानुसार कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री प्रीतम सिंह–

उत्तरांचल में पर्वतीय क्षेत्रों में यथाशक्य 300 न्यूनतम तथा 1000 अधिकतम एवं मैदानी क्षेत्र में यथाशक्य 1000 न्यूनतम तथा 5000 अधिकतम जनसंख्या पर किसी ग्राम अथवा ग्राम समूह में ग्राम सभा का गठन किया जाता है, किन्तु किसी राजस्व ग्राम को ग्राम सभा के गठन के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता है।

जी, हाँ। जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत ग्राम सभा वेलुवाखान का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, किन्तु भारत के परिसीमन आयोग के निर्णय के अनुसार परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण होने तक राज्य की किसी भी प्रशासनिक इकाई में परिवर्तन या नई प्रशासनिक इकाई का सृजन प्रतिबन्धित है।

उपरोक्तानुसार।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में ग्राम सभाओं के मानक बताये हैं। इसमें यह है कि किसी राजस्व ग्राम को ग्राम सभा के गठन के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता है मैंने प्रश्न में यह पूछा है कि ग्राम सभा में एक ही राजस्व ग्राम है किन्तु जनसंख्या और क्षेत्रफल अत्यधिक है तो ऐसी ग्राम सभाओं के विभाजन हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद क्या ग्राम सभाओं के विभाजन पर कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसके लिए हमने पूर्व में व्यवस्था की थी। जैसा कि आपने कहा कि परिसीमन आयोग की बंदिश हट जायेगी तो विचार करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इन्हें मजले ग्रामों में परिवर्तित करेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब ग्राम पंचायतों का परिसीमन हुआ तो उस परिसीमन के बाद पर्वतीय क्षेत्र में विशेष तौर पर एक व्यवहारिक कठिनाई आई। चूँकि बन्दोबस्त के बाद जिन राजस्व गाँवों में आबादी नहीं है।

मान्यवर, और ऐसे स्थान भी हैं, मजरे हैं जहां आबादी है। जो 300 की आबादी का मानक रखा गया है। तो 60–70 की आबादी पर एक राजस्व गांव है। ऐसे में 300 की आबादी 5–10 किलोमीटर में मिल पायेगी। धारचूला और उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे स्थान हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस मानक पर पुनर्विचार करेंगे? जो ग्राम पंचायतों का परिसीमन है उसे पुनः कराने पर विचार करेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो 300 का मानक रखा गया है उसे यथासाध्य कहा गया है। 2002 में जब हमने परिसीमन के लिए संशोधन किया था तो उसमें इसकी व्यवस्था की गयी है। हमारा प्रयास है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्परिसीमन हो।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, क्या इस सम्बन्ध में आप जिलाधिकारियों को पत्र भेजेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी तो इस पर रोक है। जब रोक हटेगी तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि काफी बड़े–बड़े मजरे, हेमलेट्स हैं। वे राजस्व ग्राम नहीं हैं। आपने कहा कि जब ऐसे मजरों को राजस्व ग्राम घोषित किया जायेगा तभी ग्राम पंचायतों का गठन किया जायेगा। मान्यवर, मेरा गांव बलुवाकोट भी राजस्व ग्राम है उसमें 29 तोक हैं। पूरी ग्राम पंचायत की जनसंख्या लगभग 7000 है आपने कहा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप अपने स्तर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करेंगे कि जो बड़ी–बड़ी तोकें हैं उनकी सूची शासन को प्रेषित कर दें ताकि उन्हें जल्द से जल्द राजस्व ग्राम घोषित किया जा सके।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, राज्य बनने के बाद जब परिसीमन हुआ तो हमने यह प्रयास किया कि राजस्व ग्राम ऐसे न बनें कि उनमें ग्राम पंचायतों का गठन न हो सके। आपने कहा कि राजस्व ग्रामों में तोकें हैं। पूर्व में भी इनका विभाजन किया गया था, आगे भी करेंगे। जो पूर्व में परिसीमन हुआ है उसमें जनसंख्या को मानक माना गया है। न्यूनतम 300 और अधिकतम् 1000 जनसंख्या का मानक रखा गया है। आपने कहा कि राजस्व ग्राम में कई तोक हैं। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में अभी बन्दिश लगी हुई है, जब यह बन्दिश हटेगी तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों से पत्राचार किया जायेगा और पुनर्परिसीमन भी किया जायेगा।

राज्य की जिला तथा क्षेत्र पंचायतों के नियन्त्रणाधीन विभागों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार

*4.श्री प्रकाश पंत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के नियन्त्रणाधीन कतिपय विभागों को किया गया है?

यदि हॉं, तो उसका विवरण क्या है?

क्या पंचायतों के अधीन किये गये सभी विभागों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंप दिये गये हैं?

यदि हॉं, तो इसका क्या औचित्य है?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हॉं।

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों को 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से प्रदेश में 14 विषयों को प्रथम चरण में आच्छादित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सम्प्रति प्रक्रिया प्रचलित है।

संविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत सत्ता के विकेन्द्रीकरण एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायतों को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित विभागों के दायित्वों एवं कर्तव्यों का संक्रमण त्रिस्तरीय पंचायतों को किया जाना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रथम चरण में जिन 14 विषयों को स्थानान्तरित किया गया है, वह कौन–कौन से हैं? प्रश्न के दूसरे पार्ट में मैंने पूछा था कि "क्या पंचायतों के अधीन किये गये सभी विभागों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार त्रिस्तरीय पंचायतों को दे दिये गये हैं? इसमें आपने उत्तर दिया है कि "सम्प्रति प्रक्रिया प्रचलित है" तो इसे थोड़ा स्पष्ट कर दें कि कौन सी प्रक्रिया प्रचलित है? जो प्रक्रिया प्रचलित है उसमें क्या राज्य सरकार का कोई नियंत्रण रखने की व्यवस्था सरकार ने की है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, जो 14 विषय इसमें हैं वह पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई तथा कृषि जलागम। इन विषयों को त्रिस्तरीय पंचायतों के अधीन देने की सरकार ने बात की है। संविधान में जो 243 जी और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को पंचायतों को देने की बात कही गई है। जिन 14 विषयों को इसमें शामिल किया गया है निश्चित रूप से सरकार द्वारा, जो तिहत्तरवां संविधान संशोधन हुआ है उसी के अनुसार इसमें करने की व्यवस्था दी गई है। सरकार इस पर विचार कर रही है। इसके लिए मंत्रिपरिषद की उप समिति गठित की गई है, इसमें एक्टिविटी मैपिंग का कार्य हो रहा है, इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरी सुस्पष्ट जानकारी है कि कुछ विभागों पर जिला पंचायतों से हस्तक्षेप किया जा रहा है जैसे लघु सिंचाई, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, जलागम, यह विभाग जिला पंचायत के अन्दर हैं यहां पर तो विरोधाभास हो रहा है। तो क्या इनको प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दे दिये गये हैं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह तो संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत ही दिये जाते हैं जैसा माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि लघु सिंचाई और जलागम यह पंचायतों के

अधीन है। मैंने पहले भी कहा था कि इस पर मंत्रिपरिषद की उप समिति विचार कर रही है और एक्टिविटी मैपिंग पर कार्य हो रहा है और शीघ्र ही इसमें निर्णय हो जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने स्वास्थ्य और शिक्षा भी कहा था। मेरी जानकारी है कि प्रशासनिक नियंत्रण पंचायतों को दिया गया है और आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आंशिक रूप से संशोधन किया गया तो ऐसी स्थिति आ गई। इस पर मंत्रिपरिषद की उप समिति का गठन किया गया है, वह शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अभी तक मंत्रि–परिषद ने निर्णय नहीं लिया है और आपने इस विषय पर शासनादेश जारी कर दिया है। यह तो बहुत विचित्र स्थिति बन गयी है। आज जिलों में जो सक्षम है वह अपने पास सब रख ले रहा है और कमजोर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल रहा है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ कि इस पर सदन में स्पष्ट जानकारी आ जाए।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो शासनादेश जारी हुए हैं, उनके अनुरूप कार्यवाही हो रही है। जब यह शासनादेश जारी हो गये तो उसके बाद यह बात सामने आयी कि पंचायतों को क्या अधिकार दिए जाएं। इस पर विचार करने के लिए मंत्रि–परिषद की उप समिति को निर्णय लेना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मंत्रि–परिषद अभी निर्णय नहीं ले सकी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब तक मंत्रि–परिषद निर्णय नहीं ले लेती तब तक क्या इस शासनादेश को वापस लेकर पूर्व प्रचलित व्यवस्था को ही लागू करने का आदेश जारी करेंगे? मान्यवर, इस शासनादेश के बाद आज जिलों में ऐसा वातावरण बन गया है जिसके कारण जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या जनता की सुविधा के लिए इस शासनादेश को वापस लेंगे?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सही कहा कि विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है अभी मंत्रि–परिषद् का निर्णय आना शेष है। निश्चित रूप से जब तक मंत्रि–परिषद का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इस शासनादेश को लागू नहीं किया जाएगा। मंत्रि–परिषद की सिफारिशें आ जाने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि शासनादेश लागू न करने सम्बन्धी आदेश कब तक जारी कर देंगे? कहीं यह आश्वासन भी खेल वाले आश्वासन की तरह न हो जाए। आपने इसी सदन में आश्वासन दिया था लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की बातों का सम्मान करता हूँ। निश्चित रूप से इस पर विचार करने के बाद आदेश जारी किया जाएगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संशय की स्थिति पैदा हो रही है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी कोई निश्चित समय सीमा दे दें। क्योंकि पूर्व में खेल वाले प्रकरण में आज तक कुछ नहीं हुआ है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस प्रकरण की ओर मेरा ध्यान इंगित कराया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मैंने सदन में समय अवधि की बात कही थी। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैंने कहा था लेकिन इसमें कहीं पर चूक हो गयी है। मैं इस प्रकरण पर तमाम तथ्य सदन के पटल पर रखने का आश्वासन देता हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसमें 14 विषयों की बात कही गयी है। ये 14 विषय न होकर 14 विभाग होने चाहिए थे। 14 विभागों को आपने पंचायतों के अधीन करने का निर्णय लिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों की बैठक होती है तो उसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि फलां–फलां अधिकारी बैठक में नहीं आया इसलिए हम निन्दा का प्रस्ताव पारित करते हैं। हर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में यह व्यवस्था है। आप शासनादेश जारी कर देते हैं लेकिन देखने में यह आया है कि सभी शासनादेशों का पालन नहीं होता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि सभी विभाग जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की बैठकों में आएं और वहां पर जो समस्याएं रखी जाएं, उनका निराकरण वहीं पर किया जाय? मान्यवर, क्या ऐसी व्यवस्था के लिए आदेश देंगे ताकि सुव्यवस्था हो सके?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि 14 विषयों को ग्राम पंचायतों के अधीन करने की बात कही कि ये विषय नहीं विभाग होने चाहिए। संविधान की 11वीं अनुसूची में विभाग नहीं है, उसमें विषयों की बात कही गई है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, विभाग और विषय में क्या अन्तर है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, 14 विषय पंचायतों के अधीन करने की बात कही है जिसके अन्तर्गत 9 विभाग आते हैं। उन विभागों में 14 विषय हैं। मान्यवर, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम बड़ी तत्परता से किया जा रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जैसाकि अभी कहा कि क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में और जिला पंचायतों की बैठकों में अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं। मान्यवर, क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में और जिला पंचायतों की बैठकों में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं। और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होते हैं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है, वहाँ पर अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं। सरकार इस दिशा में कड़ी कार्यवाही करेगी। जो अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, 4 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है अब तक आपने कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की? अगर आपने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की होती तो हम उसका स्वागत करते। आपने कोई कार्यवाही की नहीं है। मात्र यह कह देना कि अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं आपने कितने अधिकारियों को चेतावनी दी है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हमारी सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है आप हम पर आक्षेप करें और मैं आप पर आक्षेप करूँ यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। मेरे संज्ञान में यदि अधिकारियों के बैठकों में अनुपस्थित होने की बात आयेगी तो हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। हम अधिकारियों के तत्काल निलम्बन की बात न कर पहले उनकी चरित्र पंजिका में इंट्री करेंगे। आपके अपने प्रश्न में चूँकि 'कितने अधिकारियों को चेतावनी दी गई है' का उल्लेख नहीं था इसलिए इसकी सही गणना हमारे पास नहीं हैं हाँ, जनपद उत्तरकाशी में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

उत्तरांचल में बी0पी0एल0 श्रेणी के नये कार्डों का वितरण

*5 श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या खाद्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में बी0पी0एल0 के नये कार्डों का वितरण कर दिया गया है। यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री प्रीतम सिंह–

उत्तरांचल राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बी0पी0एल0 के नये कार्ड मुद्रित कराकर जनपदों को उपभोक्ताओं के वितरण हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 सर्वे कराया गया हैं इसके परिणाम प्रकाशित करने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में बी0पी0एल0 का सर्वे किस कालावधि के अन्तर्गत किया गया? किस तिथि से किया गया? क्या सर्वे का कार्य दो चरणों में हुआ? उत्तरांचल में 2003 के सर्वे के पश्चात् उत्तरांचल में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या में कितनी बढोत्तरी हुई है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो पूर्व में 1998 में सर्वे हुआ, उसमें इन परिवारों की संख्या 49800 थी।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, वर्ष 2003 में भारत सरकार का सर्वे हुआ था, वह किस कालावधि के अन्तर्गत किया गया था, वह कब से कब तक का था? क्या उत्तरांचल में यह पूर्ण हो चुका है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर दुबारा सर्वे वर्ष 2003 के अन्दर हुआ, उसके बाद जो सूचना भारत सरकार को भेजी, भारत सरकार ने सूची अभी प्रकाशित नहीं की क्योंकि मामला न्यायालय में है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, वर्ष 2003 में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे को प्रकाशित होने पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। मान्यवर, वर्ष 2003 में जो कार्ड बने हैं, इसमें बहुत से कार्ड ऐसे हैं जो आज तक वितरित नहीं हुए हैं। क्या सरकार ने इनको वितरित करने की व्यवस्था की है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वर्ष 2003 के सर्वे की जब सूची जारी ही नहीं हुई है तो मैं समझता हूँ, जो आपने अवगत कराया है, उसमें कहीं न कहीं कम्यूनिकेशन गैप हो सकता

672

है। क्योंकि जब वर्ष 2003 के बी0पी0एल0 कार्ड बांटे गये हैं तो ये गम्भीर विषय हैं. यदि ऐसा हुआ है तो मैं इसकी जाँच कराऊँगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही दुखद घटना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन कारणों से परिणाम घोषित करने पर रोक लगायी है और जो माननीय न्यायालय में रोक लगी हुई है उसे हटाने के लिए सरकार ने कोई वैधानिक कार्यवाही की है? यदि की है तो उसका विवरण क्या है यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उत्तरांचल सरकार का दायित्व बी0पी0एल0 सर्वे करना है, उसे भारत सरकार को प्रेषित कर दिया है, उसके बाद से यह न्यायालय में है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मामला कहाँ गया है, क्या यह पब्लिक इस्टेबिलिटी में गया है?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मामला न्यायालय में गया है, इस समय मेरे पास बिन्दु उपलब्ध नहीं है। यह प्रकरण पूरे भारत का है, बी0पी0एल0 सर्वे को न्यायालय में चुनौती दी है तो निश्चित रूप से जब यह विषय समाप्त हो जायेगा, तो सूचना दे दूंगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी अवगत हैं कि क्षेत्र में जो बी0पी0एल0 सूची है और जो कार्ड हैं उनमें क्या समानता है? ऐसा भी संज्ञान में आया है कि जो ए0पी0एल0 कार्ड धारक हैं, उनका बी0पी0एल0 में नाम है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरे संज्ञान में क्षेत्र पंचायत में जो ए0पी0एल0 है, वह बी0पी0एल0 में नहीं है। मान्यवर, वर्ष 1998 के सर्वे में ....

मान्यवर, उन्हीं लोगों को बी0पी0एल0 का कार्ड दिया गया और अगर आपकी संज्ञान में ऐसा कोई मामला है तो मेरे संज्ञान में लाइये, तो उसकी जाँच होगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या (5) के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में निर्माण हेतु अधिगृहित भूमि के स्वामियों को कॉलेज में नियुक्ति का अनुबन्ध

*6. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज (खेलकूद कॉलेज) रायपुर, देहरादून निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करते समय स्थानीय निवासी, जिनकी भूमि अधिगृहित की गयी थी, को खेल–कूद कॉलेज में नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने सम्बन्धित अनुबन्ध हुआ था?

यदि हाँ, तो क्या अनुबन्ध के अनुसार प्रभावितों को नौकरियां दी गई?

यदि हाँ, तो कितने लोगों को नौकरी दी गई?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

खेल विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुरूप रोजगार दिये जाने हेतु राज्य सरकार व भू–स्वामियों के मध्य कोई लिखित अनुबन्ध नहीं है, अपितु भूमि अधिग्रहण के समय जारी एवार्ड में इन भू–स्वामियों को नौकरी में प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रभावित परिवारों के दो निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत स्पोर्ट्स कॉलेज में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर के नगर पालिका क्षेत्र सितारगंज स्थित उद्यान को लीज पर देने की शर्तें

*7. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऊधमसिंह नगर के नगर पालिका क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत लगभग 16 एकड़ के उद्यान को उत्तरांचल सरकार द्वारा देहरादून की सैनिक पुनर्वास कल्याण समिति को लीज पर दिया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त लीज की शर्तें क्या हैं?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि सम्बन्धित उद्यान को लीजधारक द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यक्ति को लीज पर दिया गया है?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि जिला उद्यान अधिकारी एवं सितारगंज में नियुक्त उद्यान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित लीज को निरस्त किये जाने हेतु शासन को पत्र लिखा गया है?

यदि हाँ, तो शासन द्वारा उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ, लेकिन लीज पर दिये गये उद्यान का क्षेत्रफल 5.70 हेक्टेयर अर्थात् 14.08 एकड़ है।

संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार

जी नहीं, लेकिन लीज शर्तों के उल्लंघन के तथ्य संज्ञान में आये हैं।

जी हाँ।

सम्बन्धित संस्था को समयबद्ध नोटिस जारी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

एल0पी0जी0 गैस के कोटे में कटौती

*8. श्री हरबंस कपूर–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि एल0पी0जी0 गैस का कोटा केन्द्र सरकार द्वारा कम कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो इस कमी की प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री प्रीतम सिंह–

भारत सरकार द्वारा एल0पी0जी0 गैस के कोटे में कोई कटौती नहीं की गयी है।

ग्राहकों की माँग के अनुसार उपलब्ध गोदामों से एल0पी0जी0 गैस की आपूर्ति की जा रही है।

पूर्व से ही व्यवस्था स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(परिशिष्ट–1 देखिए नत्थी क आगे पृष्ठ 108–109 पर)

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना का स्वरूप एवं वर्ष 2004–05 में स्थापित लघु उद्योगों की संख्या

1. श्री मदन कौशिक–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004–05 में कितने लघु उद्योग स्थापित किये गये।

तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

वर्ष 2004–05 में 2815 लघु उद्योग स्थापित किये गये हैं।

जी हाँ।

राज्य की औद्योगिक नीति–2003 में लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये शासकीय क्रय में क्रय व मूल्य वरीयता, लघु औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण लेने पर देय ब्याज में 3 प्रतिशत अधिकतम रु0 2 लाख तथा दूरस्थ क्षेत्रों में 5 प्रतिशत अधिकतम रु0 3 लाख ब्याज प्रोत्साहन सहायता प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा साख सुविधा (क्रेडिटफ्लो) बढ़ाये जाने के दृष्टिगत भारत सरकार की क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हेतु उत्तरांचल प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस–2005 तथा पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना–2005 दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से क्रियान्वित की है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रेशम उत्पादन को ग्रामीणों के रोजगार से जोड़ने हेतु नीति

2. श्री मदन कौशिक–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में रेशम उत्पादन को ग्रामीणों के रोजगार से जोड़ने हेतु कोई नीति बनाई गई है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल--

यद्यपि प्रदेश स्तर पर स्वतंत्र रूप से रेशम नीति अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन प्रदेश में रेशम उद्योग को ग्रामीण रोजगार से जोड़ने हेतु विभिन्न रोजगार परक योजनायें संचालित की जा रही हैं।

30 रेशम उद्यानों का प्रबन्धन पंजीकृत रेशम सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाना, कीट पालन, उत्तरांचल को-ऑपरेटिव रेशम फैडरेशन के माध्यम से कोया विपणन तथा स्थानीय कृषकों/युवाओं को प्रशिक्षण आदि ग्रामीण रोजगार परक योजनायें संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में रेशम विकास हेतु भविष्य की रणनीति (पर्सपेक्टिव प्लान) तैयार कर ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के तहसील तथा विकास खण्ड मुख्यालयों में मिनी स्टेडियम

3. श्री बिशन सिंह चुफाल--

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में तहसील तथा विकास खण्ड मुख्यालयों में मिनी स्टेडियम बनाने की योजना है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार डीडीहाट तहसील मुख्यालय में स्टेडियम स्वीकृत करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह--

यद्यपि प्रत्येक विकासखण्ड में एक मिनी स्टेडियम निर्माण की अभी कोई नीति निर्धारित नहीं है, तथापि पर्वतीय क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु एक एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध होना नियमानुसार आवश्यक है। तद्नुसार भूमि उपलब्धता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप ही डीडीहाट तहसील मुख्यालय पर मिनी स्टेडियम के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में बी०पी०एल० से ऊपर तथा नीचे जीवन यापन करने वाली यूनिटों की संख्या

4. श्री हरबंस कपूर--

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कुल कितनी यूनिट हैं?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून ग्रामीण क्षेत्र में फर्जी राशनकार्ड बनाने का कोई मामला संज्ञान में आया है?

यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद देहरादून में गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कुल यूनिटों की संख्या निम्न है:–

क्षेत्र	ए0पी0एल0	बी0पी0एल0
ग्रामीण	6,96,273	1,82,565
शहरी	7,87,222	12,810
योग	14,83,495	1,95,375

ग्रामीण क्षेत्र में फर्जी राशन कार्डों के सम्बन्ध में कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी में निर्माणाधीन मनेरा स्टेडियम

5. श्री विजयपाल सिंह सजवाण

एवं

श्री प्रीतम सिंह पंवार

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में निर्माणाधीन स्टेडियम मनेरा का निर्माण कार्य पूरा हो गया है?

यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री प्रीतम सिंह–

वर्ष 1997–98 में इस स्टेडियम के निर्माण हेतु तत्कालीन उ0प्र0 शासन से रु0 85.07 लाख की स्वीकृति हुयी थी। इसमें से रु0 75.07 लाख योजना पर व्यय हो चुके हैं। राज्य गठन के समय उ0प्र0 शासन से स्वीकृत अवशेष धनराशि रु0 10.00 लाख कार्यदायी संस्था को प्राप्त नहीं हो सकी। इस धनराशि के आहरित न होने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं हो सका। अब राज्य सरकार के द्वारा इस अवशेष धनराशि को स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है, जिससे अवशेष निर्माण को यथाशीघ्र पूर्ण किया जा सके।

राज्य के विकासखण्डों में मिनी स्टेडियमों की स्थापना का ब्यौरा

6. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के किन–किन विकासखण्डों में मिनी स्टेडियमों की स्थापना की जा चुकी है?

शेष विकास खण्डों में कब तक मिनी स्टेडियमों का निर्माण पूर्ण करा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

राज्य के निम्न 14 विकास खण्डों में मिनी स्टेडियम निर्माणाधीन हैं।

1–जनपद पौड़ी:–

1–कोट, 2–पौड़ी, 3–नैनीडांडा, 4– थलीसैंण, 5–दुगड्डा

2–जनपद देहरादून:–

1–चकराता, कालसी

3–जनपद चमोली:–

1–नारायणबगड़, 2–कर्णप्रयाग

4–हरिद्वार:–

1–खानपुर

5–उत्तरकाशी:–

1–पुरोला, 2–चिन्यालीसौड़

6–पिथौरागढ़:–

1–गंगोलीहाट, 2–मूनाकोट

राज्य में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम एक एकड़ तथा मैदानी क्षेत्र में 2.5 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की भी उपलब्धता आवश्यक है। इसके अनुरूप ही शेष विकासखण्डों में मिनी स्टेडियम निर्मित किये जाने पर विचारण संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के डामटा क्षेत्र में खाद्यान्न गोदाम की स्थापना

7. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के डामटा नामक स्थान पर खाद्यान्न गोदाम की स्थापना कब तक कर ली जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के डामटा क्षेत्र में खाद्यान्न गोदाम खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान समय में यह क्षेत्र बड़कोट खाद्यान्न गोदाम क्षेत्र से सम्बद्ध है तथा क्षेत्र को सुचारू रूप से खाद्यान्नों/चीनी की आपूर्ति हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में जिला पंचायत राज अधिकारियों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का आधार

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जिला पंचायत राज अधिकारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं?

उनमें से कुल कितने पद सीधी भर्ती से, कितने पद आरक्षित वर्ग से तथा कितने पद पदोन्नति द्वारा भरे गये हैं?

क्या यह सत्य है कि उक्त पदों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति नहीं दी गयी है?

यदि हाँ, तो वरिष्ठता सूची के आधार पर सरकार पदोन्नति प्रदान करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ। प्रदेश में जिला पंचायतराज अधिकारियों के कुल 13 पद स्वीकृत हैं।

कुल स्वीकृत 13 पदों में से 06 पद सीधी भर्ती से जिनमें 04 पद सामान्य एवं 02 पद आरक्षित वर्ग के लिये हैं। 04 पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कार्यरत हैं तथा 01 पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा योगदान नहीं किया गया है शेष 01 आरक्षित पद की पूर्ति हेतु अधियाचन भेजने की कार्यवाही प्रचलित है तथा 07 पद पदोन्नति कोटे के हैं जिन्हें नियमानुसार भरे जाने हेतु भारत सरकार द्वारा कार्मिकों के अन्तिम आवंटन न होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल में स्थित हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन में हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर से पौधों की आपूर्ति

9. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन में आपूर्ति किये जाने वाले पौधे हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर से मंगाये जा रहे हैं?

यदि हाँ, तो क्यों?

क्या उत्तरांचल के किसानों से भी इनकी आपूर्ति की जायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

रोपण हेतु उन्नत किस्म के शीतोष्ण फल पौधों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु।

जी हाँ।

उन्नत किस्म के फल पौधों का क्रय उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया अन्तर्गत बरलगाँव सिरोंली महत्तगाँव, दन्तोला आदि गाँवों के मार्ग को पक्का कर मुख्य मार्ग से जोड़ने पर विचार

10. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया विकास खण्ड के अन्तर्गत बरलगाँव, सिरोली, महत्तगाँव, दन्तोला, महलचौरा, उलैणी, पान, चित्रेली, गैराड़ आदि गाँवों के कच्चे पैदल सड़क मार्ग को पक्का करवाकर मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत द्वारा पक्के सड़क मार्ग का निर्माण धनाभाव के कारण नहीं करवाया जाता है।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत द्वाराहाट/चौखुटिया में मिनी स्टेडियमों का निर्माण

11. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील द्वाराहाट और चौखुटिया में स्टेडियम या मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

वर्तमान नियमों के अनुरूप मिनी स्टेडियमों के निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में एक एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध होनी आवश्यक है। इसके उपलब्ध होने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता के अनुरूप ही इन स्थलों पर मिनी स्टेडियम निर्माण पर नियमानुसार विचार संभव है।

प्रश्न नहीं उठता।

12. श्री प्रीतम सिंह–

प्रथम सोमवार के अता0 136 में स्थानान्तरित

राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु औद्यानिकी स्वरोजगार की योजना

13. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों हेतु औद्यानिकी स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो योजना का प्रारूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उद्यान विभाग के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, कूल हाउस, पैक हाउस, टिशू कल्चर लैब की स्थापना, औद्यानिकी एवं मौनपालन प्रशिक्षण मशाला उत्पादन, बेमौसमी सब्जी उत्पादन आदि पर छात्रवृत्ति एवं योजनानुसार राज सहायता दिये जाने की रोजगार परक योजनायें पूर्व से ही संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत अन्य के अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगार नौजवान भी औद्यानिकी स्वरोजगार अपना सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

14. श्रीमती आशा देवी–

प्रथम मंगलवार के अता0 91 में स्थानान्तरित

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत वनचौरा में खाद्य गोदाम की स्थापना

15. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के वनचौरा नामक स्थान में खाद्य गोदाम स्थापित किया जा चुका है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ। खाद्यान्न गोदाम बनचौरा, उत्तरकाशी में स्थापित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के स्वरोजगारियों को होटल ढाबे हेतु राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्त पोषण

16. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के कुल कितने स्वरोजगारियों द्वारा होटल ढाबे के प्रस्ताव वर्ष 2004–05 में राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे? उनमें से कुल कितने स्वरोजगारियों को वित्त पोषित किया जा चुका है?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा वर्ष 2004–05 में जनपद उत्तरकाशी में भारत सरकार की विशेष रोजगार कार्यक्रम (मार्जिन मनी) योजना में ढाबा उद्योग के अन्तर्गत पांच स्वरोजगारियों को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। जिसमें से दो स्वरोजगारियों को वित्त पोषित किया गया है।

जनपद उत्तरकाशी के मनेरी में निर्मित युवा छात्रावास का संचालन

17. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खेल कूद व युवा कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के मनेरी में युवा छात्रावास का निर्माण काफी वर्षों पहले किया जा चुका है?

यदि हाँ, तो उपरोक्त युवा छात्रावास का संचालन कब से प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ, जनपद उत्तरकाशी के मनेरा में युवा छात्रावास भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2001 में पूर्ण हो चुका है।

छात्रावास में वार्डन तथा अन्य स्टॉफ की तैनाती भारत सरकार द्वारा की जानी है। भारत सरकार द्वारा वार्डन की नियुक्ति हो जाने के उपरान्त संचालन हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ के वि0ख0 गंगोलीहाट के चौरपाल–नागघूणा, रैतोला स्वीकृत पैदल मार्ग को पक्का करने की कार्यवाही

18. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि प्रथम विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये दि0 29–3–2005 को नियम–301 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विकास खण्ड के चौरपाल–नागघूणा–रैतोला पैदल मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, पिथौरागढ द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है?

यदि हाँ, तो कब तक पैदल मार्ग को पक्का कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन के अन्तर्गत काश्तकारों को प्रदान सहायता

19. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन के अन्तर्गत काश्तकारों को क्या–क्या सहायता प्रदान की जाती है? तथा जनपद नैनीताल में इस योजना के तहत कितने काश्तकार अब तक लाभान्वित हुए हैं?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन के अन्तर्गत प्रदत्त की जाने वाली सहायता का विवरण संलग्न है।

जनपद–नैनीताल में अब तक हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन की योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 6271 काश्तकार लाभान्वित हुए हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 110–111 पर)

जनपद पिथौरागढ़ स्थित स्टेडियम में बॉक्सिंग, फुटबाल तथा बास्केटबाल के आवासीय केन्द्र की स्थापना

20. श्री प्रकाश पन्त–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में स्थित खेल स्टेडियम में बॉक्सिंग, फुटबाल तथा बास्केटबाल के आवासीय केन्द्र स्थापित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हॉं, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

पिथौरागढ़ में स्थापित खेल परिसर में एथलेटिक्स का आवासीय छात्रावास स्थापित है। वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के अधीन वहाँ पर अन्य खेलों के आवासीय केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 विण अन्तर्गत भुरमुनी, कुम्याचौड़, गुरना तथा वि0ख0 मूनाकोट अन्तर्गत झौलखेत, आठगॉंव शिलिंग आदि में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण

21. श्री प्रकाश पन्त–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड विण के अन्तर्गत भुरमुनी, कुम्याचौड़, गुरना में तथा विकासखण्ड मूनाकोट अन्तर्गत झौलखेत, आठगॉंव शिलिंग, चोली, सल्ला में मिनी खेल स्टेडियम निर्मित किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हॉं, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

वर्तमान नियमों के अनुरूप मिनी स्टेडियमों के निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में एक एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध होनी आवश्यक है इसके उपलब्ध होने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता के अनुरूप ही इन स्थलों पर खेल स्टेडियम निर्माण पर नियमानुसार विचार सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेलों के समुचित विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नीति

22. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

एवं

श्री मदन कौशिक

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में खेलों के समुचित विकास हेतु व नये खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा खेल नीति बनाई गई है?

यदि हाँ, तो वह क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

राज्य के लिये प्रथम खेल नीति का प्रारूप शासन के विचाराधीन है। इस पर अभी अन्तिम निर्णय नही लिया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल शहर में ट्रेड हाकी कप प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता

23. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल शहर में ट्रेड हाकी कप प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 1982–83 से लगातार किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो इस राष्ट्रीय स्तर की हाकी प्रतियोगिता को और अधिक सुव्यवस्थित एवं बेहतर करने के लिये सरकार कोई आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

आयोजकों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त प्रस्ताव पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राशन की दुकानों में खाद्यान्नों की सुनिश्चित आपूर्ति

24. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल में राशन की दुकानों में चीनी, चावल एवं गेहूँ की आपूर्ति बार–बार बाधित हो रही है?

यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

क्या सरकार राशन की दुकानों पर प्रत्येक माह राशन आपूर्ति सुनिश्चित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का आवंटन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को समयान्तर्गत कर दिया जाता है, जिसकी आपूर्ति उपभोक्ताओं को तदनुसार सुनिश्चित की जाती है। मात्र चीनी की आपूर्ति माह जुलाई एवं अगस्त, 2005 में भारत सरकार (शर्करा निदेशालय) द्वारा आवंटित चीनी मिलों के आवंटन में नमी युक्त चीनी उपलब्ध होने एवं फसल वर्ष 2002–2003 की उत्पादित चीनी, अच्छी गुणवत्ता की न होने के कारण उसका उठान समयान्तर्गत नहीं हो सकता, जिसे पुनः भारत सरकार के नई फसल वर्ष 2004–2005 के उत्पादन के आवंटन के पश्चात् उठान/वितरण सुनिश्चित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में खेल विद्यालय की स्थापना

25. श्री प्रकाश पन्त–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में विभिन्न खेल प्रतिभाओं की व्यापक सम्भावना को देखते हुये क्या सरकार खेल विद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

वर्तमान में प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने हेतु देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित है। प्रदेश में किसी भी अन्य स्थल पर खेल विद्यालय की स्थापना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

पंचायत राज विधेयक को संशोधित करने पर विचार

26. श्री प्रकाश पन्त–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार राज्य के पंचायत राज विधेयक को संशोधित करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त संशोधन कर दिये जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय उद्यानों को लीज में दी गई तिथि से 30–06–2005 तक प्राप्त राजस्व

27. श्री प्रकाश पन्त–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल स्थित राजकीय उद्यानों को लीज में दिये जाने की तिथि से 30 जून, 2005 तक सरकार को प्राप्त राजस्व का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?

क्या मंत्री जी, यह भी बतायेंगे कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व जमा न करने वाली संस्थाओं / व्यक्तियों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी?

यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई?

यदि नहीं, तो क्यों?

(विस्तृत विवरण देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 112–113 पर)

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

दिनांक 30 जून, 2005 तक लीज पर दिये गये उद्यानों से रुपया 15,90,694.00 (रुपये पन्द्रह लाख नब्बे हजार छः सौ चौरानबे मात्र) का राजस्व प्राप्त हुआ है। (विस्तृत विवरण संलग्न है)

जी हाँ।

राजस्व जमा न करने वाली 08 संस्थाओं/व्यक्तियों को नोटिस दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में लीज पर दिये उद्यानों का लीजधारक सहित विवरण

28. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल में स्थित उद्यानों को लीज पर दिया गया है?

यदि हाँ, तो सम्बन्धित उद्यानों का स्थान, उनका क्षेत्रफल, उनमें फलदार वृक्षों की संख्या, वृक्षों की आयु, लीजधारक संस्था का नाम व पता, लीज की अवधि एवं लीज राशि तालिका सदन पटल पर रखेंगे?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

वांछित विवरण संलग्न है।

जनपद पौड़ी में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत गाँवों में खाद्यान्न का वितरण

29. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न जनपद पौड़ी गढ़वाल के दूर दराज के गांवों में नहीं पहुँच रहा है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त राशन क्षेत्रवासियों को उपलब्ध करवायेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

भारत सरकार से अन्नपूर्णा योजना के लिए आवंटित खाद्यान्न (चावल) माह अगस्त, 2005 तक जनपद पौड़ी के चयनित पात्र 3001 लाभार्थियों को उपलब्ध करा दिया गया है तथा वर्ष 2005–06 के लिए खाद्यान्न का आवंटन कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी ध आगे पृष्ठ 114–118 पर)

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में गरीब जनता को चिन्हित करके बी0पी0एल0 कार्डों द्वारा राशन का वितरण

30. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल के पर्वतीय जनपदों की जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे निर्धन लोगों को जिनके बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बने हैं को चिन्हित कर कन्ट्रोल दर पर राशन उपलब्ध करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

पर्वतीय क्षेत्र में 3,67,847 बी0पी0एल0 कार्ड, मैदानी क्षेत्र में 1,30,153 बी0पी0एल0 कार्ड तथा राज्य में कुल 4,98,000 बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं। भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले सर्वे के आधार पर गरीबी की रेखा के नीचे के जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हांकिन किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 1998 में भारत सरकार द्वारा किये गये बी0पी0एल0 सर्वे के आधार पर जारी किये गये कार्ड प्रचलन में है। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा कराये गये बी0पी0एल0 सर्वे के निष्कर्षों के प्रकाशन पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगांव में ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती

31. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में ग्राम पंचायत अधिकारियों के 10 पद लम्बे समय से रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर तैनाती करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ, जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में ग्राम पंचायत अधिकारियों के 08 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 नौगांव में भूस्खलन से मोटर मार्ग अवरुद्ध होने के कारण राना अथवा स्यानाचट्टी में राशन भण्डार की स्थापना

32. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में 26–27 जुलाई, 2005 को अतिवृष्टि भूस्खलन के कारण बड़कोट से आगे राजमार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण राशन सप्लाई बन्द हो गयी थी?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा राशन आपूर्ति की क्या व्यवस्था की गयी है?

क्या सरकार प्रत्येक वर्ष बरसात में होने वाली परेशानियों के मध्यनजर अथवा राना अथवा स्यानाचट्टी में राशन भण्डार स्थापित करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हाँ।

विकास खण्ड नौगांव में 26–27 जुलाई, 2005 में अतिवृष्टि भूस्खलन के कारण मोटर मार्ग अवरुद्ध होने से यातायात व्यवस्था बाधित रही। उक्त तिथि के पश्चात् खाद्यान्न भण्डार बड़कोट से राशन की आपूर्ति की गयी।

वर्षा काल में भूस्खलन तथा मार्ग अवरुद्ध होने के दृष्टिगत् राज्य के सभी दुरूह पर्वतीय क्षेत्र में स्थित खाद्यान्न गोदामों में तीन माह का खाद्यान्न अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाता है। उत्तरकाशी जनपद के राना अथवा स्यानाचट्टी के लिए बड़कोट गोदाम में खाद्यान्न भण्डारित रहता है, जिसे आवश्यकतानुसार वितरण किया जाता है। फिलहाल गोदाम की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध की टनल (सुरंग) टी–2 को बन्द किये जाने पर चर्चा की मांग

*श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन का संरक्षण चाहता हूँ। मान्यवर, लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद–21 में बाँध रक्षा का सवाल है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह किस नियम में आता है, आप लिखित दे दें।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सवाल महत्वपूर्ण है, इतने लोगों के जीवन का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

इसे ले लेंगे, लेकिन नियमों के अन्तर्गत लायें।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियमों के तहत कार्य होता है।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मेरी छोटी सी प्रार्थना है, दो लाख लोगों से जुड़ा प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदन नियमों से चलता है।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा सुन लें। मान्यवर, टी–2 बन्द होने वाला है और बन्द होने के बाद प्रतापनगर में यातायात बन्द हो जायेगा। मान्यवर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था और वहाँ माननीय कोश्यारी जी भी थे। मान्यवर, अगर 15 अक्टूबर को टी–2 बन्द होता है तो वहाँ कई लोग अपने प्राणों की आहुति दे देंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन सदन में इस तरह की परम्परा न बने।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित रूप में दे दें, नियमों में ले लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियम–311 में नोटिस दे दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने नियमावली बनाई है उस नियम का आज ही श्री गणेश कर दें।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आप नियमों का निलम्बन करके और लोगों की जान की रक्षा के लिए यह सुन सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आपने लिखित रूप में सूचना दी है, आपको चर्चा में भाग लेने का मौका मिलेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, नियम–311 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित रूप में दे दें। (व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, अनुपूरक बजट में जो आधे घण्टे की चर्चा रखी है उसमें आप अपनी बात कह दें।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–301 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री अनिल नौटियाल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्री हरबंस कपूर, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री मदन कौशिक की सूचनाओं को नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय श्री फूल सिंह बिष्ट जी ने इसमें सूचना दी थी, यह मामला बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी गम्भीरता को हम समझ रहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, श्री फूल सिंह बिष्ट जी की सूचना है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय श्री फूल सिंह जी और श्री किशोर उपाध्याय जी बोल रहे हैं, यह गम्भीर मामला है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इसको 301 में स्वीकार कर लिया जाय। हमारी एक सूचना है उसको भी ले लिया जाय।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जो सूचनायें होती हैं उन्हीं पर विभागीय मंत्री तैयारी करके आते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक माँगों पर चर्चा के समय अपनी बात रख सकते हैं।

ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सकों के मानदेयों में विसंगति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, सी0पी0एम0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण श्रेणी तीनों पैथी ऐलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथ चिकित्सकों का चयन विधि मान्यताओं द्वारा किया जाता है और प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों की नियुक्ति शासन द्वारा रेग्यूलर अथवा संविदा पर की गई, किन्तु शासन द्वारा ऐलोपैथिक चिकित्सकों का मानदेय संविदा पर 15,000.00 रुपये किया गया और आयुर्वेद तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों का मानदेय 10,000.00 किया गया। जबकि तीनों पद्धति के पद एक ही हैं तथा रोग विशेषज्ञ तीनों ही हैं। एक ही कार्य, समान पद होने के साथ–साथ वेतन में विसंगति का कोई साफ कारण शासन द्वारा नहीं दिया गया है। इस प्रकार की विसंगति एवं भेदभाव से आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों के कार्य एवं उत्साह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इस प्रकार की विसंगति व असमानता को दूर कर एक समान मानदेय 15000/– रुपये दिया जाना न्यायोचित है। अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद चमोली के स्थान गैरसैंण के लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले की स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जनपद चमोली के स्थान गैरसैंण में लो0नि0वि0 के अधीन एक डाकबंगला है जिसका निर्माण 1928 में किया गया था, किन्तु आज यह बंगला रहने लायक भी नहीं है। इसकी जीर्ण–शीर्ण स्थिति को देखते हुए इस बंगले में रुकने में भी हमेशा डर लगा रहा है। विभागीय अधिकारियों से कई बार इस सम्बन्ध में वार्ता करने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे हमेशा कोई बड़ी दुर्घटना के होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट नगर की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट नगर हेतु वर्ष 1995–96 में पेयजल योजना का निर्माण किया गया था। उस समय नगर की जनसंख्या पाँच हजार थी। आज नगर की जनसंख्या दस हजार है। पेयजल के स्रोतों में गर्मी में पानी कम होता जा रहा है जिस कारण क्षेत्र में पेयजल की समस्या बनी है। जनता पेयजल की माँग लम्बे समय से करती आ रही हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं जिस कारण जनता में रोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र रुड़की में बरसात के कारण हुई तबाही व जन–धन की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र रुड़की में पिछले दिनों हुई ताबड़तोड़ बारिश के कारण क्षेत्र में काफी जन–धन की हानि हुई। कई लोग बेघर हो चुके हैं तथा कई परिवारों के लोग इस तबाही के शिकार भी हो गये हैं। महोदय, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है जो आज तक ठीक नहीं हो पायी, जिस कारण बरसात के दिनों में क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि क्षेत्रीय जनता शासन प्रशासन को अपनी इस समस्या के बारे में कई बार कह चुकी है, लेकिन अभी तक इस दिशा में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है और कभी भी आन्दोलन की राह पकड़ सकते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चर्चा की माँग करता हूँ।

यमकेश्वर वि0ख0 के अन्तर्गत अनेक प्राथमिक विद्यालयों की जीर्ण–शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, प्रदेश के भविष्य हमारे नौनिहालों को प्राथमिक शिक्षा को समुचित वातावरण में उपलब्ध कराना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है परन्तु खेद का विषय है कि अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना तो दूर, सरकार अभी तक भी प्राथमिक विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकता एक सुदृढ़ भवन भी उपलब्ध कराने में असफल रही है। प्रदेश में अनेक विद्यालयों के भवनों की स्थिति इतनी जर्जर हो चली है कि कभी भी किसी बड़ी

नोट– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।]

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुर्घटना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अनेक विद्यालयों में तो जर्जर भवन के गिरने के भय से अध्यापक खुले आसमान के नीचे शिक्षा प्रदान करने को मजबूर हैं, जिसके चलते बरसात गर्मी एवं सर्दी से जूझना पड़ता है। महोदय, प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्थिति और भी बदतर हो चली है। यमकेश्वर विकास खण्ड के अन्तर्गत अनेक प्राथमिक विद्यालय जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं तथा कभी भी धराशाही हो सकते हैं जिससे बड़ी दुर्घटना की सम्भावना व्याप्त है। मान्यवर, सूचना लोक महत्व की तथा अविलम्बनीय है। अतः नियम–301 के अन्तर्गत इस सूचना के माध्यम से मैं सदन का ध्यानाकर्षित कर इस पर समुचित कार्यवाही की माँग करता हूँ।

अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में कृषि की उन्नत व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड चौखुटिया एक ऐसा विकास खण्ड है जो सर्वाधिक उपजाऊ एवं कृषि आधारित क्षेत्र है। यहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं जिससे यहां की लगभग 30 हजार जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लेकिन यहां के कृषकों को कृषि के उन्नत तकनीक व उन्नत बीज एवं खादों का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है तथा यहां की फसलों पर शोध कर उत्पादन बढ़ाने हेतु भी सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। गेवाड़घाटी के नाम से प्रसिद्ध इस विकास खण्ड में आम, नीबू, संतरा, अमरुद सहित प्रचुर मात्रा में फल उत्पादन होता है इसका भी समुचित लाभ यहां के कृषकों को नहीं मिल पाता है जिससे गेवाड़घाटी की जनता में भारी रोष व्याप्त है। जनता आन्दोलन करने को तैयार है। फलतः यहां पर पंतनगर विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान केन्द्र अविलम्ब खोलने की व्यवस्था की जाय। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

मार्च 2003 में उत्तरांचल जल विद्युत निगम एवं उत्तरांचल विद्युत निगम द्वारा 154 पदों पर सहायक अभियन्ताओं की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के पश्चात् भी पूरी रिक्तियां नहीं भरी जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, गत मार्च 2003 के उत्तरांचल जल विद्युत निगम एवं उत्तरांचल विद्युत निगम में सहायक अभियन्ता के 154 पदों हेतु आवेदन मांगे गये थे। जिसकी लिखित परीक्षा 8 जून, 2003 को सम्पन्न हो गयी थी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 8 अगस्त, 2003 को अखबारों के माध्यम से घोषित कर दिया गया था। सितम्बर, 2003 में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया लेकिन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किन्हीं कारणों से साक्षात्कार रोक दिया गया। पुनः 8 महीने बाद मई, 2004 को साक्षात्कार किया गया। लेकिन साक्षात्कार के बाद आज तक भी पूरी रिक्तियां नहीं भरी गयी हैं। इसके नहीं भरे जाने से अनेक अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है। विषय अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं तात्कालिक है। अतः सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के आकस्मिक निधन पर शोकोद्गार

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जसवन्त सिंह बिष्ट पुत्र स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट का जन्म 19 नवम्बर, 1929 को ग्राम तिमली पोस्ट खटलगांव जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। इनकी माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती उछुली देवी था। इन्होंने ग्राम तिमली में शिक्षा ग्रहण की। ये उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में अग्रणी रहे। श्री जसवन्त सिंह वर्ष, 1958 में राशनिंग रेट कंट्रोल आदेश के तहत रानीखेत जेल में रहे। वर्ष, 1962 में आप विकास खण्ड स्याल्दे के कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख तथा वर्ष, 1971 में ब्लाक प्रमुख चुने गये। वर्ष, 1975 में आपातकाल के दौरान जेल भेजे गये। वर्ष, 1979 में आप उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के संस्थापक तथा अध्यक्ष रहे। श्री जसवन्त सिंह वर्ष, 1980 में प्रथम बार रानीखेत विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुये। पुनः वर्ष, 1989 में आप द्वितीय बार विधानसभा सदस्य चुने गये। आप वर्ष, 1989 में लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए किन्तु असफल रहे। आपने उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान स्वर्गीय श्री इन्द्रमणि बडोनी जी के साथ 72 दिन की धारचूला से देहरादून की पैदल यात्रा की। श्री जसवन्त सिंह का निधन 04 अक्टूबर, 2005 को उनके निवास विधायकपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ में हो गया। उनके दो पुत्र श्री मनोहर सिंह एवं श्री रमेश सिंह तथा तीन पुत्रियां श्रीमती कौशल्या देवी, श्रीमती गोविन्दी देवी तथा श्रीमती तारा देवी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके निधन की सूचना पर स्वयं लखनऊ गये थे। उन्होंने मुझे इसकी जानकारी दी है। स्वर्गीय श्री जसवन्त सिंह बिष्ट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संघर्ष किया था। उनके निधन पर मैं शोक व्यक्त करती हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, हम सभी के लिए यह एक दुःखद समाचार है कि एक प्रखर समाजवादी विचारधारा के चिन्तक और व्यक्तित्व वाले और उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के बहुत बड़े संघर्षशील आन्दोलनकारी स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह बिष्ट जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 4 अक्टूबर, 2005 को लखनऊ में वह हमसे दूर चले गये। इस मौके पर हमारी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो शोक संदेश सदन में प्रस्तुत किया उससे मैं स्वयं को और अपने दल के सभी माननीय सदस्यों को सम्बद्ध करता हूँ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे एक बहुत ही प्रखर राजनैतिक कार्यकर्ता तथा जमीन से जुड़े हुये थे और उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में सक्रिय होने से पहले भी वह स्थानीय स्तर पर कई ऐसे आन्दोलनों से जुड़े रहे। एक बार जब वह कनिष्ठ ब्लाक प्रमुख थे तो वहां पर जो घोड़ा चलाने वाले लोग थे, जो घोड़ों से माल ढोते थे, उनको संगठित कर जो उनकी किराया बढ़ाने की मांग थी उसके लिए आन्दोलन किया था। यह उदाहरण देने का अर्थ यह था कि वे छोटे से छोटे स्तर के आन्दोलनों से भी जुड़े रहे थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही संवेदनशील था। बहुत बड़े समाजवादी होने के साथ ही साथ वे बहुत बड़े मानवतावादी भी थे। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान वे पूरे समर्पण के साथ आन्दोलन में रहे। उन्होंने स्वर्गीय इन्द्रमणि बडोनी जी के साथ धारचूला से देहरादून तक की 72 दिनों की यात्रा भी की थी और लोगों को राज्य आन्दोलन के बारे में बताया था। उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया था। उनकी प्रखरता का एक उदाहरण देना चाहूँगा जो उनकी साफगोई और बेबाकी का परिचय देता है।

वर्ष 1989 में जब वे दोबारा विधायक बने थे और मैं भी दोबारा विधायक चुना गया था तो लखनऊ में पर्वतीय विकास परिषद् हुआ करती थी, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे, उनकी एक बैठक हुई थी। तब किसी सन्दर्भ में बात आई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी को उन्होंने कहा था कि आप चुप रहिये, आप कुछ नहीं जानते, आपसे सीनियर समाजवादी मैं बैठा हूँ। तो ऐसा साफगोई वाला व्यक्तित्व था उनका। इसी तरह से स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी ने भी उनके उसी व्यक्तित्व के बारे में बताया था। जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी अल्मोड़ा के दौरे पर थीं तो वहां पर भी उन्होंने ऐसी ही साफगोई से अपनी बात को उनके सामने रखा था। क्षेत्र की कई समस्याओं से उन्हें बेबाकी से अवगत कराया था। मान्यवर, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रखर था। मान्यवर, आज वे हमारे बीच नहीं रहे। मान्यवर, यह जो जीवन परिचय बनाया गया है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गयी है, मैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।

मान्यवर, जब 1980 में पहली बार जसवन्त सिंह बिष्ट जी विधायक बने थे तो वे उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के टिकट पर चुने गए थे। हालांकि सरकारी दस्तावेजों में उस समय उत्तराखण्ड क्रान्ति दल रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी। इसमें उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी दर्शाया गया है। मान्यवर, 1989 में आप दोबारा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के टिकट पर चुनाव लड़ कर विधायक चुने गए। 1985 में लोकसभा का चुनाव भी आपने उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के टिकट पर पड़ा था। इस जीवन परिचय में लोकसभा चुनाव का वर्ष 1989 दर्शाया गया है। मेरा अनुरोध है कि इसमें सुधार कर लिया जाय। मान्यवर, आज स्वर्गीय बिष्ट जी हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनके व्यक्तित्व की छाप

हमारे पास है। अच्छा होता कि वे कुछ दिन और हमारे बीच में रहते और हमें उनके विचार और चिन्तन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता। लेकिन विधि को यह मंजूर नहीं था और वे हमारे बीच से चले गए। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी भावनाओं से अवगत करा दें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री जसवन्त सिंह बिष्ट जी हमारे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। उनकी मृत्यु का समाचार सुन कर मुझे हार्दिक कष्ट हुआ। वे बहुत ही सरल विचार के थे। जिस विधान सभा क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उसी विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। इस कारण मुझे कई बार उनके विचार और मार्ग दर्शन प्राप्त करने का मौका मिला। भले ही हमारी विचारधारा में अन्तर था लेकिन हमारे बीच प्रगाढ़ता थी। अभी दो महीने पहले वे हमारे यहां आए थे, तब काफी वृद्ध होने के कारण कमजोर हो गए थे और बीमार भी थे। मैंने ही उनके रहने की व्यवस्था की थी। मान्यवर, उनका जो कृतित्व था, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि स्याल्दे विकास खण्ड जो अल्मोड़ा जिले में है, जब श्री बिष्ट जी स्याल्दे के ब्लाक प्रमुख बने तो ब्लाक प्रमुख होने के बावजूद खेतों में हल चलाते थे। मेरे संज्ञान में है कि श्री बिष्ट जी सोशलिस्ट पार्टी में भी रहे। मान्यवर, उनके सामने हम बच्चे हैं। उनका बड़ा बेटा मनोहर सिंह और मैं साथ–साथ पढ़े हैं, उनके बारे में चुनाव प्रचार के दौरान कहा जाता था "सुखी गलड़ा, फाटी कोट, जसवन्त सिंह जी के दियो वोट"। जनता में बहुत अधिक सम्मान होने के कारण उन्हें लोकल लैंग्वेज में 'जसवंत दा' और 'जसवंत का' भी पुकारा जाता था।

मान्यवर, जब कोई व्यक्ति विधायक रहता है तो उसको जो सम्मान मिलता है यदि वही सम्मान विधायक न रहने के बाद भी उसे मिले तो यह उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऐसा ही व्यक्तित्व स्वर्गीय श्री जसवन्त सिंह बिष्ट जी का था।

मान्यवर, लोग उन्हें आमंत्रित करते थे कि हमारे यहाँ रहिये, भोजन करिये। बड़े ही सरल स्वभाव के और प्रेरणा के स्रोत थे। वास्तव में वे उत्तरांचल के गाँधी थे। उनका जितना सीधा और सरल स्वभाव था उतना ही उनका पहनावा भी सरल था। कोई चढ़क–भड़क नहीं। मुझे याद है कि एक बार भिक्यासैंण के चुनाव के दौरान उनके पैर में चप्पल तक नहीं थी। इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इस अवसर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी भावनाओं को भी आप उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जुझारु और संघर्षशील स्वभाव के व्यक्ति का 4 अक्टूबर, 2005 को लखनऊ में निधन हो

गया। मैं उनके साथ कई बार बैठा हूँ। मान्यवर, जब मेरे पास उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार था। मुझे उनके शब्द आज भी याद आते हैं। वे कहते थे, हम उत्तरांचल को कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ायें, कैसे लोगों को रोजगार मिले, दूरस्थ क्षेत्रों का कैसे विकास हो। चूँकि दूरस्थ क्षेत्रों में अस्पताल नहीं, सड़कों का अभाव और कॉलेजों का अभाव है इसके लिए आप योजनाएं बनायें। यह शब्द भी हमारे कानों में गूंजता है। फिर जब मैं वन मंत्री बना तो वे कहते थे कण्डारी जी वन विभाग में रोजगार परक योजनायें चलायें, वन विभाग उत्तरांचल को बहुत कुछ दे सकता है। जड़ी–बूटी दे सकता है। हमें जनता के लिये स्वरोजगार योजनाएं वन विभाग के माध्यम से बनानी चाहिए।

माननीय अजय भट्ट जी ने जैसा कि उनके सरल स्वभाव के बारे में उल्लेख किया वास्तव में एक बार वे मेरे कक्ष में आये, बैठे और उसके बाद कहने लगे मैं जसवन्त सिंह हूँ, मैं विधायक रहा हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। जैसा कि ऐरी जी ने कहा कि वे गाँधीवादी और समाजवादी विचारधारा के थे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी लोकप्रियता इस बात से भी पता चलती है कि एक बार वे कनिष्ठ प्रमुख और दूसरी बार ब्लाक प्रमुख और दो बार विधायक भी चुने गये। इससे प्रतीत होता है कि जनता में उनकी बहुत अधिक लोकप्रियता थी, उनकी एक अलग पहचान थी।

मान्यवर, जसवन्त सिंह जी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के संस्थापक भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने धारचूला से देहरादून तक 72 दिन की यात्रा कर यह साबित किया कि वे जनता के दुख–दर्द को, उनकी पीड़ा को अनुभव करते हैं। मान्यवर, आज श्री जसवन्त सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन उनकी याद हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। उनकी सादगी और समाजवादी विचारधारा हमको प्रेरित करती रहेगी। उनके निधन पर मैं अपनी ओर से शोक संवेदना अर्पित करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले।

श्री अध्यक्ष–

श्री जसवन्त सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनका जो जीवन परिचय है वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे भी उनके साथ काम करने का उत्तर प्रदेश असेम्बली में 1989 में अवसर प्राप्त हुआ। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और सरलता से भरा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के अग्रणी नायकों में उनका नाम है उनका इस आन्दोलन में जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय और इतिहास में लिखा जायेगा तो निश्चित रूप से उन सब बातों का जो उनका जीवन संघर्षमय रहा है वह बार–बार याद रहेगा। जैसा कि स्व0 सिंह दो बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। मैंने देखा उत्तरांचल की आवाज को

और उत्तराखण्ड की आवाज को, पूरे पहाड़ की आवाज को वह बड़ी बेबाकी और सरलता से उत्तर प्रदेश विधान सभा में बड़े निर्भय और निडर होकर रखते थे। जब मैं उनसे मिलता था, तो ऐसा नहीं लगता था कि ये दो बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे हैं, वे सादगी की प्रतिमूर्ति नजर आते थे। पैरों में चप्पल पहनते थे। वे एक आम आदमी का पहनावा पहनते थे। ऐसा सादगी भरा जीवन कम ही देखने को मिलता है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति पार्टी के माननीय सदस्य श्री काशी राम ऐरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री अजय भट्ट जी ने तथा नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी जी ने उनके प्रति जो भावनाएं व्यक्त कीं, मैं भी अपने को इनसे सम्बद्ध करता हूँ और माननीय सदस्यों की भावनाएं शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा।

अब हम दो मिनट मौन के लिए खड़े होते हैं।

(दो मिनट का मौन रखा गया।)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (संशोधन) नियमावली, 2005

*पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (संशोधन) नियमावली, 2005 की धारा 237 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (संशोधन) नियमावली, 2005 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

वर्ष 2004–2005 का स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2004–2005 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लेखा–परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8 (3) के अन्तर्गत वर्ष 2004–2005 का स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2004–2005 का सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा–परीक्षा प्रभाग का वार्षिक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखती हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के जूनियर हाईस्कूल बड़ेथी (धरासू) तहसील डुण्डा का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी के जूनियर हाईस्कूल बड़ेथी (धरासू) तहसील डुण्डा का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलबीर सिंह नेगी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005

* कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005

पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन तथा निवारण विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री अरविन्द पाण्डे तथा श्री अनिल नौटियाल, श्री काशी सिंह ऐरी एवं श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री मदन कौशिक तथा श्री नारायण पाल जी की कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से मैं श्री मदन कौशिक, श्री अजय भट्ट, श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री अरविन्द पाण्डे तथा श्री अनिल नौटियाल जी की सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मेरी सूचना लोक महत्व की और तात्कालिक है।

श्री अध्यक्ष–

आप दे दीजिएगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरी सूचना अति महत्वपूर्ण है, पूरे उत्तरांचल में मिनिस्टीरियल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप दे दीजिएगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने कल और आज भी सूचना दी है। मान्यवर, मिनिस्टीरियल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

श्री अध्यक्ष–

आज पी0आर0डी0 जवान का लिया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी सूचना को ग्राह्यता पर सुनने के लिए स्वीकार किया। मान्यवर, रुड़की में कन्हैया लाल पॉलिटैक्निक सहायता प्राप्त संस्थान है और उसमें विज्ञप्ति जारी की गई। प्रधानाचार्य और प्रवक्ता विद्युत, इलैक्ट्रॉनिक्स विद्युत, कम्प्यूटर, गणित, भौतिकी, कर्मशाला अनुदेशक के पदों को भरने के लिए यह विज्ञप्ति जारी की गई।

मान्यवर, इसमें एक निश्चित योग्यता इस विज्ञप्ति में माँगी गई। सर्वप्रथम डा0 डी0बी0 गोयल जी की अध्यक्षता में दिनांक 26–6–2004 को प्रधानाचार्य पद हेतु साक्षात्कार कराया गया। जिसमें श्री आर0एल0 निगम सम्मिलित थे क्योंकि इनके खिलाफ संस्था में भ्रष्टाचार, अराजकता एवं जातिवाद के कई मामले थे। उन पर पहले से ही 30 हजार रुपये की रिकवरी के भ्रष्टाचार के आरोप थे, उक्त तथ्यों की जानकारी कार्यवाहक अध्यक्ष प्रबन्ध समिति डा0 डी0बी0 गोयल द्वारा निदेशक श्री एम0पी0 गुप्ता को दी गई थी जो कि प्रधानाचार्य पद हेतु साक्षात्कार में स्वयं उपस्थित हुए थे। इसके उपरान्त प्रधानाचार्य पद को भरने के लिए पुनः विज्ञापन कराये जाने हेतु आदेश प्रधानाचार्य को दिये गये। इससे क्षुब्ध होकर निदेशक श्री एम0पी0 गुप्ता ने एक पैनल बनाया। इसमें तीन आदमियों को सामान्यतः रखा गया। इसमें दो तो आई0आई0टी0 रुड़की के थे और तीसरे सिविल लाईन, रुड़की के थे। इसमें दो सीनियर व्यक्तियों को छोड़कर नं0 3 पर श्री आलोक चन्द्र गुप्ता जो कि लघु उद्योगपति हैं, का नाम शासन को संस्तुत कर दिया।

मान्यवर, इसमें फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, आश्चर्य की बात यह है कि दुबारा साक्षात्कार हुआ। इसमें जबकि श्री निगम पर 30 हजार की रिकवरी थी, उन्हीं को प्रधानाचार्य चुन लिया गया। इसी तरह लैक्चरर के लिए एक योग्यता माँगी गई थी, उस योग्यता को दरकिनार करते हुए इस पद पर कम योग्यता वाले व्यक्तियों को चुन लिया गया। दो तीन उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, भौतिक के प्रवक्ता, कम्प्यूटर प्रोग्रामर के एक–एक पद पर चयन होना था इन पर दो–दो पदों

पर नियुक्ति की गई। इस पर उत्तर प्रदेश से आये लोगों की सामान्य सीटों पर नियुक्ति की गई। इसी तरह कार्यशाला निदेशक के 7 पदों के सापेक्ष 9 पदों पर नियुक्ति की गई है।

मान्यवर, लिपिक और आशुलिपिक के पदों हेतु लिखित परीक्षा का प्राविधान किया गया। अन्य पदों के लिए न लिखित परीक्षा रखी गयी और न इनके लिए जो योग्यता थी उसका पालन किया गया। मान्यवर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर जो कार्य कर रहे थे उनके स्थान पर उनसे कम योग्यता वाले को नियुक्ति दी गई, इसमें तीन लोग प्रधानाचार्य के रिश्तेदार हैं। इलैक्ट्रिक लैक्चरर पर जो थे उनके पास डेढ़ साल का अनुभव था उन्हें नहीं रखा गया, जिनका अनुभव निल था वे रखे गये।

मान्यवर, जो तीसरे रखे गये उनके पास 7 मंथ का अनुभव था जबकि जो दूसरे आये थे उनके पास 3 साल का अनुभव था। उनको भी अलग कर दिया गया। इलैक्ट्रिकल में जो 10 साल के अनुभव वाले व्यक्ति थे उन्हें नहीं लिया गया और जिन्हें रखा गया उनका अनुभव निल था। इसी प्रकार मान्यवर, सिविल में भी यही प्रक्रिया अपनायी गयी। जो 8–10 साल के अनुभव वाले व्यक्ति थे उन्हें नहीं लिया गया और जिनके पास कम अनुभव था उन्हें रख लिया गया। फिटर के लिए जो कन्डिडेट आये थे, वे प्रिंसिपल के रिश्तेदार थे। जो विज्ञापन निकाला गया था और जो नियुक्ति हुई उसमें लगभग हर जगह दो–दो नियुक्तियां ज्यादा की गयीं। इसमें खुले रूप में जब आन्दोलन हुआ, जो योग्य अभ्यर्थी थे, उन्होंने कहा कि इसमें सही प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है, तो मान्यवर, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और प्रिंसिपल ने कहा कि आपसे जो बनता हो कर लीजिए। उन्होंने कहा कि यहां नियुक्ति उसी की होगी जिसे मैं चाहूंगा क्योंकि पहली बार जब मैं यहां आया था तो मुझे रखा नहीं गया और दूसरी बार मैं कैसे आया यह आप भी जानते हैं।

मान्यवर, यह कन्हैयालाल पॉलीटैक्निक एक ऐसा संस्थान है जिसका अपना नाम है और वहां इस प्रकार से नियुक्तियां की जा रही हैं। यह शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। इस संस्थान का डिप्लोमा रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। यह ऐसा संस्थान है। इतना बड़ा इसके अन्दर भ्रष्टाचार किया गया, योग्य व्यक्तियों को नहीं रखा गया जिसका प्रमाण मेरे पास है। इसमें कुछ लोग कोर्ट में भी गये। इसका मैंने जिक्र नहीं किया है। लेक्चरर कोर्ट नहीं जा सके। मैंने बड़े–बड़े भ्रष्टाचार के बारे में सुना लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार इसे सुन रहा हूं। इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाये। जब तक जांच करायी जाये तब तक जो नियुक्ति की गयी है उन्हें तत्काल हटाया जाये। यह लोक महत्व का विषय है। मैं सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)—

मान्यवर, हमारे विद्वान साथी माननीय कौशिक जी ने नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें 23 पदों पर विभिन्न तिथियों में साक्षात्कार द्वारा नियुक्ति की गयी। जहां तक आपने कहा कि इसमें रुड़की विश्वविद्यालय की उपेक्षा की गयी है तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें रुड़की आई0आई0टी0 विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को भी रखा गया था। मान्यवर, इसमें कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गये हैं। अतः इस प्रकरण में ज्यादा चर्चा करना माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना होगी। 2–2 रिट लम्बित हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसमें जो भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आयेगा उसे माना जायेगा। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, उच्च न्यायालय में केवल क्लर्क गये हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

मान्यवर, कोर्ट में प्रक्रिया के सम्बन्ध में गये हैं।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, कोर्ट में केवल क्लर्क गये हैं। मैं जानता था कि माननीय मंत्री जी का यही उत्तर आयेगा। इसलिए मैंने प्रिंसिपल और लैक्चरर के बारे में कहा मंत्री जी इसका उत्तर दे दें। प्रिंसिपल और लैक्चरर के मामले में आप उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दें, मैं इसकी मांग भी करता हूँ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

मान्यवर, सूचना में कम अनुभवी व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय में यह सारे प्रकरण लम्बित हैं।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, पूरे प्रकरण लम्बित नहीं हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

मान्यवर, यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे विभाग को न्यायालय में उत्तर के लिए जाना पड़ा था। उच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्देश दिये जायेंगे, चाहे वह जांच के हो या निलम्बन के, उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, उच्च न्यायालय में जो लोग गये हैं वह प्रिंसिपल और लैक्चरर के लिए नहीं गये हैं। मैं हाउस में इस बात को कह रहा हूँ। मैंने यही सूचना दी है, मेरी मांग है कि मंत्री जी इसमें उच्च स्तरीय जांच की घोषणा करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मंत्री जी स्पष्टीकरण दे दें। माननीय मंत्री जी अलग बात कह रहे हैं। और माननीय सदस्य कुछ और। श्रीमन्, प्रिंसिपल, लैक्चरर और क्लेरीकल दोनों अलग–अलग संवर्ग हैं, दोनों की सेवा शर्तें भी अलग होती हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस बात को मंत्री जी भी जानते हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो सूचना दी गई है, यह प्रक्रिया के बारे में दी है और कम अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति की बात कही गई है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मंत्री जी इस प्रकरण को क्यों उलझाना चाहते हैं। जो सूचना मैंने दी है, उसे आप पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं पढ़ चुका हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है वह प्रक्रिया को लेकर है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रिंसिपल और लैक्चरर की अलग प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, दोनों संवर्गों में नियुक्ति की प्रक्रिया भी अलग होती है, यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर मंत्री जी जांच के आदेश कर दें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैंने कहा कि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। सूचना में जो बिन्दु माननीय सदस्य ने रखे हैं वह यह हैं कि कम योग्य और कम अनुभवी लोगों को नियुक्ति दी गई है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मंत्री जी उत्तर नहीं देना चाहते हैं और प्रकरण को उलझा रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक अपने स्थान से उठकर 'वेल' की ओर बढ़ते हुये अपनी बात को कहने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर बैठिये, आप बैठें।

(माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर बैठिये, मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनूंगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब सदन में हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो हम अपनी बात को कहां रखें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हाउस में भी हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो हम कहां पर अपनी बात को रखेंगे?

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें, आपकी सूचना अग्राह्य हो गई है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं एक ऐसे विषय को सदन के सम्मुख ला रहा हूँ जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, आज जो चौराहे पर हवलदार की वर्दी पहने हुये जवान है, वह 1 महीने बाद कहीं पर फावड़ा या बेलचा चलाते हुये मजदूरी करते हुये मिलेगा।

मान्यवर, यह प्रश्न उत्तरांचल के प्रांतीय रक्षा दल का है। मान्यवर, पी0आर0डी0 एक्ट, 1948 के अनुसार पी0आर0डी0 को पी0ए0सी0 के साथ ही 12 दिसम्बर 1948 को द्वितीय रक्षा पंक्ति के नाम से खड़ा किया गया, इतना महत्वपूर्ण यह संगठन है, लेकिन आज इसके जवानों को, जिनको पुलिस की तरह वर्दी मिली है, पुलिस की तरह फिरती मिली है, पुलिस की तरह स्टार मिले हैं और यह पुलिस की तरह ड्यूटी करते हैं। चाहे आपदा प्रबन्धन के दौरान ड्यूटी हो, चाहे चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी हो, चाहे रात में गश्त करने की ड्यूटी हो, चाहे कुम्भ में ड्यूटी

हो, चाहे पर्यटक स्थलों पर ड्यूटी हो, सब जगह पुलिस के सिपाही की तरह ड्यूटी करते हैं। इनकी ड्रेस भी पुलिस की तरह है और उनकी टोपी पर अशोक की लाट भी लगी हुई है। लेकिन इनको मात्र 85 रुपये दैनिक वेतन मिलता है। युवा कल्याण विभाग की जब मर्जी आती है, इनको रख लिया जाता है और जब मर्जी आती है, इनको निकाल दिया जाता है। कभी तो हम नियमित होंगे, कभी तो हमारे बच्चों का भविष्य संवरेगा, इस प्रत्याशा में और अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिए ये जवान इस विभाग से लगातार जुड़े हुए हैं और काम करते रहते हैं।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के 95 विकास खण्डों में 95 ब्लाक कमाण्डर, 777 हल्का हवलदार, 1019 दलपति, 4505 टोली नायक और 5719 प्रशिक्षित जवान हैं। इस प्रकार उत्तरांचल राज्य में लगभग 12 हजार पी0आर0डी0 जवान कार्यरत हैं। लेकिन आज 44 दिन से ये जवान विधान सभा के बाहर अनशन पर बैठे हैं। इनमें से पांच लोगों ने कल से आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया था और मेरे संज्ञान में है कि ये लोग आमरण अनशन पर कल से बैठ गए हैं। इन लोगों ने मन बनाया है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गयीं तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विधान सभा के बाहर धरने पर बैठेंगे। मान्यवर, अभी इनकी संख्या केवल दो–ढाई सौ है, लेकिन यदि 10–12 हजार व्यक्ति अपनी जायज मांगों को लेकर विधान सभा के सामने आ जाएंगे तो स्थिति बहुत विस्फोटक हो जाएगी। मान्यवर, युवा कल्याण विभाग में अभी तक इसका ढांचा नहीं बना है। विभाग की जब मर्जी होती है, इनको रख लेते हैं और जब मर्जी होती है, इनको निकाल देते हैं। इनसे पुलिस के काम से इतर भी काम लिया जाता है। इन कामों में कपड़े धोना, बर्तन साफ करना तथा झाड़ू आदि लगाना शामिल है। इस प्रकार इनसे एक घरेलू नौकर की तरह काम लिया जा रहा है। इनका भविष्य अंधकारमय है, इनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। ये लोग आगे का जीवन यापन कैसे करेंगे, इसके लिए कोई गाईड लाईन नहीं बनी है।

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इनकी बहुत छोटी–छोटी मांगें हैं। जैसे कि पी0आर0डी0 के जवानों का पृथक से विभाग बना दिया जाय, इनको नियमित कर दिया जाय, इनको दैनिक वेतन पर 85 रुपये मानदेय दिया जाता है, इसको पुलिस के बराबर कर दिया जाय और यदि पुलिस के बराबर करने में कोई दिक्कत हो तो उत्तरांचल प्रदेश के सरकारी नौकर के बराबर वेतन कर दिया जाय।

मान्यवर, सरकार ने दो लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प भी लिया है यदि आप इनको भरते हैं तो कम से कम 12 हजार लोगों को रोजगार दे सकते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो वर्षों से इस विभाग में हैं और दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। वे अपने बच्चों के लालन–पालन के लिए चिंतित हैं। वे अपने भविष्य के लिए भी चिंतित हैं। यह बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला होने के साथ ही साथ जवानों से जुड़ा हुआ

मामला है। इससे महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे नियमों का निलम्बन कर इस विषय पर चर्चा कराई जाए। इनको नियमित किया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कार्य स्थगन के रूप में जो सूचना दी है वह इसलिए दी है कि आज प्रदेश भर के लगभग 12 से 15 हजार प्रांतीय रक्षक दल के जवान धरने पर बैठे हैं। मान्यवर, मेरी सूचना को यदि आप गौर से देखें तो उसमें प्रांतीय रक्षक दल/कार्मिक लिखा हुआ है। मैं यह तय नहीं कर पाया कि यह प्रांतीय रक्षक दल के कार्यकर्ता हैं या प्रांतीय रक्षक दल के जवान हैं या प्रांतीय रक्षक दल के कार्मिक हैं। मान्यवर, आज यह स्थिति इसलिए पैदा हुई, चूंकि यह लोग वर्षों से कार्य कर रहे हैं, यह संख्या 12 से 15 हजार है। माननीय मंत्री जी को हो सकता है कि संख्या की सही जानकारी न हो। कोई नियम नहीं, कोई कायदा इनके लिए नहीं है। जब चाहा नौकरी में रख लिया और जब चाहा नौकरी से हटा दिया। साथ ही इनसे घरेलू कार्य भी इनके अधिकारियों द्वारा कराये जाते हैं। जैसा कि माननीय भट्ट जी ने कहा कि इनसे घरेलू नौकर की तरह से भी काम लिया जाता है। कार्य का कोई निश्चित मानक भी नहीं है। जब चाहा वर्दी पहना कर खड़ा कर दिया। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। मान्यवर, 51 दिन हो गये हैं। यह लोग अनवरत आन्दोलन में हैं। आमरण अनशन कर रहे हैं। कई लोगों को चिकित्सालय में भर्ती भी कराया गया। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इनकी सेवा शर्तों का सही निर्धारण होना चाहिए। एक ढाँचा इनके लिए बनाया जाना चाहिए। क्योंकि हम इसे फोर्स भी कहते हैं।

मान्यवर, प्रांतीय रक्षक दल का गठन आज से नहीं, आजादी से है। 1947 में उत्तर प्रदेश में इसका गठन किया गया। उस समय उसका नाम उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम बनाया गया था। इतने पुराने विभाग के लोग आज आन्दोलन कर रहे हैं, अपने रोजगार, अपने भविष्य के लिए। वे विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं। उनके बैनरों में लिखा है "रोजगार की भीख दो–भीख दो।" मान्यवर, आपने इनको वर्दी दी है, बैल्ट दी है, वर्दी में सबसे बड़े प्रतीक चिह्न अशोक की लाट लगाई गई है। एक तरफ तो हम इनको इतना सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ जब इनके दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों को सुविधाओं की बात आती है तो उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। जब इनके उच्चाधिकारियों की इच्छा हुई इनको ड्यूटी में ले लिया, जब इच्छा नहीं हुई ड्यूटी से निकाल दिया। तमाम तरह की विवशतायें हैं इनके सामने। इन लोगों ने अपने भविष्य को संवारने के लिए काफी प्रयास भी किये। इससे पहले इनकी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दि0 09–08–2005 की साय एक बैठक हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी

समस्याओं को सुना और विभाग को निर्देश दिया कि उनकी बात को सुनें, और कोई सकारात्मक हल निकालें। परन्तु अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। माननीय मंत्री जी उदार होते तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता, पता नहीं माननीय मंत्री जी उदार क्यों नहीं हो रहे हैं? इनकी बातों पर गौर करने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं, यह तो सरकार जाने।

मान्यवर, इनको मजबूरी में हड़ताल और आन्दोलन करना पड़ रहा है। इनकी मांग है हमें पहचान दो, रोजगार दो। इनको 85/- रु0 प्रतिदिन काम का दे रहे हैं, इसमें भी इन्हें काम हमेशा नहीं मिलता है, जिस दिन काम मिलता है, उसी दिन का पैसा दिया जाता है। मान्यवर, यह क्या काम करेंगे यह भी इनके हाथ में नहीं होता है, यह उस अधिकारी के हाथ में होता है, जिनके यहां ये काम करते हैं। मान्यवर, अशोक का चिन्ह देकर, घरेलू नौकर की तरह इनसे काम लिया जा रहा है तो इससे ज्यादा राष्ट्रीय अपमान की बात और हो ही नहीं सकती है। इनकी मांग है हमें पहचान दो– हम कार्यकर्ता हैं, जवान हैं या कार्मिक हैं। एक चीज तय की जाय एक ढांचा तय किया जाय।

मान्यवर, हमारी सरकार बहुत बड़े–बड़े ढांचे बना रही है, इसको बनाने में क्या आपत्ति है? मेरा अनुरोध है कि इनका बुनियादी ढांचा बनाकर इनको ड्यूटी दी जाय। मान्यवर, आज की तारीख में उन्हें 85 रु0 प्रतिदिन कार्य का दिया जाता है और वह भी साल में उन्हें एक–दो माह कार्य मिलता है तो ऐसे व्यक्ति का नैतिक बल कितना ऊंचा होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार को यह बात समझनी चाहिए और इनका यह रुपया बढ़ाना चाहिए, ताकि उन्हें अपने दायित्व का बोध हो। मान्यवर, आज हम पर्यटन पुलिस बनाने की बात कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इनको प्रशिक्षित करके पर्यटन गाईड के रूप में इन्हें रखेंगे तो पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, और इनको रोजी–रोटी भी मिलेगी, मान्यवर, आज ये लोग हमारे सदन के सामने बैठे हुए हैं, इसकी पूरे सदन को चिन्ता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरा सदन चाहेगा।

मान्यवर, उनके बारे में जो भी कठिनाई है, क्या उसका समाधान सरकार करेगी यह बतायें? मान्यवर, यह तब हो सकता है जब आप कृपा करके कार्यवाही रोककर इस बिन्दु पर चर्चा करा दें, ताकि सारी बातें आ जायें और सरकार अविलम्ब निर्णय करे। मान्यवर, यह अति लोक महत्व का प्रश्न है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रान्तीय रक्षक दल सेवा का गठन 1948 में हुआ, 1972 में प्रादेशिक विकास दल का नाम दिया गया और वर्ष 1982 में इस सेवा को युवा कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया। राज्य गठन के पूर्व उत्तरांचल राज्य क्षेत्र में लगभग 4000

प्रशिक्षित पी0आर0डी0 जवान थे जिसमें से प्रतिवर्ष लगभग 100 से 150 जवानों को ही नियमित ड्यूटी प्राप्त होती थी। राज्य गठन के उपरान्त प्रशिक्षित जवान लगभग 6500 हैं जिनमें से 800 से 1000 जवान प्रतिवर्ष नियमित ड्यूटी पर हैं। राज्य गठन से पूर्व प्रान्तीय रक्षक स्वयं सेवकों का मानदेय जनपद के अन्तर्गत सेवा हेतु 50 एवं जनपद के बाहर रु0 55 प्रतिदिन था जो पूर्व में बढ़ाकर क्रमशः रु0 65 एवं रु0 70 किया गया। वर्तमान में इन स्वयं सेवकों का मानदेय जनपद के अन्तर्गत सेवा हेतु रु0 85 प्रतिदिन एवं जनपद के बाहर सेवा हेतु रु0 90 प्रतिदिन है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में अभी इन स्वयं सेवकों का मानदेय क्रमशः रु0 65 एवं रु0 70 ही है। राज्य गठन के पूर्व प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों को ड्यूटी भत्ते के भुगतान की मद में उत्तरांचल राज्य क्षेत्र के लिए केवल 15 से 20 लाख आवंटित किये जाते थे जबकि वर्तमान में इस मद में 1.65 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया। जो राज्य गठन के पूर्व की तुलना में 10 गुना अधिक है।

राज्य गठन के समय जहाँ पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों की ड्यूटी से लगभग 54 हजार मानव दिवस सृजित होते थे जबकि गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में इन स्वयं सेवकों की विभिन्न ड्यूटियों के फलस्वरूप लगभग 1.90 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन हुआ। मान्यवर, प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना ग्रस्त हो जाने या अन्यथा हानि हो जाने पर आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्‌देश्य से प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष की स्थापना विचाराधीन है। यह कोष शीघ्र ही गठित किया जायेगा। मान्यवर, यहाँ एक बात सही उठाई है कि जब कोई कर्मचारी आन्दोलन या हड़ताल पर जाते हैं तो उनका नेतृत्व करने वाले का दायित्व होता है कि वह वार्ता के लिए जाए, क्योंकि प्रत्येक आन्दोलन का समाधान वार्ता होता है, कुछ का समाधान आज होता है तो कुछ का समाधान भविष्य में होता है। अभी मिनिस्टीरियल वाले वार्ता के लिए आये थे। मान्यवर, एक वर्ग का वेतन बढ़ाने से अन्य वर्ग का प्रश्न भी समाहित हो जाता है। जो इनके कर्ता–धर्ता हैं, उन्होंने जानकारी दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बातों के लिए अति उदारतापूर्वक से विभाग को निर्देशित किया। विभाग का दायित्व है कि हम इनके बारे में जो निर्णय देंगे वह होमगार्ड को भी देंगे।

मान्यवर, क्योंकि आज ही नोटिस प्राप्त हुई, 10–15 मिनट का समय मिला, हमने सेक्रेट्री लेवल के अधिकारियों को बुलाया। मान्यवर, नया राज्य है, रोजगार की दृष्टि से भी हम संवेदनशील रहते हैं। माननीय मंत्री जी आयें हैं, उन्हें पहले विभागीय मंत्री से मिलना चाहिए था। मान्यवर, इस तथ्य को आपको स्वीकार करना चाहिए। जहाँ उत्तर प्रदेश 65–70 दे रहा है यहाँ पहले से ही 85–90 दे रहे हैं। मान्यवर, वार्ता ही इसका एकमात्र हल है। जैसे कि आपने कहा एक्ट में है इन्हें पुलिस के समान समझा जाता हैं मैं कहना चाहती हूँ कि आधे कपड़े में ये लोग थे। उनके

पास अशोक की लाट है, क्या वे सारे अनुशासन तोड़ देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने दो बार सुना, फाइल पर निर्देश दिये। ये लोग आमरण अनशन पर बैठ गये। यहाँ पर बेरोजगारी है और हमारी संवेदनशीलता है, हमारी सहानुभूति है कि इनको अवसर मिले।

मान्यवर, एक ओर तो अशोक की लाट की बैल्ट लगाये हैं, दूसरी ओर नियमों को तोड़ रहे हैं। मान्यवर, हमारे राज्य को तीन वर्ष हुए हैं। हमने एक बार चीफ सेक्रेट्री के साथ शाम से लेकर सुबह चार बजे तक मीटिंग की, हमारे यहाँ पर अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी है। आप प्रतिपक्ष के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के रूप में हम संवेदनशील हैं, हमारी संवेदनशीलता की इतनी परीक्षा न लें। हम चाहते हैं कि पी0आर0डी0 वाले अपना अनशन तुरन्त समाप्त करें क्योंकि विभागीय मंत्री मौजूद है। पूरी सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात सुनी जायेगी, जो सम्भव होगा उसे माना जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे लोग वर्दी में हैं, उनको इस तरह आन्दोलन नहीं करना चाहिए। माँग तो यह है कि वर्दी तो है, वर्दी जैसा कुछ नहीं है। मान्यवर, आपने आश्वासन दिया है आजकल तो होता यह है कि लोग मंत्री से न मिलकर सीधे मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं, राज्य के मंत्री से न मिलकर सीधे केन्द्र के मंत्री से मिल लेते हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें लिखित दिया है। आज मैंने सारे विभाग को बुलाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे इसलिए मैंने विभाग को बुलाया था तो उन्होंने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का लिखित आदेश दिखाया। इसके बाद भी वो नहीं माने।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने बहुत सारी बातें बतायीं। ये हड़ताल रोकेंगे या नहीं यह उनका मामला है। हम उनसे जाकर कह देंगे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, हम उन्हें आमन्त्रित करते हैं। वह आयें और बात करें यदि न सन्तुष्ट हों तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी वर्दी की बात आयी है। उनके पास वर्दी तो है लेकिन वर्दी जैसा कुछ नहीं है। उनकी वर्दी परमानेंट नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, टम्परेरी में तो यह हाल है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उनका कहना है कि आखिर वे कहां पर खड़े हैं। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, उनको बुलाने का।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री काशी सिंह ऐरी, माननीय श्री अजय भट्ट एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, देहरादून महानगर में (2005–2025) योजना बन रही है और इस महायोजना के नाम पर अनाप–शनाप तरीके से भू–अधिग्रहण किया जा रहा है और जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने पर जो बात सामने आयी है वह यह है कि जो भू–अधिग्रहण किया जा रहा है वास्तव में उनके लिए कोई योजना अभी तक सरकार के पास है ही नहीं कि कितनी भूमि सरकार को चाहिए। इसका भी सरकार के पास रिकार्ड नहीं है। भू–अधिग्रहण के नाम पर लगातार उसके विरोध में एक–डेढ़ वर्ष से देहरादून और आसपास के गांवों में आन्दोलन चल रहा है और कई प्रचंड प्रदर्शन हो चुके हैं और लगातार अनेक स्थानों पर अनशन चलने के बाद भूमि बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज 75वें दिन भी कारगी चौराहे पर धरना चल रहा है। इसमें सभी दलों के लोग और गैर राजनैतिक संगठन सहभागिता कर रहे हैं और अनेकों बार एम0डी0डी0ए0 तथा मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी कर चुके हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जब भी भू–अधिग्रहण करती है तो उस समय उसके पास योजना होनी चाहिए कि आखिर किस काम के लिए भू–अधिग्रहण किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि ऊसर भूमि हो, जहां पर सिंचाई के लिए पानी की सुविधा न हो। ऐसी भूमि का सरकार अपने कार्यालय आदि खोलने के लिए अधिग्रहण करती है और सरकार को चाहिए कि इसके लिए व्यापक विचार–विमर्श भी करे। गांव के जो प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं, जिला पंचायतों के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं और उस क्षेत्र के जो जन प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं इन सबसे पूछताछ की जानी चाहिए और विचार–विमर्श किया जाना चाहिए। उनसे विचार–विमर्श करना चाहिए कि हम राजकीय कार्य हेतु जमीन चाहते हैं तो वह जमीन कहाँ पर ठीक रहेगी, आप हमें सुझाइये तो अधिग्रहण का अच्छा हल निकल सकता है। तो सरकार इस तरह से क्यों नहीं कर रही है। जो अधिग्रहण किया जा रहा है उसकी आड़ में केवल भ्रष्टाचार ही पनप रहा है। किसी की जमीन ली जा रही है

किसी की नहीं ली जा रही है, लोगों में इस तरह की नीति के कारण आक्रोश फैल रहा है।

मान्यवर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2004 को 13 किलोमीटर लम्बी रैली एम0डी0डी0ए0 के खिलाफ लोगों द्वारा निकाली गई थी जिसमें देहरादून से लेकर डोईवाला तक जाम लग गया था। अगर उस दिन वहाँ पर वरिष्ठ जन प्रतिनिधि नहीं होते तो उस दिन एम0डी0डी0ए0 के खिलाफ कुछ भी हो सकता था, तो कितना आक्रोश जनता में इस प्राधिकरण के खिलाफ है, वह उस दिन देखने को मिला था। हमारा अनुरोध है कि जो यह महायोजना सरकार ने बनाई है ग्रेटर दून की, तो इसे देहरादून शहर के 14–15 किलोमीटर दूर बनाया जाना चाहिए जहां पर जमीन उपलब्ध है। मेरी जानकारी में है कि लगभग 650 हैक्टेयर जमीन का अधिग्रहण सरकार करने जा रही है। जिसमें धारा 4, 6 और 9 कुछ–कुछ में लागू हो चुकी है। सरकार को इसे मुक्त करना चाहिए और ग्रेटर दून को दूर बनाना चाहिए। इस अधिग्रहण के कारण कई अवैध निर्माण होने लगे हैं।

माननीय मंत्री जी अपने ही क्षेत्र में देख लें तो कई अवैध निर्माण हो रहे हैं। पॉलीथीन से ढककर निर्माण हो रहे हैं, शॉपिंग काम्प्लेक्स बन रहे हैं। अभी मैं कल के समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि मसूरी से नीचे कैम्प्टी फाल के कुछ गांवों में भी एम0डी0डी0ए0 का नोटिस गया है। इन विकास प्राधिकरणों से आज लोग त्रस्त हो गये हैं, गांवों में नक्शा कैसे पास कराया जायेगा? जहां तक 5 प्राधिकरणों की बात है, तो नगर विकास विभाग का शासनादेश विद्युत विभाग को और पेयजल विभाग को भेजा गया है कि जब तक नक्शा पास नहीं होगा तब तक न तो वहां पर बिजली का और न ही पानी का कनेक्शन दिया जाय। मान्यवर, हमारा कहना है कि जो गांव हैं और जो उनका गांवपन है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान है उनकी इस पहचान के नष्ट होने का खतरा पैदा हो रहा हैं। इसमें सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। एम0डी0डी0ए0 द्वारा जो ग्रेटर दून बनाया जा रहा है उसे शहर से बाहर 14–15 किलोमीटर दूर बनाया जाना चाहिए। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाय क्योंकि इससे महत्वपूर्ण विषय कोई हो नहीं सकता है। मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराई जाय।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कार्य स्थगन की सूचना पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। तमाम बातें माननीय त्रिवेन्द जी ने कह दी हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि महानगर योजना बननी चाहिए, मगर आप गरीब किसानों को, श्रमिकों को, मजदूरों को, शिक्षकों को, विधवा बहनों को बेघर करके योजना बनाएंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे उत्तरांचल के लोग दूर पर्वतीय क्षेत्रों

से पलायन करके देहरादून और ऋषिकेश में आकर बसे हैं। ये लोग वहां से पलायित होकर इसलिए आए हैं कि वहां पर रोजगार के साधन नहीं थे। मान्यवर, कई मजदूर, शिक्षक और विधवा बहनें मेरे पास आयीं और उन्होंने मुझे बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से कुछ बिसवा जमीन ली है लेकिन अब उसको अधिग्रहीत किया जा रहा है। हमने जो छोटे मकान बनाएं हैं, उनको तुड़वाया जा रहा है।

मान्यवर, सरकार का काम लोगों को बसाना है, उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है, न कि उनको बेघर करना। मान्यवर, कोई व्यक्ति दो–ढाई बीघा जमीन खरीद कर उस पर खेती करके अपनी जीविका चला रहा है। यदि उसकी आजीविका छीन ली जाएगी तो वह कहां जाएगा? मान्यवर, मेरा निवेदन है, जैसा कि अभी माननीय त्रिवेन्द्र जी ने कहा कि ऐसी जगह पर महानगर योजना बनायी जाए जहां पर किसी भी नागरिक को इससे प्रभावित न होना पड़े। हमने देखा है टिहरी नरेश ने कई शहर बसाए लेकिन ऐसी जगह पर बसाए जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए इस महानगर योजना को ऐसी जगह बनाया जाए, जहां पर किसी को परेशानी न हो। मान्यवर, भूमि अधिग्रहण करने के विरोध में कुछ दिन पहले तक जोगीवाला में धरना चल रहा था। अभी कारगी में धरना चल रहा है। इसी के विरोध में 4 अक्टूबर को लगभग 1000 लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे थे लेकिन उनको रोक दिया गया।

मान्यवर, 1000 लोग भूमि अधिग्रहण के विरोध में जा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि इससे लोगों में जनाक्रोश है। मेरा अनुरोध है कि सरकार निर्दयी न बने, उनकी पीड़ा को समझे। यदि आप ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। मान्यवर, एक विचित्र बात है, अभी 22 सितम्बर को भाजपा के सभी विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आमंत्रित किया था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि सभी माननीय विधायकों को, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के हों, सभी को समान विकास कार्य दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह इस विषय से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भण्डारी जी, आप सिर्फ अपनी सूचना की ग्राह्यता पर अपनी बात रखिए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह इसी विषय से सम्बन्धित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हमने महानगर योजना रोक दी है। और दूसरी तरफ मान्यवर,

हमारे शिक्षक बन्धुओं को, कृषकों को, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, इसको खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। माननीय सूचना मंत्री जी कह रही हैं कि इससे सम्बन्धित नहीं है। यदि मैं असत्य कह रहा हूँ तो आप मुझे टोकिए, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था। लेकिन आज जनता को नोटिस दी जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर सरकार कौन चला रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं या अधिकारी चला रहे हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ कि सरकार क्या कह रही है और अधिकारी क्या कर रहे हैं? मान्यवर, सरकार के निर्देशों का पालन अधिकारियों को करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह दुर्भाग्य की बात है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार के सभी निर्देशों का पालन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जब आप यहां बैठती थीं तो आप भी यही कहती थीं। (हँसी) यह हँसी मजाक में उड़ाने वाली बात नहीं है। मान्यवर, लोगों ने बहुत छोटी–छोटी पूँजी से अपने मकानों को बनाया है। थोड़ी बहुत जमीन ली है। उन्हें बेघर न किया जाए। बल्कि किसी ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर वृक्ष न हों, बंजर भूमि हो। माननीय नगर विकास मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका ध्यान एम०डी०डी०ए० की तरफ आकर्षित कर रहा हूँ। यह विकास प्राधिकरण नहीं है बल्कि विनाश प्राधिकरण है। उन्होंने अपने को एक कोर्ट के रूप में स्थापित कर लिया है। छोटी–छोटी बातों के लिए जनता को बुलाते हैं, बकायदा तारीख लगती है। माननीय मंत्री जी आपको सुअवसर मिला है। इस प्रकार के कोर्ट न बनाये जाएं बल्कि जनता की समस्याओं का निस्तारण तत्काल किया जाए।

मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है। यह गरीब जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उन निर्धनों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिन्होंने थोड़ी–थोड़ी पूँजी लेकर आधा बीघा या दो बिसवा जमीन ले ली और एक–दो कमरे का छोटा मकान बना लिया। अब सरकार उनके मकानों को तोड़ रही है। मान्यवर, इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराई जाए। सरकार उनके मकानों को न तोड़े। उनको बेघर न करे। वे आपको दुआएं देंगे।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, जो कार्य स्थगन की सूचना नियम–58 में दी गई है। मैं बहुत सम्मान पूर्वक अपने आदरणीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सूचना में ही दो विषय मिल गये। तीसरा विषय चर्चा के दौरान मिल गया। उत्तरांचल सरकार महायोजना 05, के अन्तर्गत शहरी और ग्रामवासियों की भूमि अधिग्रहण करने जा रही

हैं चूँकि यह सूचना आई है और यह सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेगी। मान्यवर, महायोजना एक अलग विषय है और अधिग्रहण एक अलग विषय है। किसी महायोजना के अन्तर्गत अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। हाँ, यह दोनों योजनाएं एक साथ चल रही है। महायोजना के विस्तार में जहाँ पर भी किसी प्रकार की त्रुटि अधिकारियों द्वारा की जाती है तो जनता द्वारा उस त्रुटि की ओर सरकार का ध्यान अवश्य आकर्षित किया जाना चाहिए। लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। महायोजना के ऊपर इस बीच सुनवाई की कार्यवाही भी चल रही है।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न है भूमि अधिग्रहण का और तीसरा प्रश्न है प्राधिकरण की कार्यप्रणाली का। मान्यवर, यह निश्चित रूप से सही है कि प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में जनहित होना चाहिए, इस बात से हम भी सहमत हैं और यह बहुत अधिक चर्चा का विषय रहा है। मान्यवर, 1993 से 1996 तक मुझे आपके आशीर्वाद से इस विषय पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में विस्तृत चर्चा का मौका मिला। जहां तक अधिग्रहण का प्रश्न है तो इसमें आपकी बातों से कुछ प्रश्न उपस्थित हुए। इसलिए मैं दोनों चीजों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, हमेशा एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए। देहरादून शायद प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और आपने इसे अस्थाई राजधानी बना दिया। इस दून घाटी की विशेषता है इसका एरिया डिसटेंश बहुत सीमित है।

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 1990 के बाद न तो विकास प्राधिकरण और न ही आवास विकास प्राधिकरण ने इस शहर की आवश्यकता को समझा। मान्यवर, वर्ष 2000 से 2002 तक इन महत्वपूर्ण संस्थाओं ने एक भी आवास योजना को इस शहर के आस-पास नहीं बनाया जिसके कारण इसका व्यवस्थित विकास नहीं हो सका। इसके परिणाम स्वरूप जिन्हें आप भू-माफिया के नाम से सम्बोधित करते हैं, जिन्होंने कृषकों की जमीन खरीदी और लोगों को छोटे-छोटे प्लाटों में बेच दिया जैसे कि यह आदमी सुदूर चम्पावत और उत्तरकाशी से यहां बसने के लिए आता है तो यह उस व्यक्ति का अधिकार है और हमारा दायित्व है कि हम उसे आवास उपलब्ध करायें। हमें भूमि के मूल्य को भी नियंत्रित करना होगा। मान्यवर, इतने लम्बे समय तक यह अनियंत्रित विकास चलता रहा और विकास प्रक्रिया बाधित रही।

मान्यवर, हमारे पास एक ओर हिमालय की पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ शिवालिक पर्वत माला है। पहले भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। उस समय भी मैंने कृषकों की बात को स्वीकार किया। अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर खेती करना चाहता है तो उस भूमि का अधिग्रहण सरकार आवास के लिए नहीं करेगी। मान्यवर, मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। मान्यवर, कई कृषकों के मन में भय हो गया है कि हम पूर्वजों की जमीन को खो देंगे, इसलिए यहां पर यह कहना समुचित है कि हम उनके हितों का ध्यान रखेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना है

कि यदि कोई व्यक्ति किसी आदमी या सरकार को जमीन दे रहा है तो उसका उसे उचित मूल्य प्राप्त हो, इसलिए मान्यवर, जब ये विषय काफी फैला और इसमें लगभग 30 प्रस्तावों में मान्यवर, 654 हेक्टेयर भूमि का चयन कर लिया गया और आपने जिक्र किया कि जनाक्रोश उत्पन्न हुआ तो 5 जुलाई, 2005 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस विषय पर बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिसमें मुझे भी आपके आशीर्वाद से मौका मिला, हमारी समिति गठित की। इस समिति ने लगातार 7 बैठकें कीं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना एक अन्तरिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया, जिसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा के दौरान किया और वह समाचार पत्र में भी छपा।

मान्यवर, इस अन्तरिम प्रतिवेदन देने के बाद इस प्रक्रिया को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, क्योंकि नियोजित विकास नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी दून घाटी स्लम के रूप में डेवलप हो जायेगी। इसलिए नियोजित विकास होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप हमारी समिति ने इस पर कार्यवाही की है और इस कार्यवाही के तहत राजस्व, वित्त विधायी जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उन सभी अंगों से देख कर करने का प्रयास है। मान्यवर, हमें सुनियोजित शहर भी मिले और जो लोग यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं, उनको हम नियंत्रित मूल्य पर आवास उपलब्ध करा सकें, देखना है। मान्यवर, जितनी तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो रहा है उससे हमारे प्रत्येक शहर में यह स्थिति आ गई है, जिससे कि हमें कोई न कोई व्यवस्था लोगों के हित में करनी होगी। आपने भी देखा होगा कि कितना विस्तार हुआ है। हल्द्वानी में 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज कितना विस्तार हुआ है। रुद्रपुर, हरिद्वार, रुड़की, चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर का कितना विस्तार है।

मान्यवर, शहर के किनारे के बाजार शहरों में किस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं, यह गम्भीर विषय है, इसमें हमें प्रदेश के भविष्य को देखना होगा। मान्यवर, हमारा पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर यह जगह गन्दी रहेगी तो पर्यटन के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इन सभी को देखते हुये समिति में कार्य कर रहे हैं। हम शीघ्र अनियंत्रित प्रक्रिया को नियंत्रित कर देंगे और ऐसी प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकेंगे जिससे हम कह सकें कि उत्तराखण्ड राज्य के शहरों का विकास एक सुनियोजित शहर के रूप में होगा। मान्यवर, जी0आई0एस0 की बात मैंने सदन में कही है, जी0आई0एस0 प्राप्त कर ली है। मान्यवर, हमारी टाउन प्लानर की कैपेसिटी कम है इसलिए मास्टर प्लानर बनाया है, जिस दिन हम सेक्टर प्लान को पूरा कर लेंगे तो जनता को होने वाली समस्याओं से निजात मिल सकेगी। मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इसमें इस राज्य का भविष्य, इस राज्य की आर्थिक उन्नति का एक छिपा हुआ स्रोत पर्यटन, हमारा पर्यावरण सभी चीजें छिपी हैं और साथ ही साथ यह भारी चुनौती है।

मान्यवर, भूमि का अवैध व्यापार करने वालों को बल न मिल सके, यह भी चिन्तनीय विषय है। इन सभी विषयों पर चिन्ता करते हुए हम इस कार्य को कर रहे हैं। मान्यवर, शीघ्र ही शासनादेश लागू करेंगे इसमें गम्भीर कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा इसमें जल्दीबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं। हम पूरे सोच विचार के साथ इस राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा पूरी तरह करेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत लच्छेदार शब्दों में हमको संतुष्ट करने का प्रयास किया। मैं आपके माध्यम से दो बातें जानना चाहता हूँ–पहला महायोजना की सीमा क्या–क्या हैं? दूसरा जिस भूमि का आप अधिग्रहण कर रहे हैं? तीसरा आपने कहा कि कृषि योग्य भूमि नहीं लेंगे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने कहा कि जो कृषि कार्य करना चाहते हैं। यह योजना पहली बार नहीं बन रही है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सीमायें क्या हैं। आप भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं तो किस चीज के लिए कर रहे हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सीमायें वही हैं। एन0डी0डी0ए0 की सीमायें पहले से घोषित हैं, दो बार महायोजना लागू हो चुकी है। दूसरा भूमि का अधिग्रहण व्यवसायिक संस्थागत संस्थाओं के विकास के लिए लोगों के विकास के लिए नये व्यवसायिक केन्द्र स्थापित करेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, वहाँ पर किसी के भवन बने हैं तो उनको तुड़वायेंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वैध की आपको चिन्ता करनी चाहिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, लोगों के 50 वर्षों से बगीचे हैं उनको भी इस कार्यवाही में अधिग्रहीत किया गया है। आज से 5–6 वर्ष पहले गाँव का प्रधान बोल देता था, मगर आज वह स्थिति नहीं है। मान्यवर, नकरौंदा गाँव है, वहाँ पर आज भी सरकारी पानी की योजना नहीं गई है, अब जा रही है। वहाँ पर किसी के पास नक्शा नहीं है। लोगों को पता ही नहीं था कि देहरादून प्राधिकरण के अन्तर्गत यह आता है मैंने बी0सी0 को कहा उन्हें बतायें कि यह–यह क्षेत्र देहरादून मसूरी प्राधिकरण के अन्तर्गत आते हैं।

मान्यवर, अगर कोई बिना नक्शे का निर्माण कर लेता है तो वह अवैध कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। मान्यवर, धड़ल्ले से निर्माण हो रहे हैं और पैसे देकर हो रहे हैं। विधान सभा के चारों तरफ भी निर्माण हो रहे हैं। नदियों के ऊपर निर्माण हो रहे हैं और उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। एम0डी0डी0ए0 कहता है कि यह हमारी सीमा में नहीं आता हैं जो व्यक्ति अपनी पुश्तैनी भूमि पर निर्माण कर रहा है तो आप कहते हैं कि हम उसे तोड़ देंगे, लेकिन जो अन्य जगहों पर अवैध निर्माण हो रहा है उसके बारे में प्राधिकरण कहता है कि यह हमारी सीमा में नहीं आता है। वे लोग जो बाहर से आकर निर्माण कर रहे हैं उनको आप संरक्षण दे रहे हैं और यहां के लोगों के निर्माण को तोड़ा जा रहा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, भूमि अधिग्रहण और मकान तोड़ना एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि एक लम्बे अन्तराल 1990–2002 तक में अगर हमने चीजों को नियंत्रित रखा होता तो असुविधा कम होती। जो आपकी चिन्ता है वह हमारी भी चिन्ता हैं सेक्शन–4 के अन्तर्गत ऐसे मकानों की रजिस्ट्री नहीं होगी। जिन लोगों के गलत तरीके से या बहकावे में आकर मकान बना लिये हैं हम उनके हित के लिए भी इस कमेटी में विचार कर रहे हैं। यह हमारी चिन्ता का विषय है। हम इस बात का भी विश्वास करते हैं कि जब भी हम अतिक्रमण की कार्यवाही करेंगे तो हमें आपका विश्वास भी मिलेगा। इसे सम्मिलित रूप से मिलजुल कर देखना चाहिए। जब निकटवर्ती राज्यों से ज्यादा विकास हमारे राज्य में होगा तो हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना होगा। मैं भी इस पर चिन्तित हूँ, हमारी समिति भी चिंतित है। हम इसका हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, बगीचों के बारे में भी बता दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यदि किसान बगीचों को न बेचने का एफीडेविड दे देगा तो उसे छोड़ दिया जायेगा। इस शहर में तो लगभग सारे बगीचे कट गये हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यदि कृषक लिखित में आश्वासन दे देगा तो क्या आप बगीचों को छोड़ देंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हरित पट्टियाँ तो हमें छोड़नी ही हैं। पर जब हमने उनसे बात की तो वे इसके लिए तैयार नहीं थे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं। अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–01, विधान सभा, अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या–07, वित्त कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, अनुदान संख्या–08, आबकारी, अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवाकल्याण तथा संस्कृति अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–14, सूचना अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें, अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार, अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान संख्या–18, सहकारिता, अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या–23, उद्योग, अनुदान संख्या–24, परिवहन, अनुदान संख्या–26, पर्यटन, अनुदान संख्या–27, वन, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, अनुदान संख्या–29, औद्यानिक एवं रेशम विकास, अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण, अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत रु0 1293 हजार (बारह लाख तिरानवे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह अब प्रस्तुत हो चुका है तो ....

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सभी प्रस्तुत हो जायं फिर आधे घंटे की चर्चा इस पर निर्धारित है ही।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें मदवार चर्चा करा दें। जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली है उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए। मदवार यहां पर हम अपनी बात को रखेंगे। इस बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर स्पष्टीकरण आ जायेगा।

672

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण दे दूं जो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें हैं उसी के अनुसार यहां पर कार्य होता है और स्पष्टीकरण की दृष्टि से इसमें आधे घंटे की चर्चा रखी गई है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मदवार सामान्य चर्चा नहीं होगी और बजट की मूल मांग पर भी चर्चा नहीं होगी लेकिन जो अनुदान मांगें रखी गई हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। जो हमारा संविधान कहता है और जो कार्य संचालन नियमावली कहती है और जो परम्परायें हैं उनके अनुसार ही तो कार्य होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसके लिए आधे घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सामान्य चर्चा होगी।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यदि पीठ से निर्देश होता है कि सामान्य चर्चा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हमारा संविधान कहता है, जो परम्परायें हैं, उनके अनुसार मदवार चर्चा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, शासन की ओर से मैं भी स्पष्टीकरण दे दूँ कि ऐसी कोई परम्परा नहीं है। आखिर एक लम्बे अरसे से परम्पराओं को देखते हुये हमें भी हो गया है। मान्यवर, मुख्य बजट में मदवार चर्चा होती है और अनुपूरक में यह नहीं होती है न यह उत्तर प्रदेश में हुआ न कहीं और होता है। चूंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस पर अनुरोध हुआ था तो सामान्य चर्चा के लिए आधा घंटा निर्धारित किया गया है। हमारे पक्ष के सदस्यों को भी इसमें कुछ कहना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें यह स्पष्टीकरण आना ही चाहिए आखिर इस नये बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो मदें यहां पर रखी गई हैं आखिर वह मद यहां पर क्यों रखनी पड़ीं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह तो अन्त में भी पूछा जा सकता है। आप अगर इसको अन्त में पूछेंगे तब भी हम उत्तर देंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सबसे अन्त में पूछने की जरूरत ही क्यों है? एक साथ सभी मदें प्रस्तुत करने पर मुझे आपत्ति है। सभी मदों को अलग–अलग रखा जाना चाहिए। आप सभी मदों को एक साथ रखने की बात को जबरदस्ती पीठ पर नहीं थोप सकती हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं थोप रही हूँ। मैं तो परम्परा की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। सप्लीमेंट्री बजट में मदवार चर्चा नहीं होती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं भी परम्परा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में भी सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लोकसभा में बहुत सी परम्पराएं विधान सभाओं से भी ली जाती हैं। मैं भी इनका उल्लेख कर सकती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी, सामान्य चर्चा के दौरान आप मदवार अपनी बात रख सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958, जो अभी हमारे यहां परिचालित है, के नियम 194–'अनुपूरक अथवा अपर अनुदान अथवा अतिरिक्त व्यय के लिये अनुदान' की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नियम 194 के उप नियम 2 में उल्लिखित है–"अध्यक्ष, सदन नेता से परामर्श करके ऐसी मांगों पर चर्चा एवं मतदान के लिये एक या अधिक दिन नियत करेंगे। इन प्रकरणों में उसी प्रक्रिया का जो नियम 185, 186, 187, 188, 189, 190 तथा 191 में निर्धारित की गयी है, ऐसे रूप भेदों सहित जो अध्यक्ष आवश्यक समझें, अनुसरण किया जायेगा।" मान्यवर, यह तो आपका अधिकार है। जिस प्रकार बजट में अनुदानवार चर्चा होती है, उसी प्रकार अनुपूरक मांगों पर भी अनुदानवार चर्चा होती है, यह परम्परा है। मान्यवर, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि परम्परा तो यह भी है कि बजट पास होते समय वित्त मंत्री को सदन में होना चाहिए और हमारे वित्त मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में उपस्थित होना चाहिए था।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं माननीय सदन को अवगत करा दूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सामूहिक जिम्मेदारी है, इसके लिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आज मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन था तो इस अनुदान मांग को किसी और दिन रखा जा सकता था। जिस प्रकार से परम्परा यह है कि जब किसी बजट या अनुदान पर चर्चा हो, तो उस समय वित्त मंत्री को सदन में उपस्थित रहना आवश्यक है। उसी प्रकार से यह भी परम्परा है कि सप्लीमेंट्री बजट की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होती है।

श्री अध्यक्ष–

उत्तरांचल विधान सभा में इससे पूर्व अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा नहीं हुई है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रही हैं कि आधे घण्टे की चर्चा निर्धारित है। तो मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 195 की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ इसमें लिखा है "अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की व्याप्ति–अनुपूरक अनुदानों पर वाद–विवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 195 में उल्लिखित है कि अनुपूरक अनुदानों पर वाद/विवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिये आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। एक आग्रह कर रहा हूँ, सदन की सुविधा के लिए अभी यह प्रस्ताव रख दिया जायेगा उसके बाद हम अनुदान मांगों पर चर्चा की मांग करेंगे। फिर मंत्री जी जवाब देंगे। इससे अनावश्यक समय बर्बाद होगा। मदों के अनुसार प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित करें। यही नियम 195 का भी आशय है। यदि उन मदों पर हम स्पष्टीकरण चाहेंगे तो मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दे दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें सर्वसम्मति से पास हुई हैं। हमें इसका आदर करना चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

कार्यमंत्रणा समिति में इस बात के दिशा निर्देश नहीं दिये गये हैं कि अनुदान पर चर्चा की जा सके। इसमें सामान्य चर्चा की परम्परा तो है नहीं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें सर्वसम्मति से पास हुई हैं। तो फिर सदन को उसी व्यवस्था के अनुरूप चलाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इससे पूर्व अनुपूरक मांगों पर कभी भी इस सदन में चर्चा नही कराई गई है। अन्य विधानसभाओं में तो यह परम्परा रही है। लेकिन यहां पर नहीं हुआ है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह नई परम्परा पड़ रही है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय अनुदान की मांग रखें, उसके बाद जो माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें रख सकते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह क्या प्रोसेस चल रहा है? माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को तो 27 साल का अनुभव है। मेरे ख्याल से अब तो 30 साल का हो गया होगा। (हँसी) हमारा तीन–चार साल का अनुभव यह कहता है कि यह व्यवहारिक नहीं है। मान्यवर, मद संख्या–18 के (1) पर चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि वह विधान सभा का बजट है। मान्यवर, अनुदान संख्या–18 (1) तो विधानसभा से सम्बन्धित है, इसमें हम चर्चा नहीं कर सकते हैं और इसकी दूसरी मद न्याय प्रशासन से सम्बन्धित है, इसमें यदि कोई माननीय सदस्य पूछना चाहे तो पूछ सकता है और इसी तरह अन्य मदों के बारे में भी माननीय सदस्य पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, ये बातें सामान्य चर्चा में भी आ सकती हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सारी मदें एक साथ रखने पर एक साथ इतने प्रश्न कैसे रखे जायेंगे? मेरा अनुरोध है कि एक–एक करके मदें रखी जाय और इन पर जो कोई भी माननीय सदस्य जानकारी चाहता हो तो जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत रु0 1293 हजार (बारह लाख तिरानवे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 777 हजार (सात लाख सतहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 777 हजार (सात लाख सतहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत 89190 हजार (आठ करोड़ इक्यानवे लाख नब्बे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस अनुदान संख्या के अन्तर्गत जो क्रम संख्या 9 है इसमें चार पदों की स्वीकृति हेतु पांच लाख की डिमांड की है। इस में कौन–कौन से पद स्वीकृत किये हैं और इन पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पदों के सम्बन्ध में सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। (व्यवधान) मान्यवर, एक बार पुनः अपना प्रश्न दोहरा दीजिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस अनुदान संख्या के अन्तर्गत जो क्रम संख्या 9 है इसमें चार पदों की स्वीकृति हेतु पांच लाख की डिमांड की है। इसमें कौन–कौन से पद स्वीकृत किये हैं और इन पदों पर नियुक्तिया कब तक कर दी जायेंगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पहले से इस मद में धन स्वीकृत है, आय–व्यय में धन उपलब्ध है। विधायी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है। इसी वित्तीय वर्ष में नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपदा राहत कोष में जो मांग की है क्या यह धनराशि जिलों में भेजने के लिए व्यवस्था है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था कि जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है, ताकि यह धन खर्च हो सके और आपदा राहत हो सके।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहिए कि क्या यह 25 लाख रुपया विधायकों के रिकमण्डेशन पर होगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जी हाँ, जब माननीय विधायक रिकमण्डेशन देंगे तभी उसको जिलाधिकारी मानेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो पैसा जनपदों में पड़ा है उसको हम खर्च नहीं कर पाये और अब फिर मांग कर रहे हैं। मान्यवर, आपदा राहत का पैसा कई वर्षों से खर्च नहीं हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने अभी उत्तर दिया था कि बहुत से नये कार्यों के लिए आय–व्यय में धनराशि उपलब्ध है उसकी विधायी स्वीकृति नहीं है, बिना सदन की विधायी स्वीकृति के खर्च नहीं कर सकते। पिछली बार का जो पैसा है जिस जिले में नहीं हुआ है उसके आंकड़े नहीं हैं, आपदा प्रबन्धन पर सर्वाधिक खर्च की आवश्यकता है।

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि कितना पैसा आपके पास है जिसकी स्वीकृति कर दें?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नई केन्द्र योजना भी है। (व्यवधान)

*श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद चमोली में वर्ष 2003–2004 में दैवीय आपदा राशि अभी तक नहीं पहुँची।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने ध्यान आकर्षित किया है इसको देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 89190 हजार (आठ करोड़ इक्यानवे लाख नब्बे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु0 172659 हजार (सत्रह करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता किन कारणों से हुई? मान्यवर, इसमें स्थाई राजधानी से सम्बन्धित स्थानों की फिजीबिल्टी स्टडी कराने हेतु रु0 14 लाख धनराशि की डिमाण्ड की है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह स्थान कौन–कौन से हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण के लिए धनराशि की मांग की है वह धनराशि एक हजार रुपये की है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना कब तक कर लेंगे या हो गया है तो काम कैसा चल रहा है? मान्यवर, मेरे ये दो प्रश्न हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, भागीरथी प्राधिकरण बन गया है। जो यह राशि है वह टोकन मनी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। क्या अध्यक्ष के बलबूते पूरा काम चल जायेगा। यह किस बजट में आयेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, फरवरी के बजट में आयेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह तो और भी आपत्तिजनक हो गया है। अनुपूरक में जो डिमाण्ड की जाती है वह उसी वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक हजार रुपया वित्तीय स्वीकृति हेतु है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07–वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु0 172659 हजार (सत्रह करोड़ छब्बीस लाख उनसठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–8–आबकारी के अन्तर्गत रु0 1774 हजार (सत्रह लाख चौहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि मान्यवर, अनुदान संख्या–8–आबकारी के अन्तर्गत रु0 1774 हजार (सत्रह लाख चौहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–10–पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 92132 हजार (नौ करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अभी इण्डियन बटालियन का गठन किया गया है जो आपने टोकन मनी रखी है उससे कैसे काम चलेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह विधायी स्वीकृति रखी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि मान्यवर, अनुदान संख्या–10–पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 92132 हजार (नौ करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11–शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 488992 हजार (अड़तालीस करोड़ नवासी लाख बानवे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, वैसे इसमें नयी बातों को नहीं रखा गया है। जो व्यवसायिक शिक्षक हैं उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है इस हेतु जो केन्द्र से 75 प्रतिशत धनराशि आती थी वह नहीं आ पायी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इस 75 प्रतिशत की व्यवस्था राज्य सरकार ने अपने कोष से कर दी है। एक करोड़ उन्नीस लाख रुपया स्वीकृत हो चुका है। इसका भुगतान किया जा रहा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, पी0टी0ए0 जो प्राइवेट स्कूलों में होते हैं उनके बारे में भी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–शिक्षा, खेल एवं युवाकल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 488992 हजार (अड़तालीस करोड़ नवासी लाख बानवे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 561885 हजार (छप्पन करोड़ अट्ठारह लाख पचासी हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अब बजट सत्र तो 6 महीने बाद आयेगा। रानीखेत में एक हास्पिटल अधूरा पड़ा हुआ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें विभाग की सहमति भी हो गयी थी तो वह इसमें मुझे सम्मिलित होता नजर नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी ने इसमें आश्वासन भी दिया था।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, वह तो चालू काम में है। वह चल रहा है। इसको नयी मद में लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, वह तो आपके समय में भी बन रहा था और अब भी बन रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वह हमारे समय में भी बन रहा था और आपके समय में भी चालू है। इसमें चूक कैसे हुई? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय के विभिन्न पदों के लिए धनराशि की मांग की हैं मैं पिथौरागढ़ की जनता की ओर से माननीय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। साथ ही यह आग्रह भी करना चाहता हूँ कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में इसकी स्थापना कर देंगे?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पहले पदों की स्वीकृति मिलेगी फिर लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी मिलने के बाद इसे बेस अस्पताल का रूप दिया जायेगा।

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूँ कि शिशु केन्द्रों के लिए क्या मानक रखे गये हैं?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसमें भारत सरकार के मानक होते हैं, उसी के अनुसार किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 561885 हजार (छप्पन करोड़ अट्ठारह लाख पचासी हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–13–जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 1149792 हजार (एक सौ चौदह करोड़ सत्तानवे लाख बानवे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो यह पेयजल सलाहकार समिति बनाई गई है यह लाल बत्ती वाली है या कोई और? इसमें 15 लाख रुपये की डिमाण्ड की गई है तो इस राशि का उपयोग कहां किया जायेगा? इसी के क्रम संख्या 10 में लिखा गया है कि "कम लागत के व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु 6 लाख 82 हजार रुपये की आवश्यकता है" इसमें मद क्लियर नहीं है। इसे मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, माननीय मंत्री जी इस पर भी मार्गदर्शन दे दें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, नगर निकायों के रिक्त सीटों के चुनाव के बारे में भी बता दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो पद खाली हैं उसके लिए आयोग है।

मान्यवर, जो पंत जी ने प्रश्न किया तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूँ कि सलाहकार समिति की आवश्यकता इसलिए है, जो विकट स्थिति उत्पन्न हुई है उससे आप सभी लोग अवगत हैं ही। यह समिति विचार–विमर्श कर समाधान करने का प्रयास करेगी। जो एल0एस0एस0 की बात आपने की . . . . .।

श्री प्रकाश पंत–

आप उसे किस अनुदान संख्या में ले रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसे केन्द्र पुरोनिधानित योजना में लिया जा रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें तो नहीं है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पृष्ठ संख्या 49 में यह है 800/20 में इसे लिया गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें तो नहीं दिख रहा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मेरी और आपकी किताब तो अलग नही हो सकती है, या आप किसी और विधान सभा से आये हैं।

(हँसी)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, एक बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले विधान सभा सत्र में माननीय मंत्री जी द्वारा टिहरी बांध योजना की तीन पेयजल योजनाओं के लिए आश्वासन दिया गया था कि इन्हें इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा। इसमें एक सार्जुला की योजना थी और एक प्रतापनगर की भी थी तो क्या उसके लिए इसमें प्रावधान कर दिया गया है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं इसकी जानकारी कर आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13–जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 1149792 हजार (एक सौ चौदह करोड़ सत्तानवे लाख बानवे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–14–सूचना के अन्तर्गत रु0 19300 हजार (एक करोड़ तिरानवे लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14–सूचना के अन्तर्गत रु0 19300 हजार (एक करोड़ तिरानवे लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–15–कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत रु0 361552 हजार (छत्तीस करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस अनुदान मांग के क्रम संख्या–15 में गोल्डेन–की आशा स्कूल हेतु स्कूल बस एवं एम्बुलेन्स की व्यवस्था के लिए वन टाईम सहायता हेतु रु0 1568000 धनराशि की आवश्यकता की बात कही गयी है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह आशा स्कूल कहां पर है? क्या यह प्राइवेट है या सरकारी सहायता प्राप्त है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह स्कूल भूतपूर्व सैनिकों की आश्रित विधवाओं का है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह स्कूल भूतपूर्व सैनिक कल्याण के अन्तर्गत संचालित है तथा यह स्कूल माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत जी के ही क्षेत्र में संचालित है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15–कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत रु0 361552 हजार (छत्तीस करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16–श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 24067 हजार (दो करोड़ चालीस लाख सड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें तीन मदों की मांग की गयी है। पहली लाल बत्ती है, राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड, दूसरी लाल बत्ती है, महिला सशक्तिकरण। तीसरा, 15 नये आई0टी0आई0 के लिए रु0 2.1 करोड़ की मांग की गयी है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये आई0टी0आई0 इसी वित्तीय वर्ष में खोल लिए जाएंगे? दूसरा, माननीय मंत्री जी इन दोनों लाल बत्तियों से सम्बन्धित मांगों पर मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आई0टी0आई0 खोलने में अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि अभी इसके लिए भूमि देखनी है, भूमि की क्वालिटी देखनी है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भूमि की क्वालिटी की बात कर रहे हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, भूमि का भू सर्वेक्षण किया जाना है। आपके कपकोट में आई0टी0आई0 खोला जाना है, वहा की भूमि में यह बनाया जा सकता है या नहीं यह सर्वेक्षण किया जाना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बड़ी विचित्र बात है आपने मशीन और साज सज्जा के लिए डिमाण्ड कर दी है और अभी तक आपके पास न तो भवन है और न ही कोई भूमि चयनित की गयी है। इसके लिए न तो आपके पास इन्फास्ट्रक्चर है और न ही इसमें अध्यापन का कार्य करने के लिए अध्यापकों की कोई व्यवस्था है। आपने भूमि सर्वेक्षण की बात कही लेकिन इसमें कहीं पर भी इस मद के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, स्थल का चयन नहीं हुआ है और सरकार द्वारा 1 करोड़ 80 लाख की मांग की गई है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो आई0टी0आई0 हमने स्वीकृत की है वहां पर जमीन, बिल्डिंग, उपकरण और अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया जारी है। ऐसा नहीं है कि जब बिल्डिंग बन जायेगी तब हम इस तरह की व्यवस्था प्रारम्भ करेंगे। हम वहां के युवाओं के अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, क्या इसी सत्र में खुल जायेगी।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

इस सत्र में शुरू हो जायेगी।

*श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे विधान सभा पाटीसैण क्षेत्र में जो आई0टी0आई0 स्वीकृत हुई वह इसी वित्तीय वर्ष में खोलने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आई0टी0आई0 की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

*श्री रंजीत सिंह रावत

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मछोड़ा में विगत दो वर्ष पूर्व आई0टी0आई0 स्वीकृत हुई। उसमें टूरिज्म का कोर्स भी रखा गया है। उसके लिए एक बस भी खरीद ली गई। किन्तु अभी तक टूरिज्म का पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिमाण्ड कर दी गई लेकिन इन्फास्ट्रेक्चर तैयार नहीं है। (व्यवधान)

श्री रंजीत सिंह रावत–

मान्यवर, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। मछोड़ा क्षेत्र में आई0टी0आई0 खुल रही है। कृपया मेरे प्रश्न का राजनीतिकरण न किया जाए। मैं तो माननीय मंत्री जी से जवाब चाह रहा था।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, सरकार की मंशा साफ है जहां पर भी आई0टी0आई0 और पॉलिटैक्निक खोले जायेंगे वहां पर सभी आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। माननीय सदस्य ने टूरिज्म कोर्स हेतु बस खरीदने की बात कही है तो हम इसकी जॉच कर लेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, जब टिहरी गये थे तो वहां की परिस्थितियों को देखकर आपने वहां घोषणा की थी कि इस वर्ष पॉलिटैक्निक की स्थापना की जायेगी। किन्तु इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखामण्डल ट्यूणी में आई0टी0आई0 खोलने की घोषणा की थी उसमें कितनी प्रगति हुई है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का हम सम्मान करते हैं। दूसरी आपने पॉलिटैक्निक की बात आई0टी0आई0 से जोड़ी, यह विभाग अलग है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0–24067 हजार (दो करोड़ चालीस लाख सड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कृषि मंत्री [श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)]–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0–103918 हजार (दस करोड़ उन्तालीस लाख अट्ठारह हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष एवं अधीनस्त कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु

रु0 1545000 धनराशि की आवश्यकता क्यों की गई? यह आयोजनेत्तर व्यय में इसकी मांग की गयी है, कम से कम सदन के सामने यह बात आनी चाहिए।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, इसमें गन्ना विकास सलाहकार समिति बनी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0–103918 हजार (दस करोड़ उन्तालीस लाख अट्ठारह हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0–147500 हजार (चौदह करोड़ पचहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें 12011000 धनराशि की डिमाण्ड पिछड़ी जातियों की जनसंख्या के त्वरित सर्वेक्षण हेतु राजकीय आकस्मिकता निधि से आहरित की गयी है। इसकी इतनी आवश्यकता क्या पड़ी? यह कोई छोटी रकम नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ये धन कहां से प्राप्त हुआ है, यह इसके अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0–147500 हजार (चौदह करोड़ पचहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0–446007 हजार (चौवालीस करोड़ साठ लाख सात हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0–446007 हजार (चौवालीस करोड़ साठ लाख सात हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–20 सिचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0–993545 हजार (निन्यानबे करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें किस प्रकार के पद हैं, क्या यह भी लाल बत्ती के धारक हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह बात सही है, लघु सिचाई सलाहकार समिति के लिए हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें कौन–कौन से पद हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उसमें उपाध्यक्ष और सदस्य हैं।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, नलकूपों के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा है, इसमें कितने नलकूप ऊधमसिंह नगर के लिए हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको कुछ ज्यादा ही मिला है। मान्यवर, 32 नलकूप हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, एक निवेदन है कि टिहरी बांध के मामले के लिए अभी आपने कहा था कि अनुदान में चर्चा होगी, तो मैं चाहता हूँ कि चर्चा हो जाए वरना रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कण्डारी जी बाद में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0–993545 हजार (निन्यानवे करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0–1109200 हजार (एक सौ दस करोड़ बयानवे लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि यह जो एन0पी0वी0 के लिए 18 करोड़ रुपये की मांग की है, क्योंकि इस धनराशि के जमा न होने से सौ से अधिक सड़कें लम्बित हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमें 27 करोड़ जमा करना है, 9 करोड़ पहले से प्राविधान किया है, शेष 125 सड़कें एम0पी0वी0 के लिए स्वीकार हो गई।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और उनके स्वयं के द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। क्या वह सड़कें इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकार होंगी और क्या उन पर इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि सड़कों की आवश्यकता है और पहाड़ी क्षेत्र में भी जरूरत है। मान्यवर, 20–25 दिन तक सम्बन्धित अधिकारी विकल्प के लिए गया था, इसलिए विलम्ब हुआ, तीन तारीख तक आचार संहिता भी लगी थी। मान्यवर, इसी वित्तीय वर्ष में आपकी सड़कों का काम शुरू हो जायेगा।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, क्या यह पूरे प्रदेश के लिए है या सिर्फ माननीय हरक जी के क्षेत्र के लिए है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह पूरे क्षेत्र के लिए है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22–लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 1109200 हजार (एक सौ दस करोड़ बयानवे लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रु0–550454 हजार (पचपन करोड़ चार लाख चौवन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पृष्ठ–80 के पांचवे नम्बर पर है कि राजकीय रक्षालय संस्थान को जैव प्रौद्योगिकी संस्थान बनाये जाने के सम्बन्ध में है, क्या यह पटवाडागर है जहाँ पर कि रैबीज के इन्जेक्शन बनाये जाते थे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वहाँ पर कुत्ते काटने का इन्जेक्शन बनता था वह तो उत्तर प्रदेश के समय से बन्द हो गया था। यह सारी जमीन खाली पडी थी इसमें बायोटैक्नोलॉजी संस्थान बनाया जा रहा है। इस हेतु 10 करोड़ रुपये की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या जो वहाँ पर डेढ सौ कर्मी थे उनको हटा दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उन्हें नहीं हटाया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सिडकुल के माध्यम से दो करोड़ की मांग की है और 40 करोड़ की मांग इसके अतिरिक्त की है। मान्यवर, आई0टी0 सेवाओं के पीछे सरकार की क्या मंशा है? क्या देहरादून और पंतनगर में आई0टी0 पार्क एक ही है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हरिद्वार और पंतनगर में भी हम आई0टी0 पार्क बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23–उद्योग के अन्तर्गत रु0 550454 हजार (पचपन करोड़ चार लाख चौवन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–24–परिवहन के अन्तर्गत रु0 415700 हजार (इकतालीस करोड़ सत्तावन लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में इस समय कितने हैलीकॉप्टर और कितने जहाज हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? जहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां जहाज खरीदने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमारे पास पुराना हैलीकॉप्टर था, वह काफी खराब हो गया था इसलिए उसके बदले डबल इंजन का हैलीकॉप्टर खरीद रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, छत्तीसगढ़ के पास अपना कोई जहाज नहीं है तो उनका काम नहीं चल रहा है? आप भी वैसे ही काम चला सकते थे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जहाज तो खरीदा जा रहा है। बजट में व्यवस्था की गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए पूरी तरह से हवाई पट्टी बन गई है? वह कौन–कौन से हवाई पट्टियों मे उतर सकता है? मान्यवर, दूसरा क्या इसका भी हथ आई0टी0आई0 की बस खरीदने जैसा तो नही होगा?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल में देहरादून, चिन्यालीसौड़, गोचर, पिथौरागढ़ आदि कई हवाई पट्टियाँ हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इसमें एक सलाहकार समिति की बात आयी है। अभी तक जितनी भी सलाहकार समितियाँ बनी हैं, उनके लिए लगभग 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। किन्तु इस समिति के लिए 11 लाख 62 हजार की मांग की गयी है। इसमें कम धनराशि की मांग क्यों की गयी है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हम मितव्ययिता के साथ काम कर रहे हैं।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हैलीकॉप्टर को बेच कर हवाई जहाज खरीदा जा रहा है। तो क्या अब तक जहां हैलीकॉप्टर से जाया जाता था वहां अब हवाई जहाज से जाया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक हैलीकॉप्टर और एक हवाई जहाज रखने की बात है और इसकी हमारे राज्य को आवश्यकता भी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नैनी सैनी हवाई पट्टी का इसमें जिक्र नहीं आया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी केन्द्र सरकार के सम्पर्क में रहते हैं। देहरादून, पंत नगर, गौचर, पिथौरागढ़ आदि सभी हवाई पट्टियों का प्रयोग किया जाये इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0–415700 हजार (इकतालीस करोड़ सत्तावन लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पर्यटन मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26–पर्यटन के अन्तर्गत रु0 115000 हजार (ग्यारह करोड़ पचास लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए स्वीकार की जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि लैंसडाउन में पर्यटन की जो योजना है उसमें अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। लैंसडाउन में क्या इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? दूसरा मान्यवर, लैंसडाउन में सिंचाई विभाग का एक बंगला बेकार पड़ा हुआ है। मैंने उसके लिए स्वयं भी प्रयास किया था कि वह बंगला पर्यटन विभाग सिंचाई विभाग से ले लें। इससे वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले जो लैंसडाउन में कार्य शुरू करने की बात है उसे शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा। जहां तक सिंचाई विभाग के बंगले को लेने की बात है उसकी फाइल मैंने एक महीने पहले ही चला दी है। वह फाइल अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा चुकी है। अगर सिंचाई विभाग इसके लिए कुछ धनराशि की मांग करेगा तो वह भी दे दी जायेगी। इससे लैंसडाउन में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता बतायी गयी है। इस धनराशि से आप उत्तरांचल में क्या करेंगे और इसके पहले जो धनराशि ली थी उससे क्या–क्या किया गया है? पिछला जो बजट पेश किया गया था उसके अनुपालन में कितनी सुविधायें आपने दी हैं और अनुपूरक में जो आप फिर 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, इससे क्या फायदा आप जनता को देंगे?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, हमने वहां पर टाटा सूमों चलाई थी। इस यात्रा सीजन में 10 गाड़ियां चलाई थीं। इस माध्यम से हमने पर्यटकों को सहूलियत देने का प्रयास किया था। सितम्बर में यात्रा फिर चालू होगी इसके लिए डिमाण्ड की गई थी (व्यवधान) आधारभूत सुविधायें यह मैं बता रहा हूँ उसके लिए टूरिज्म के माध्यम से अनेक टूरिस्ट कन्वीनेंस सेन्टर बनाये जा रहे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले पूरे यात्रा मार्ग में हमने टॉयलेट लगाये। यह वे टॉयलेट थे जो 2 साल पहले अर्द्धकुम्भ में लगे थे उनको रिपेयर कर वहां पर लगाया गया है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूँ। जो यात्रा काल में टॉयलेट बनाये जाते हैं, वह टाट पट्टी के होते हैं, जिनका बाद में दुरूपयोग ही होता है। यदि आप वहां पर स्थाई सुलभ शौचालय बना दें तो बार–बार पैसे का खर्चा नहीं होगा।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम योजना पर कार्य भी शुरू कर चुके हैं। टूरिस्ट कन्वीनेंस सेंटर कुमाऊं में 21 और गढ़वाल में 23 बनाये जा रहे हैं। जिनमें से 12 का इनोग्रेशन मैं कर चुका हूँ। बाकी भी इसी साल के अन्त तक पूरे हो जायेंगे। इन सेंटरों में प्रापरली टॉयलेट और लैट्रीन बनी हुई हैं।

*श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, टी0आर0सी0 चम्पावत तथा पूर्णागिरी के लिए 10 वर्षों से मेंटीनेंस के लिए पैसा नहीं दिया गया है तो क्या इस अनुपूरक के माध्यम से उसके लिए पैसा दिया जा रहा है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, आपका कहना सही है। कुछ जगहों पर मेंटीनेंस के लिए पैसा नहीं मिला है, तो हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं जहां पर पर्यटक ज्यादा आते हैं। इसके लिए कुमाऊं मण्डल विकास निगम तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को 1–1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। जिसमें यह रिपेयर हो सकते हैं।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, पूर्णागिरी मेले के दौरान तो इतने पर्यटक वहां पर आते हैं कि होटलों में जगह नहीं मिलती है, लोगों को फुटपाथ पर सोना पड़ता हैं आपके टी0आर0सी0 इस लायक नहीं हैं कि लोग वहां पर जाकर रहें। यदि आप उनकी मरम्मत करेंगे तो लोग वहां पर रहेंगे और आय भी होगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और मुख्यमंत्री जी के भाषणों में यह बात होती है और भाषणों तक ही रह जाती है। उन घोषणाओं पर क्रियान्वयन नहीं किया जाता है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, पैसा अपर्याप्त मात्रा में था, अब इसके लिए व्यवस्था कर कुमाऊं और गढ़वाल मण्डल विकास निगम को दिया गया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, जसपुर में एक हाईवे मोटल बनाने की बात कही गई थी, उसके लिए क्या इसमें व्यवस्था की गई है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसे कुमाऊं मण्डल विकास निगम के माध्यम से कराया जा रहा है। आपकी मदद से जमीन हम ले रहे हैं, उसके बाद ही कार्य शुरू करेंगे। इसके लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकृति ले ली है। इसमें टोकन मनी का प्रावधान भी होना है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, 28 फरवरी, 2004 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने (व्यवधान) पर्यटन के विषय में घोषणा की थी, क्या इस अनुपूरक बजट में इस घोषणा के अनुरूप उन पर कार्य किया जायेगा तथा कब तक पर्यटक स्थल बना दिया जायेगा? दूसरा यह कि आपने घोषणा की थी कि लम्बगांव के बस अड्डे को आधुनिक बनाया जायेगा। तो वह किस प्रकार का आधुनिक बस अड्डा होगा, यह बता दें और हमारे यहां पर नागराजा मन्दिर है जिसमें हर साल मेला लगता है। तो क्या उस स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किया जायेगा और क्या उसके लिए सरकार द्वारा पैसा दिया जायेगा, मेले के लिए?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यदि वह मेला रजिस्टर्ड है तो उसके लिए पैसा अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि यह रजिस्टर्ड नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। आप इसको रजिस्टर्ड कराने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने आधुनिक बस अड्डे के लिए पैसा स्वीकृत होने की बात कही। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे संज्ञान में नहीं है कि उसके लिए कोई पैसा स्वीकृत हुआ है।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आधुनिक बस अड्डे के लिए 50 लाख रुपये का आवंटन हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आधुनिक बस अड्डे का क्लासिफिकेशन क्या है? क्या यह बस अड्डा केवल 50 लाख रुपये में ही बनेगा या इसके लिए और पैसा दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष–

माननीय फूल सिंह जी, आप इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब इस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26–पर्यटन के अन्तर्गत रु0 115000 हजार (ग्यारह करोड़ पचास लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–27–वन के अन्तर्गत रु0 339625 हजार (तैंतीस करोड़ छियानवे

लाख पच्चीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रु0 339625 हजार (तैंतीस करोड़ छियानवे लाख पच्चीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–28–पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रु0 53751 हजार (पांच करोड़ सैंतीस लाख इक्यावन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रु0 53751 हजार (पांच करोड़ सैंतीस लाख इक्यावन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–29–औद्यानिक एवं रेशम विकास के सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रु0 18154 हजार (एक करोड़ इक्यासी लाख चौवन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29–औद्यानिक एवं रेशम विकास के सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रु0 18154 हजार (एक करोड़ इक्यासी लाख चौवन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–30–अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 529874

हजार (बावन करोड़ अट्ठानवे लाख चौहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30–अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 529874 हजार (बावन करोड़ अट्ठानवे लाख चौहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–31–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 76567 हजार (सात करोड़ पैंसठ लाख सड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रथम अनुपूरक अनुदानों की माँगों के पृष्ठ–102 के बिन्दु संख्या–15 और पृष्ठ–108 के बिन्दु संख्या–15 की डिमाण्ड अलग–अलग हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

ट्राईबियूनल सब प्लान और एस सी दोनों हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रु0 76567 हजार (सात करोड़ पैंसठ लाख सड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जाएं।

(प्रतियाँ वितरित की गई)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2005–2006का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या वर्ष 2005)

31 मार्च, 2006 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम — 1–यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) अधिनियम, 2005 कहलायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2005–2006 के लिये रु0 8579558000 का दिया जाना। — 2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 8579558000 (रुपये आठ सौ सत्तावन करोड़ पचानवें लाख अट्ठावन हजार मात्र) होता है, अधिक न हों।

विनियोग — 3–इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध मे उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3			
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (धनराशि हजार रु० में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01–	विधान सभा	राजस्व	1293	0	1293
		पूँजी	0	0	0
02–	राज्यपाल	राजस्व		1500	1500
		पूँजी			0
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	777		777
		पूँजी			0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	89190		89190
		पूँजी			0
07–	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	152859	700000	852859
		पूँजी	20000		20000
08–	आबकारी	राजस्व	1774		1774
		पूँजी			0
09–	लोक सेवा आयोग	राजस्व		1850	1850
		पूँजी		10000	10000
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	31532		31532
		पूँजी	60600		60600
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	450255		450255
		पूँजी	38737		38737
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	561885		561885
		पूँजी	0		0
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	1149792		1149792
		पूँजी			0
14–	सूचना	राजस्व	19300		19300
		पूँजी			0

1	2	3			
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	360062		360062
		पूँजी	1490		1490
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	24067		24067
		पूँजी			0
17–	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	103918		103918
		पूँजी			0
18–	सहकारिता	राजस्व	147500		147500
		पूँजी			0
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	446007		446007
		पूँजी			0
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	29245		29245
		पूँजी	964300		964300
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	116200	3500	119700
		पूँजी	993000		993000
23–	उद्योग	राजस्व	130454		130454
		पूँजी	420000		420000
24–	परिवहन	राजस्व	1162		1162
		पूँजी	414538		414538
26–	पर्यटन	राजस्व	15000		15000
		पूँजी	100000		100000
27–	वन	राजस्व	314625		314625
		पूँजी	25000		25000
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	2909		2909
		पूँजी	50842		50842
29–	औद्यानिक एवं रेशम विकास	राजस्व	18154		18154
		पूँजी			0
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	312709		312709
		पूँजी	217165		217165
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	58446		58446
		पूँजी	18121		18121
	महायोग		7862708	716850	8579558

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2005–2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री अजय भट्ट, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रकाश पंत, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री अनिल नौटियाल, (डा0 हरक सिंह रावत, श्री फूल सिंह बिष्ट, डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गणेश गोदियाल, श्री रणजीत सिंह रावत तथा श्री उम्मेद सिंह मांजिला आदि), श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री मदन कौशिक तथा श्री नारायण पाल की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन विकल्प के आधार पर उत्तरांचल राज्य हेतु सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति का कोटा समान न होने के सम्बन्ध में डा0 हरक सिंह रावत, श्री फूल सिंह बिष्ट, डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री किशोर उपाध्याय, श्री गणेश गोदियाल, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री उम्मेद सिंह मांजिला आदि की सूचना को नियम–51 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, एक सूचना हमारी टिहरी बांध से सम्बन्धित थी, कृपया उस पर हमें बोलने का अवसर दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, किस नियम के अन्तर्गत आप मौका दे रहे हैं? (व्यवधान)

(श्री किशोर उपाध्याय, श्री फूल सिंह बिष्ट, श्री मंत्री प्रसाद नैथानी आदि कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर आपको 19 तारीख को सुन लूँगा।

प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 50 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत तदर्थ पदोन्नत अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

[मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के गठन से पूर्व 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत अर्ह पदोन्नत अध्यापकों को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पदोन्नति का अनुमोदन प्राप्त कर परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान कर ज्येष्ठता अनुमन्य की जाती थी, जबकि चयन आयोग के गठन के उपरान्त निर्धारित नियमावली में दो माह की अवधि में आयोग द्वारा अनुमोदन दिया जाना प्रस्तावित था। कठिनाई निवारण नियमों के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक अनुमोदन प्राप्त न होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तदर्थ पदोन्नत दी जाती रही है, जिससे ऐसे अध्यापक अपने भविष्य में प्राप्त होने वाले पदोन्नति अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इन अध्यापकों को तदर्थ पदोन्नति के दिनांक से ही ज्येष्ठता अनुमन्य की जानी चाहिए जैसे कि सरकार कार्मिकों के लिए जारी अर्द्धशासकीय पत्रांक 13–2–91 के बिन्दु "5" में वर्णित है। अतएव इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं शासन से वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

[माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के बाद नियमित पदोन्नति के साथ–साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 तथा कठिनाई निवारण आदेश की व्यवस्थाओं के अनुसार विशेष परिस्थितियों में तदर्थ पदोन्नति दिये जाने की व्यवस्था रही है। साथ ही इन तदर्थ पदोन्नति के विनियमितीकरण की व्यवस्था भी समय–समय पर की जाती रही है। यह तदर्थ पदोन्नति की व्यवस्था एक अतिरिक्त लाभ के रूप में शिक्षकों को मिलती रही। सम्प्रति उत्तरांचल में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम को निरस्त किया गया है, जिससे तदर्थ पदोन्नति की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की वरिष्ठता इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम–1921 के अध्याय–2 विनियम–3 के अनुसार प्रबन्ध समिति द्वारा संस्थावार निर्धारित की जाती है। अध्यापकों को भविष्य में प्राप्त होने वाली पदोन्नति के अवसरों से वंचित होने का कोई कारण नहीं है। प्रबन्ध समितियों द्वारा ही नियमित पदोन्नति की व्यवस्था है।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं 19 अक्टूबर, 2005 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए। (सदन की कार्यवाही 4 बजकर 56 मिनट पर बुधवार दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून

महेश चन्द्र

सचिव, विधान सभा,

दिनांक: 6 अक्टूबर, 2005

उत्तरांचल।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

राजकीय उद्यानों को निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को लीज पर दिये जाने हेतु निर्धारित शर्तें।

1– भूमि/उद्यान 24 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जा रही है।

2– अनुबन्ध प्रथम चरण में 5 वर्ष हेतु हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं तत्पश्चात इस अवधि में किये गये कार्यों का मूल्यांकन निदेशक उद्यान या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधि मण्डल द्वारा किया जाएगा जिसकी आख्या निदेश, उद्यान, शासन के प्रमुख सचिव, को प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख सचिव, उद्यान के संतुष्ट होने की स्थिति में परियोजना स्वतः स्वभाविक रूप से अलग–2 पांच–पांच वर्षों के लिए स्वीकृत किए जाने पर विचार किया जाएगा तथा समय–समय पर भी कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

3– उक्त भूमि/उद्यान का वार्षिक किराया वर्तमान में उक्त क्षेत्र में भूमि के भू–राजस्व के प्रथम 10 वर्षों के लिए 100 गुना एवं तदोपरान्त 15 वर्षों के लिए 200 गुना निर्धारित किया है जो कि पट्टा गृहित अग्रिम रूप में पट्टा दाता को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के माह मार्च में अदा करना होगा।

4– उक्त भूमि/उद्यान के अन्तर्गत उत्तरांचल के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय किस्म के औषधीय एवं मसाला की फसलों का कृषिकरण कर सकेंगे। राजकीय उद्यान में बीज, मृदा एवं पौधों का परीक्षण करने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना कर सकेंगे एवं उक्त उद्यानों में औषधीय पौधों, अत्याधुनिक उच्च तकनीकी पौधशालाएं स्थापित कर सकेंगे एवं उक्त कृषिकरण से सम्बन्धित अन्य कार्य भी कर सकेंगे।

5– वर्णित भूमि/उद्यान का अन्तिम मालिकाना अधिकार पट्टा दाता का रहेगा। पट्टा गृहिता उपरोक्त भूमि/उद्यान को किसी भी व्यक्ति या संस्था को सबलेट नहीं करेगा (शिकमी किराएदार आबाद नहीं करेगा) और पट्टा गृहिता को किसी भी प्रकार का ट्रांसफरेबल अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

6– पट्टे की समय अवधि समाप्त होने पर पट्टा गृहिता को समस्त निर्माण व पेड़ों सहित राजकीय उद्यान को पट्टा दाता के हक में हस्तगत करना होगा। लीज अवधि में कराये गये कार्यों का कोई भी क्लेम पट्टा गृहिता नहीं करेगा तथा पट्टा दाता द्वारा लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त एक रुपया नजराना (टोकन मनी) दिया जाएगा।

7– पट्टा गृहिता को जो भी फसल आदि उद्यान से प्राप्त होगी उसी को प्राप्त करने का अधिकार पट्टा गृहिता का होगा किन्तु उद्यान में स्थित किसी भी पेड़/सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचायेगा।

8– पट्टा गृहिता उद्यान भूमि में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसको विक्रय करके वह अतिरिक्त लाभ उठाने का इच्छुक हो। कहने का तात्पर्य है कि भूमि/उद्यान का पैदावार का हक ही पट्टा गृहिता को मिलेगा।

9– पट्टा गृहिता उत्तरांचल के बेरोजगार युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण देगा, उनका नौकरी पर रखेगा और उनके भुगतान आदि की जिम्मेदारी भी पट्टा गृहिता की होगी। ऐसा कोई भी कर्मचारी पट्टा दाता के कर्मचारी नहीं माने जायेंगे तथा वह स्पष्ट रूप से पट्टा गृहिता के कर्मचारी रहेंगे।

10– भूमि/उद्यान की जो पैदावार स्थानीय निवासियों के लिए लाभप्रद होती हो या स्थानीय निवासियों को उसका लाभ मिलता हो तो वह लाभ पट्टा गृहिता स्थानीय निवासियों को प्रतिफल या अन्य के रूप में देता रहेगा।

11– पट्टा गृहिता उद्यान/भूमि में किसी प्रकार का कोई स्थाई निर्माण नहीं करेगा यदि कृषिकरण के उद्देश्य से कोई आवश्यकता हुई हो तो उसकी अनुमति पट्टा दाता से निर्माण से पूर्व में प्राप्त करेगा।

12– पट्टा गृहिता ऐसा कोई भी अवैध कार्य नहीं करेगा जिससे कि शासन के द्वारा लिये गये निर्णयों/आदेशों या कानून का उल्लंघन होता हो।

13– पट्टा गृहिता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि भूमि की कीमत का ह्रास हो।

14– पूर्व के उद्यान/भूमि में कोई भी विद्युत कर व जलकर या अन्य कर जो भी पाया जायेगा उसकी समस्त जिम्मेदारी पट्टा दाता की होगी एवं आज के उपरान्त जो भी कर आदि होंगे उसकी समस्त जिम्मेदारी पट्टा गृहिता की होगी।

15– पट्टा गृहिता स्थानीय लोगों को कृषिकरण, विपणन, प्रसंस्करण आदि में स्वरोजगार उपलब्ध करायेगा।

16– राजकीय उद्यान का उपयोग पट्टा गृहिता अनिवार्य रूप से औद्यानिकी विविधीकरण से सम्बन्धित कार्यों के लिये ही करेगा।

17– उद्यान में सभी कार्य अनुबन्ध के आधार पर हो रहे या नहीं इसका मूल्यांकन एवं अनुश्रवण निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक छः माह में शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। अतः उपरोक्त उद्यान में संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों के आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए निदेशक, उद्यान अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि स्वतन्त्र रहेंगे।

18– प्रमुख सचिव, उद्यान द्वारा निदेशक, उद्यान की रिपोर्ट के आधार पर जो भी अन्तिम निर्णय लिये जायेंगे, वह पट्टा गृहिता को मान्य होंगे।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तरांचल

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित, हॉर्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन के अन्तर्गत प्रदत्त राज सहायता

1. क्षेत्र विस्तार : लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रु0 13000 प्रति हेक्टेयर।
2. जल स्रोतों का सृजन : एक हेक्टर औद्यानिक क्षेत्र की सिंचाई हेतु रु0 1.00 लाख प्रति टैंक जिसकी अधिकतम सीमा रु0 10.00 लाख प्रति 10 हेक्टेयर सामुदायिक क्षेत्र सिंचाई हेतु।
3. ऑन फार्म जल प्रबन्धन : टपक सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) हेतु 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा रु0 28500.00 प्रति हेक्टेयर।
    - फव्वारा सिंचाई (स्प्रिंकलर) 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा रु0 15000.00 प्रति हेक्टेयर।
    - प्लास्टिक मल्च 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा रु0 7000.00 प्रति हेक्टेयर।
    - हरित गृह (ग्रीन हाउस) लागत का 40 प्रतिशत (रु0 200 प्रति वर्गमीटर के आधार पर) अधिकतम रु0 40000.00 जो भी कम हो। यह सुविधा 500 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए है। पुष्पों के लिए फोगिंग, तापक्रम एवं प्रकाश आदि सुविधाओं के साथ रु0 1.50 लाख प्रति 500 वर्गमीटर ग्रीन हाउस।
    - शैडनेट लागत का 50 प्रतिशत या रु0 14.00 प्रति वर्गमीटर जो भी कम हो जिसकी अधिकतम सीमा 500 वर्गमीटर प्रति लाभार्थी है।
    - ओलाअवरोधक जाली (एन्टी हैलनैट) लागत का 50 प्रतिशत या रु0 500.00 प्रति पौधा अधिकतम 50 पौधे प्रति लाभार्थी।
    - पक्षी अवरोधक जाली (बर्ड प्रोटैक्शन नैट) लागत का 50 प्रतिशत या रु0 2000.00 प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो।
4. ऑन फार्म हैण्डलिंग यूनिट : लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु0 50000.00 प्रति लाभार्थी।
5. रोपण सामग्री का उत्पादन निजी क्षेत्र में एकीकृत बहुशस्य (मल्टीक्राप) पौधशाला - बड़ी पौधशाला के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु0 8.00 प्रति पौधालय, छोटी पौधशाला के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु0 1.50 लाख प्रति पौधालय।

- ❖ हर्बल गार्डन के लिए लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रु0 1.50 लाख।

- ❖ ऊतक सम्वर्धन (टिश्यू कल्चर) इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु0 10.00 लाख।

6. तकनीकी हस्तान्तरण : सात दिवसीय कृषक प्रशिक्षण हेतु प्रदेश के अन्दर रु0 1500.00 प्रति कृषक, प्रदेश से बाहर रु0 2500 प्रति कृषक। प्रशिक्षकों को राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु कुल व्यय अधिकतम सीमा रु0 50000.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी।

7. जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहन (आर्गेनिक फार्मिंग) : रु0 10000.00 प्रति हेक्टेयर। प्रमाणिकता हेतु कुल व्यय का 90 प्रतिशत या रु0 5.00 लाख जो कम हो रुपये प्रतिवर्ष, केंचुए खाद इकाई की स्थापना हेतु रु0 30000.00 प्रति इकाई।

8. कृषि उपकरणों को प्रोत्साहन (एग्रीकल्चर इक्वीपमैन्ट) : कृषक प्रशिक्षण हेतु रु0 1000.00 प्रति कृषक। हस्तचालित उपकरणों हेतु रु0 1500.00 प्रति इकाई।

- ❖ शक्ति चालित उपकरणों (पॉवर ऑपरेटिड) हेतु जैसे कि स्प्रेयर, प्रूनिंगसा आदि रु0 5000.00 प्रति इकाई। पॉवर ट्रिलर हेतु रु0 45000.00 प्रति इकाई।

- ❖ डीजल इंजन हेतु रु0 9000.00 प्रति इकाई।

9. एकीकृत कीट प्रबन्धन : रु0 1000.00 प्रति हेक्टेयर।

- ❖ निजी क्षेत्र में बायोकन्ट्रोल प्रयोगशाला हेतु 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रु0 40.00 लाख प्रति इकाई।

- ❖ कीट व रोगों के पूर्वासचेतक (डिजीज एण्ड पोस्ट फॉर कास्टिंग) इकाई स्थापना के लिए रु0 4.00 लाख प्रति इकाई।

- ❖ निजी क्षेत्र में प्लांट हैल्थ क्लीनिक स्थापना हेतु रु0 5.00 लाख प्रति इकाई।

- ❖ पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला निजी क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रु0 5.00 लाख प्रति इकाई।

10. मधुमक्खी विकास : लागत का 50 प्रतिशत या रु0 250.00 प्रति कालोनी और रु0 350.00 प्रति मौन बक्सा एवं सामग्री।

11. महिला विकास : रु. 1000.00 प्रति महिला को पाँच दिन के प्रशिक्षण हेतु।

- ❖ स्वयं सहायता समूह हेतु रु0 5000.00 प्रति महिला समूह।

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0–27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41–42 पर)

लीज पर दिये गये उद्यानों से प्राप्त धनराशि का उद्यानवार विवरण–

क्र0सं0	उद्यान का नाम	दिनांक 30.6.2005 तक लीज से प्राप्त धनराशि रु0 में।
1	2	3
1	राजकीय उद्यान फार्म रामगढ़	315000.00
2	राजकीय आलू बीज प्रक्षेत्र मनाघेर	30000.00
3	राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल, नैनीताल	10000.00
4	राजकीय सब्जी बीज उत्पादन प्रक्षेत्र बनेटी, नैनीताल	68501.00
5	राजकीय पौधालय सितारगंज, उधमसिंह नगर	8850.00
6	राजकीय पौधालय बड़ालू पिथौरागढ़	17500.00
7	राजकीय पौधालय बलुआकोट, पिथौरागढ़	12390.00
8	राजकीय प्रजनन उद्यान गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	12000.00
9	राजकीय प्रजनन उद्यान मूनाकोट, पिथौरागढ़	11251.00
10	राजकीय उद्यान नट्यूड़ा, पिथौरागढ़	21926.00
11	राजकीय प्रजनन उद्यान डीडीहाट, पिथौरागढ़	10000.00
12	राजकीय उद्यान बेरीनाग, पिथौरागढ़	11000.00
13	राजकीय प्रजनन उद्यान तिकसेन, पिथौरागढ़	10000.00
14	राजकीय उद्यान गौरनी, चम्पावत	13302.00
15	राजकीय पौधालय, चम्पावत	15735.00
16	राजकीय प्रजनन उद्यान ढोल, अल्मोड़ा	10000.00
17	राजकीय प्रजनन उद्यान गणानाथ, अल्मोड़ा	5000.00
18	राजकीय प्रजनन उद्यान भैसोड़ी, अल्मोड़ा	15000.00
19	राजकीय प्रजनन उद्यान, गरूड़ाबाज, अल्मोड़ा	12500.00
20	राजकीय प्रजनन उद्यान, विन्ता, अल्मोड़ा	10000.00
21	राजकीय प्रजनन उद्यान शीतलाखेत, अल्मोड़ा	12000.00
22	राजकीय ड्रग फार्म सोनी, अल्मोड़ा	25000.00

1	2	3
23	राजकीय प्रजनन उद्यान प्रतापनगर, टिहरी	20000.00
24	राजकीय उद्यान कौडिया, टिहरी	48000.00
25	राजकीय उद्यान रैथल, उत्तरकाशी	150000.00
26	राजकीय उद्यान बचोली, उत्तरकाशी	22502.00
27	राजकीय आलू प्रक्षेत्र बालवा, उत्तरकाशी	46251.00
28	राजकीय उद्यान खपरौली, पौड़ी	14851.00
29	राजकीय प्रजनन उद्यान खींडूसैण, पौडी	10000.00
30	राजकीय प्रजनन उद्यान पटेलिया, पौडी	10000.00
31	राजकीय उद्यान भानियावाला, देहरादून	26800.00
32	राजकीय उद्यान चौसाल, देहरादून	14800.00
33	राजकीय पौधालय ग्वालदम, चमोली	21750.00
34	राजकीय उद्यान पैतोंली, चमोली	62000.00
35	राजकीय उद्यान सुभई, चमोली	32500.00
36	राजकीय उद्यान सिंगधार, चमोली	9126.00
37	राजकीय उद्यान धिमतोली, रुद्रप्रयाग	86986.00
38	राजकीय उद्यान अगस्तमुनी, रुद्रप्रयाग	5000.00
39	राजकीय उद्यान चिरबटिया, रुद्रप्रयाग	40751.00
40	राजकीय उद्यान कर्मी, बागेश्वर	113001.00
41	राजकीय आलू बीज प्रक्षेत्र सूपी, नैनीताल	28128.00
42	राजकीय बहुधन्धी उद्यान मटका, पिथौरागढ़	58002.00
43	राजकीय उद्यान काणाताल, टिहरी	32028.00
44	राजकीय उद्यान बडवालधार, टिहरी	76509.00
45	राजकीय उद्यान चकराता, देहरादून	4754.00
	योगः—	1590694.00

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0–28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

लीज उद्यानों की सूचना

क्रम सं0	उद्यान का नाम/स्थान	क्षेत्रफल (है0)	वृक्षों की सूचना	आयु (वर्ष में)	लीजधारक संस्था का नाम/पता	लीज अवधि	प्रति वर्ष लीज की धनराशि रु0 में
1	राजकीय उद्यान फार्म रामगढ़ नैनीताल	126. 20	20585	20–80	श्री मुकुन्द प्रसाद लेजर होटल लि0 कालका जी नई दिल्ली	25 year	315500.00
2	राजकीय आलू बीज प्रक्षेत्र मनाघेर नैनीताल	6. 00	आलू प्रक्षेत्र	—	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डे खिरखेत रानीखेत अल्मोड़ा	25 year	15000.00
3	राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल नैनीताल	2. 00	214	25–35	हिमालयन फ्लोरीकल्चर एण्ड हर्बस शराफा चौक रामनगर नैनीताल	25 year	5000.00
4	राजकीय सब्जी बीज उत्पादन प्रक्षेत्र बमेठी नैनीताल	13. 70	821	25–35	श्री संजय गोयल ध्याननगर जसपुर उधमसिंह नगर	25 year	34250.00
5	राजकीय पौधालय सितारगंज उधमसिंह नगर	5. 70	767	50	उत्तरांचल सैनिक पुनर्वास कल्याण समिति देहरादून	25 year	8850.00
6	राजकीय पौधालय बसालू पिथौरागढ़	3. 50	631	40	श्री कृष्ण बहादुर मल्ल धर्मशाला लाईन पिथौरागढ़	25 year	8750.00
7	राजकीय पौधालय बलुवाकोट, पिथौरागढ़	2. 70	508	39	उत्तरांचल सैनिक पुनर्वास कल्याण समिति देहरादून	25 year	6195.00
8	राजकीय प्रजनन उद्यान गंगोलीहाट पिथौरागढ़	2. 80	590	38	महिला बचत समूह ग्वाल पिथौरागढ़	25 year	5000.00

क्र0 सं0	उद्यान का नाम/स्थान	क्षेत्रफल (है0)	वृक्षों की सूचना	आयु (वर्ष में)	लीजधारक संस्था का नाम/पता	लीज अवधि	प्रति वर्ष लीज की धनराशि रु0 में
9	राजकीय प्रजनन उद्यान गुनाकोट पिथौरागढ़	2.10	497	40	चन्द्र एण्ड बादर्श जाखनी पिथौरागढ़	25 year	5250.00
10	राजकीय प्रजनन उद्यान भटगूड़ा, पिथौरागढ़	4. 07	490	40	स्वाती ग्रामोद्योग संस्थान पिथौरागढ़	25 year	10175.00
11	राजकीय प्रजनन उद्यान डीडीहाट पिथौरागढ़	2.. 00	248	39	श्री जगत सिंह बोरा जौरासी डीडीहाट पिथौरागढ़	25 year	5000.00
12	राजकीय उद्यान बेरीनाग पिथौरागढ़	2.. 20	479	36	श्री बहादुर सिंह धर्मसत्तु सनियानी पिथौरागढ़	25 year	5500.00
13	राजकीय प्रजनन उद्यान तिकसेन, पिथौरागढ़	2.. 0	326	37	मुनस्यारी जड़ी बूटी एवं सगन्ध पौध उत्पादक समिति मुनस्यारी पिथौरागढ़	25 year	5000.00
14	राजकीय प्रजनन उद्यान मौरनी चम्पावत	2.. 66	494	10–25	ग्रीन हिल वैलफियर सोसाइटी लोहाघाट चम्पावत	25 year	6650.00
15	राजकीय पौधालय चम्पावत	3. 20	999	14–25	उत्तर प्रदेश यूथ एजुकेशन सोसाइटी मल्लीताल नैनीताल	25 year	7733.00
16	राजकीय प्रजनन उद्यान सोल अल्मोड़ा	2.. 00	429	10–50	श्री प्रताप सिंह बिष्ट बरेली रोड हल्द्वानी	25 year	5000.00
17	राजकीय प्रजनन उद्यान गणानाथ अल्मोड़ा	2. 00	356	10–50	हिमालयन सीडलिंग सोसाइटी हीरडुंगरी अल्मोड़ा को स्थानीय जनता के रोष के कारण जि0उ0अ0 के स्तर से हस्तान्तरण की कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है।	25 year	5000.00

क्रम सं0	उद्यान का नाम/स्थान	क्षेत्रफल (है0)	वृक्षों की सूचना	आयु (वर्ष में)	लीजधारक संस्था का नाम/पता	लीज अवधि	प्रति वर्ष लीज की धनराशि रु0 में
18	राजकीय प्रजनन उद्यान चैसोड़ी, अल्मोड़ा	7.00	396	10-50	कलम महेन्द्र चेन्नई चैसाड़ी अल्मोड़ा	25 year	15000.00
19	राजकीय प्रजनन उद्यान गरुड़बाज अल्मोड़ा	5.00	356	10-50	श्री विजेन्द्र सिंह रामनगर नैनीताल	25 year	125000.00
20	राजकीय प्रजनन उद्यान चित्ता, अल्मोड़ा	2..00	475	10-50	श्री दीप प्रकाश साह, मेघदूत होटल माल रोड रानीखेत	25 year	5000.00
21	राजकीय प्रजनन उद्यान शीतलाखेत, अल्मोड़ा	4.80	510	10-50	श्री दीवान सिंह चैसोड़ा सचिव विकल्प समिति गल्ला कच्चा पुल पो0 कटघरिया हल्द्वानी	25 year	12000.00
22	राजकीय ड्रग फार्म चौनी अल्मोड़ा	10.00	1535	40 से अधिक	हिमालयन फ्लोरीकल्चर एण्ड हर्बल शराफा चौक रामनगर नैनीताल	25 year	29050.00
23	राजकीय उद्यान प्रतापनगर टिहरी	4.00	1350	40	प्रताप फलोद्यान एवं विपणन सहकारी क्रय विक्रय समिति लि0 मान्जफ टिहरी	25 year	10000.00
24	राजकीय उद्यान कौड़िया टिहरी	9.60	738	25	श्री सत्यानन्द थपलियाल गुनोजी पट्टी चदरकोटि चारकोट जिला-टिहरी	25 year	24000.00
25	राजकीय उद्यान रैथल उत्तरकाशी	30.00	2244	47	श्री गोविन्द राम काइन चन्द लारेन्सरोड इन्डस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली	25 year	75000.00
26	राजकीय उद्यान धरोली, उत्तरकाशी	4.50	1325	41	उत्तरांचल जनविकास समिति ग्राम प्लेज नौगांव उत्तरकाशी	25 year	11250.00
27	राजकीय आलू प्रक्षेत्र बाल्चा उत्तरकाशी	9.00	आलू प्रक्षेत्र		श्री बचन सिंह रावत जोशीमठ चमोली	25 year	22500.00

क्रम सं0	उद्यान का नाम/स्थान	क्षेत्रफल (हे0)	वृक्षों की सूचना	आयु (वर्ष में)	लीजधारक संस्था का नाम/पता	लीज अवधि	प्रति वर्ष लीज की धनराशि रु0 में
28	राजकीय उद्यान खपरौली, पौड़ी	2. 94	406	12-35	परिस्थितकीय एवं आर्थिक विकास समिति जोशीभवन पौड़ी	25 year	7350.00
29	राजकीय प्रजनन उद्यान खाण्डूसैण पौड़ी	2. 00	655	15-38	परिस्थितकीय एवं आर्थिक विकास समिति जोशीभवन पौड़ी	25 year	5000.00
30	राजकीय प्रजनन उद्यान पटेलिया पौड़ी	4. 00	308	30	श्री आलोक नेगी बलभद्र कोटद्वार पौड़ी	25 year	9945.00
31	राजकीय उद्यान ज्योलीग्रान्ट मानिकवाला देहरादून	5. 38	969	28	श्री रतन सिंह अग्रवाल विष्णु विहार देहरादून	25 year	13350.00
32	राजकीय उद्यान चौराल देहरादून	2. 96	638	50	भाभर जनजाति सेव कल्याण समिति त्यूनी देहरादून	25 year	7400.00
33	राजकीय उद्यान पैतोली, चमोली	24. 80	466	15 से अधिक	इण्डिया ग्लाईकोल्स लि0 काशीपुर उधमसिंह नगर	25 year	62000.00
34	राजकीय उद्यान सुमई, चमोली	6. 50	367	15 से अधिक	श्री गौर सिंह टी0के0पी0 सिग्धार जोशीमठ चमोली	25 year	16250.00
35	राजकीय उद्यान सिग्धार चमोली	3. 65	907	15 से अधिक	श्री सिद्धार्थ गोयल रामनगर नैनीताल जिला उद्यान अधिकारियों के स्तर से हस्तान्तरण की कार्यवाही स्थानीय जनता के रोष के कारण नहीं हो सकी।	25 year	9120.00
36	राजकीय आदर्श उद्यान सिमोली	12. 00	1349	20-25	इण्डिया ग्लाईकोल्स लि0 काशीपुर उधमसिंह नगर	25 year	30000.00
37	राजकीय उद्यान अगस्तमुनी रुद्रप्रयाग	2. 00	139	30-35	उत्तरांचल सैनिक पुनर्वास कल्याण समिति, डिफेन्स कालोनी, देहरादून	25 year	5000.00

क्रम सं0	उद्यान का नाम/स्थान	क्षेत्रफल (है0)	वृक्षों की सूचना	आयु (वर्ष में)	लीजधारक संस्था का नाम/पता	लीज अवधि	प्रति वर्ष लीज की धनराशि रु0 में
38	राजकीय उद्यान विरबटिया रुद्रप्रयाग	8. 00	1367	25-30	जिला भेषज एवं विपणन सहकारी समिति लि0 रुद्रप्रयाग	25 year	20675.00
39	राजकीय उद्यान फार्म कमी बागेश्वर	27. 88	1179	30-60	डाबर रिसर्च फाउन्डेशन (डाबर इण्डिया) लि0 8/3 आसफ अली रोड नई दिल्ली	25 year	37666.00
40	राजकीय आलू बीज प्रक्षेत्र धूपी नैनीताल	7. 50	880	10-35	टाटा इनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट दरबारी रोड ब्लाक हैबिटेट प्लेस लोधी रोड, नई दिल्ली	25 year	9376.00
41	राजकीय बहुधन्धी उद्यान भटका, पिथौरागढ़	23. 20	2144	50	श्री सुमित महरोत्रा 56 एफ बैंक बिल्डिंग रानीखेत	25 year	29000.00
42	राजकीय बहुधन्धी उद्यान काणाताल, टिहरी	8. 54	2503	33	हिमकान हिमालयन कनसोर्टियम फार हिमालयन कन्जर्वेशन रानीचौरी टिहरी	25 year	10676.00
43	राजकीय उद्यान नटवालगांव टिहरी	20. 40	1487	30	श्री अखलेश काला ब्लू व्हेलिया हार्वस्ट 20 ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून	25 year	25500.00
44	राजकीय उद्यान चकराता, देहरादून	11. 03	4096	20-50	श्री अखलेश काला ब्लू व्हेलिया हार्वस्ट 20 ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून	25 year	47540.00
45	राजकीय पौधालय ग्वालदम चमोली	4. 60	655	15 से अधिक	उत्तरांचल सैनिक पुनर्वास कल्याण समिति देहरादून को दिया था जिसे बाद में किसान विज्ञान केन्द्र को हस्तान्तरित किया गया है।	25 year	11900.00

... 2005 200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।